भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)

राजस्थान सरकार

http://cagindia.org/states/rajasthan/2004

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii

अध्याय-I
सामान्य

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1	1
संशोधित अनुमानों और वास्तविक आंकडों में अन्तर	1.2	4
संग्रहण की लागत	1.3	5
बिक्री कर का प्रति करदाता संग्रहण	1.4	6
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	1.5	7
कर निर्धारणों में बकाया	1.6	9
कर का अपवंचन	1.7	9
राजस्व का अपलेखन एवं अधित्याग	1.8	10
प्रतिदाय	1.9	10
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	11
बकाया निरोक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	1.11	11
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.12	12
ड्राफ्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर	1.13	13
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति	1.14	13

अध्याय-II
बिक्री कर

लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	15
बिक्री कर प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत गलत/ अधिक छूट प्रदान करना	2.2	16

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	2.3	17
गणना में त्रुटि के कारण अवनिर्धारण	2.4	19
अवधि पार घोषणापत्रों से सम्बन्धित कर योग्य व्यापारावर्त पर कर की रियायती दर से गलत आरोपण	2.5	20
ब्याज एवं शास्ति का अनियमित अधित्याग	2.6	20
व्यापारावर्त कर का अनारोपण	2.7	21
ब्याज का अनारोपण	2.8	21

अध्याय-III
मोटर वाहनों पर कर

लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	23
विशेष पथ कर की कम वसूली	3.2	23
मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली	3.3	26
व्यापारियों से कर की अवसूली/कम वसूली	3.4	29

अध्याय-IV
भू-राजस्व

लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	30
समीक्षाः उपनिवेशन विभाग की प्राप्तियाँ	4.2	31
रूपान्तरण प्रभारों की अवसूली	4.3	42

अध्याय-V
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	44
मुद्रांकों का क्रय एवं विक्रय	5.2	44
सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.3	51

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अवसूली के कारण हानि	5.4	53
मुद्रांक कर की कम वसूली	5.5	54

अध्याय-VI
राज्य उत्पाद शुल्क

लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	55
बंधाधीन गोदामों में बीयर के अपेय हो जाने के कारण उत्पाद शुल्क की अवसूली	6.2	55
अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क की अवसूली	6.3	56
परिशोधित, परिपक्व एवं मसालायुक्त प्रासव की कमी पर उत्पाद शुल्क की अवसूली	6.4	57

अध्याय-VII
अन्य कर प्राप्तियाँ

भूमि एवं भवन कर

लेखापरीक्षा के परिणाम	7.1	58
भूमि के अवमूल्यांकन के कारण कर का कम आरोपण	7.2	58
गलत कर निर्धारण करने के कारण कर का कम आरोपण	7.3	59
सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन करने के कारण कर का कम आरोपण	7.4	59
सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण कर का कम आरोपण	7.5	60
भूमि की गलत दरें अपनाने के कारण कर का कम आरोपण	7.6	61

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-VIII कर-इतर प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	8.1	62
अ. सिंचाई विभाग		
समीक्षाः जल प्रभारों का निर्धारण एवं संग्रहण	8.2	63
अन्य राज्य सरकारों से बकाया की अवसूली	8.3	71
ब. खान एवं पैट्रोलियम विभाग		
पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस हेतु पैट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञा शुल्क तथा खनन पट्टे की बढ़ी हुई राशि की मांग कायम न करना	8.4	72
अनाधिकृत उत्खनन के कारण राजस्व की हानि	8.5	75
विकास प्रभार तथा उस पर ब्याज की कम वसूली	8.6	77
अधिशुल्क की कम वसूली	8.7	78
निविदाओं की स्वीकृति में अनियमितता से राजस्व हानि	8.8	78

प्रस्तावना

31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (दायित्व, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। यह प्रतिवेदन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करता है, जिसमें राज्य की बिक्री कर, मोटर वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क तथा अन्य कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2003-04 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के अनुक्रम में ध्यान में आए तथा उनमें से भी है जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके।

विंहगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित दो समीक्षाओं सहित 31 अनुच्छेद हैं, जिसमें 381.48 करोड़ रुपये अन्तर्निहित है। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया हैः-

I. सामान्य

वर्ष 2002-03 में 13,081.86 करोड़ रुपये के विरूद्ध वर्ष 2003-04 की राज्य सरकार की प्राप्तियाँ 15,423.84 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व 9,317.82 करोड़ रुपये था (कर राजस्वः 7,246.18 करोड़ रुपये तथा कर-इतर राजस्वः 2,071.64 करोड़ रुपये), जबकि शेष 6,106.02 करोड़ रुपये संघ के विभाज्य करों में से राज्य का भाग (3,602.22 करोड़ रुपये) तथा सहायतार्थ अनुदान (2,503.80 करोड़ रुपये) के रूप में भारत सरकार से प्राप्त हुए।

(अनुच्छेद 1.1)

2003-04 के अन्त में राजस्व के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल 2,417.49 करोड़ रुपये की बकाया अवसूल रही। ये बकाया प्रमुख रूप से बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्तियों पर कर, वृहद एवं मध्यम सिंचाई, भूमि एवं सम्पत्ति के विक्रय, भू-राजस्व तथा अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों से संबंधित थी।

(अनुच्छेद 1.5)

वर्ष 2003-04 के दौरान बिक्री कर, भू-राजस्व, आबकारी, मोटर वाहन कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियों, वन प्राप्तियों तथा अन्य कर-इतर प्राप्तियों के अभिलेखों की, की गई मापक जांच से 18,459 मामलों में 715.87 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। वर्ष के दौरान विभागों ने 21,723 मामलों में 69.03 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण स्वीकार किये। शेष मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

(अनुच्छेद 1.10)

II. बिक्री कर

35 औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्राप्त एवं प्रदत्त बिक्री कर छूट अनियमित पाई जाने के परिणामस्वरूप 17.90 करोड़ रुपये के सरकारी राजस्व की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.2)

कर की गलत दर लगाने के कारण पाँच मामलों में 2.16 करोड़ रुपये के कर एवं ब्याज का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.3)

अवधि पार घोषणा पत्रों से संबंधित कर योग्य व्यापारावर्त पर रियायती दर से करारापेण करने के परिणामस्वरूप 6.28 करोड़ का कर आरोपित नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.5)

III. मोटर वाहनों पर कर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मंजिली वाहनों, निजी सेवा वाहनों तथा गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर या तो कम वसूला गया या आरोपित नहीं किया गया परिणामस्वरूप 5.53 करोड़ रुपये के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.2)

मंजिली वाहनों, संविदा वाहनों, गैर-अस्थाई अनुज्ञापत्रों से अनाच्छादित यात्री वाहनों, डम्परों/टिपरो, एक्सकेवेटरों/लोडरों तथा भार वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की 3.01 करोड़ रुपये की राशि की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.3)

IV. भू-राजस्व

'उपनिवेशन विभाग की प्राप्तियाँ' पर समीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकट हुएः-

- भूमि की कीमत के 20.53 करोड़ रुपये की किश्तों का भुगतान नहीं करने के बावजूद, 1,684 मामलों में आवंटन निरस्त नहीं किये गये।

(अनुच्छेद 4.2.7)

- 8,607 अतिक्रमी जो 97,526 बीघा माप की भूमि पर काबिज थे की बेदखली हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं करने के परिणामस्वरूप राजकीय राजस्व के 44.74 करोड़ रुपये अवरूद्ध रहे।

(अनुच्छेद 4.2.9)

- 78,965.20 बीघा माप की भूमि के असिंचित से सिंचित में रूपान्तरित हो जाने पर उसकी कीमत की अन्तर राशि के 133.41 करोड़ रुपये की कृषकों से वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 4.2.10)

- 9,479.55 बीघा माप की कृषि भूमि की कीमत निम्न दर से निर्धारित करने के परिणामस्वरूप 8.89 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.2.11)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

1993 से 2003 तक की अवधि के दौरान मांगी गई मात्रा के विरूद्ध प्रत्येक वर्ष में मुद्रांकों की लगातार कम आपूर्ति की गई जो 30 से 78 प्रतिशत थी।

(अनुच्छेद 5.2.3)

मुद्रांक विक्रेता स्टाक एवं इश्यु रजिस्टर का संधारण निर्धारित प्रपत्र में नहीं कर रहे थे तथा विक्रेताओं के अभिलेखों की नियमित जांच नहीं की जा रही थी।

(अनुच्छेद 5.2.6)

राज्य के बाहर के विक्रेताओं/जीवन बीमा निगम के मण्डलीय कार्यालयों से मुद्रांक क्रय करने के कारण 5.86 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.2.9)

अनुश्रवण कमजोर एवं अनियमित था क्योंकि कोषालयों एवं लोक कार्यालयों का पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के पदीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित निरीक्षणों का अभाव था।

(अनुच्छेद 5.2.11)

हस्तान्तरण विलेखों द्वारा हस्तान्तरित सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के कुल 1.21 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.3.1)

VI. कर-इतर प्राप्तियाँ

अः सिंचाई विभाग

'जल प्रभारों के निर्धारण एवं संग्रहण' पर समीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकट हुएः-

- पीने एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ जलापूर्ति के लिये जल प्रभारों के समय-समय पर बकाया पर ब्याज सहित 32.89 करोड़ रुपये आरोपित नहीं किये गये।

(अनुच्छेद 8.2.6)

- सिंचाई खतौनियों (कृषक-वार जल प्रभारों के मांग पत्र) के असंधारण एवं मांग कायम नहीं करने के परिणामस्वरूप सिंचाई प्रभारों के कुल 9.08 करोड़, रुपये की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 8.2.7)

- पानी के अनुपयोग एवं क्षति के परिणामस्वरूप 8.61 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(अनुच्छेद 8.2.9)

- करार में जल प्रभारों के संशोधन हेतु प्रावधान करने में सरकार के असफल रहने के परिणामस्वरूप कम से कम 13.14 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 8.2.10)

ब. खान एवं पेट्रोलियम विभाग

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस हेतु पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञा शुल्क तथा खनन पट्टे की बढ़ी हुई राशि की मांग कायम नहीं करने के परिणामस्वरूप 2.73 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 8.4)

खनिज के अनाधिकृत उत्खनन के परिणामस्वरूप 3.02 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 8.5)

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

1.1.1 राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग और सहायतार्थ अनुदान और गत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़े नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
I.	**राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व**					
	(क) कर राजस्व	4,530.90	5,299.96	5,671.17	6,253.34	7,246.18
	(ख) कर-इतर राजस्व	1,573.77	1,687.98	1,508.46	1,569.00	2,071.64
	योग	**6,104.67**	**6,987.94**	**7,179.63**	**7,822.34**	**9,317.82**
II.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	(क) विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग	2,184.84	2,836.61	2,882.36	3,063.10	3,602.22
	(ख) सहायतार्थ अनुदान	1,500.10	2,577.23	2,091.30	2,196.42	2,503.80
	योग	**3,684.94**	**5,413.84**	**4,973.66**	**5,259.52**	**6,106.02**
III.	**राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (I और II)**	**9,789.61**	**12,401.78**	**12,153.29**	**13,081.86**	**15,423.84**[1]
IV	**I से III का *प्रतिशत***	**62**	**56**	**59**	**60**	**60**

[1] ब्यौरे के लिए, कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2003-04 के वित्त लेखे की 'विवरणी संख्या-11-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे' देखें। वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व' के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, '0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032-सम्पदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 0044-सेवा कर एवं 0045-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क-शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य को दिया गया भाग' के आंकड़ों को उपरोक्त विवरण में राज्य द्वारा वसूल किये गए राजस्व में से घटाया गया है एवं विभाजित होने वाले संघीय करों में 'राज्य का भाग' जोड़ा गया है।

1.1.2 वर्ष 2003-04 के दौरान वसूल किये गए कर राजस्व का विवरण गत चार वर्षों के आंकडों सहित नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2003-04 में 2002-03 पर *प्रतिशत* वृद्धि (+)/कमी (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	(क) बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2,279.83	2,644.51	2,869.23	3,229.79	3,751.80	(+) 16
	(ख) केन्द्रीय बिक्री कर	144.69	176.70	199.80	208.11	233.63	(+) 12
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	960.81	1,118.48	1,110.27	1,142.34	1,163.15	(+) 2
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	376.77	436.73	478.89	515.73	611.77	(+) 19
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	193.67	251.90	250.88	239.85	280.29	(+) 17
5.	वाहनों पर कर	455.48	511.30	566.33	646.14	904.31	(+) 40
6.	यात्रियों एवं माल पर कर	8.45	19.55	23.10	130.44	150.50	(+) 15
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर कर	-	10.99	15.56	17.23	20.11	(+) 17
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	49.42	52.89	54.04	47.12	46.85	(-) 1
9.	भू-राजस्व	35.09	44.81	79.17	57.98	71.44	(+) 23
10.	अन्य कर	26.69	32.10	23.90	18.61	12.33	(-) 34
	योग	**4,530.90**	**5,299.96**	**5,671.17**	**6,253.34**	**7,246.18**	

वर्ष 2002-03 की तुलना में वर्ष 2003-04 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कमी के कारण, जो विभागों द्वारा सूचित किये गए हैं, नीचे दिये जा रहे हैं:-

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर:-विभाग द्वारा कर अपवंचन रोकथाम तथा वसूली प्रयास के कारण वृद्धि (क्रमशः 16 *प्रतिशत* तथा 12 *प्रतिशत*) हुई है।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क:-पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के विरूद्ध लेखापरीक्षा द्वारा इंगित राशि की वसूली (19.40 करोड़ रुपये) एवं अन्य पुरानी वसूलियों के कारण वृद्धि (19 *प्रतिशत*) हुई।

विद्युत पर कर एवं शुल्कः-सरकार से आर्थिक सहायता की प्राप्ति के कारण वृद्धि (17 *प्रतिशत*) हुई।

वाहनों पर करः-राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से विशेष पथ कर की नकद वसूली एवं पुस्तकीय समायोजन तथा राष्ट्रीय अनुमति पत्रों पर संयुक्त शुल्क की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण वृद्धि (40 *प्रतिशत*) हुई।

यात्रियों एवं माल पर करः-माल पर प्रवेश शुल्क में अधिक संग्रहण के कारण वृद्धि (15 *प्रतिशत*) हुई।

आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर करः-वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि के कारण वृद्धि (17 *प्रतिशत*) हुई।

भू-राजस्वः-भूमि की बिक्री से आय के कारण वृद्धि (23 *प्रतिशत*) हुई।

1.1.3 वर्ष 2003-04 के दौरान राज्य द्वारा वसूल किया गया, मुख्य कर-इतर राजस्व का विवरण गत चार वर्षों के आंकडों सहित नीचे दिया जा रहा हैः-

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2003-04 में 2002-03 पर प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	670.42	589.55	583.77	607.04	685.12	(+) 13
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	22.98	37.02	44.82	41.63	39.53	(-) 5
3.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	349.53	370.13	412.98	449.38	513.70	(+) 14
4.	विविध सामान्य सेवाएं	138.78	241.92	46.23	43.88	340.50	(+) 676
5.	ऊर्जा	-	0.10	0.02	1.40	0.02	(-) 99
6.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	40.88	36.48	18.43	20.74	43.23	(+) 108
7.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	12.38	16.13	24.57	22.40	16.28	(-) 27
8.	सहकारिता	4.45	7.33	6.79	7.90	6.93	(-) 12
9.	सार्वजनिक निर्माण	19.14	22.33	17.49	19.69	16.45	(-) 16
10	पुलिस	46.38	57.43	48.66	57.59	46.16	(-) 20
11.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	52.82	43.65	34.76	38.21	50.65	(+) 33
12.	अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ	216.01	265.91	269.94	259.14	313.07	(+) 21
	योग	**1,573.77**	**1,687.98**	**1,508.46**	**1,569.00**	**2,071.64**	

ब्याज प्राप्तियाँ:-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण वृद्धि (13 *प्रतिशत*) हुई।

अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग:--ठेको से अतिरिक्त प्राप्तियों एवं झामर कोटरा खदानों की पट्टा राशि की दरों में वृद्धि के कारण वृद्धि (14 *प्रतिशत*) हुई।

सार्वजनिक निर्माण:-*प्रतिशत* प्रभार के खातें में कम प्राप्ति के कारण कमी (16 *प्रतिशत*) हुई।

पुलिस:-अन्य सरकारों को पुलिस निर्गमन खाते में कम प्राप्ति के कारण कमी (20 *प्रतिशत*) हुई।

विविध सामान्य सेवाऐं :-विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत असामान्य वृद्धि (676 *प्रतिशत*) का कारण 'अन्य प्राप्तियाँ' शीर्ष में वृद्धि था। संबंधित प्राप्तियों का विवरण एवं उसमें असामान्य वृद्धि के कारण ना तो सरकार/विभाग द्वारा सूचित किये गये थे, न ही अभिलेखों पर थे।

इसके अतिरिक्त अन्य शीर्षों के संबंध में जहाँ कहीं भी अन्तर अधिक था उसके कारण यद्यपि माँगे गये (जनवरी/फरवरी 2005) जो सूचित नहीं किये गये।

1.2 संशोधित अनुमानों और वास्तविक आंकडों में अन्तर

वर्ष 2003-04 के लिए कर एवं कर-इतर राजस्व के मुख्य शीर्षों से संबंधित संशोधित अनुमानों और वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के अन्तर नीचे दिये गए है:

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक	अन्तर वृद्धि (+) कमी (-)	बजट अनुमानों के संदर्भ में अन्तर का *प्रतिशत*
कर राजस्व					
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	4,200.00	3,985.43	(-) 214.57	(-) 5
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,240.00	1,163.15	(-) 76.85	(-) 6
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	700.00	611.77	(-) 88.23	(-) 13
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	279.90	280.29	(+) 0.39	-
5.	वाहनों पर कर	852.10	904.31	(+) 52.21	(+) 6
6.	भू-राजस्व	95.08	71.44	(-) 23.64	(-) 25
7.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	5.00	11.99	(+) 6.99	(+) 140
	योग	**7,372.08**	**7,028.38**	**(-) 343.70**	**(-) 5**

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक	अन्तर वृद्धि (+) कमी (-)	बजट अनुमानों के संदर्भ में अन्तर का *प्रतिशत*
कर इतर राजस्व					
1.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	532.08	513.70	(-) 18.38	(-) 3
2.	ब्याज प्राप्तियां	702.19	685.12	(-) 17.07	(-) 2
3.	विविध सामान्य सेवाऐं	90.70	340.50	(+) 249.80	(+) 275
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	36.56	39.53	(+) 2.97	(+) 8
5.	पुलिस	67.79	46.16	(-) 21.63	(-) 32
	योग	1,429.32	1,625.01	(+) 195.69	(+) 14

मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्कः-सूखे के कारण कमी (13 *प्रतिशत*) हुई।

भू-राजस्वः- स्थानीय निकायों/नगर सुधार न्यासों द्वारा रूपान्तरण शुल्क की कम जमा के कारण कमी (25 *प्रतिशत*) हुई।

कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर करः- विद्युत कम्पनियों के विरूद्ध बकाया की वसूली के कारण वृद्धि (140 *प्रतिशत*) हुई।

विविध सामान्य सेवाऐं :-विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत असामान्य वृद्धि (275 *प्रतिशत*) का कारण 'अन्य प्राप्तियाँ' शीर्ष में वृद्धि था। संबंधित प्राप्तियों का विवरण एवं उसमें असामान्य वृद्धि के कारण ना तो सरकार/विभाग द्वारा सूचित किये गये थे न ही अभिलेखों पर थे।

इसके अतिरिक्त अन्य शीर्षों के संबंध में जहाँ कहीं भी अन्तर अधिक था उसके कारण यद्यपि माँगे गये (जनवरी/फरवरी 2005) जो सूचित नहीं किये गये।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों में सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर किया गया व्यय और सकल संग्रहण के लिए किये गए ऐसे व्यय का *प्रतिशत*, वर्ष 2002-03 के लिए संबंधित अखिल भारतीय औसत *प्रतिशत* के

साथ नीचे दिया गया हैः-

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	वर्ष 2002-03 के लिये अखिल भारतीय औसत का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2001-02	3,069.03	32.60	1.1	1.18
		2002-03	3,437.90	32.69	1.0	
		2003-04	3,985.43	37.05	0.9	
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2001-02	1,024.68	19.13	1.9	2.92
		2002-03	1,142.34	18.60	1.6	
		2003-04	1,163.15	19.82	1.7	
3.	वाहनों पर कर	2001-02	566.33	10.07	1.8	2.86
		2002-03	646.14	10.27	1.6	
		2003-04	904.31	11.49	1.3	
4.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	2001-02	478.89	10.11	2.1	3.46
		2002-03	515.73	10.40	2.0	
		2003-04	611.77	11.23	1.8	

1.4 बिक्री कर का प्रति करदाता संग्रहण

(लाख रुपयों में)

वर्ष	करदाताओं की संख्या	बिक्री कर राजस्व	प्रति करदाता राजस्व
1999-2000	1,68,429	2,42,452	1.44
2000-2001	1,79,418	2,82,121	1.57
2001-2002	1,87,281	3,06,903	1.64
2002-2003	2,19,052	3,43,790	1.57
2003-2004	2,09,216[2]	3,98,543	1.90

[2] करदाताओं की संख्या टिन नम्बर (वास्तविक व्यापारी) आवंटन के कारण कम हुई थी।

1.5 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2004 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के संबंध में राजस्व की बकाया की राशि 2,417.49 करोड़ रुपये थी जिसमें से 418.31 करोड़ रुपये 5 वर्ष से अधिक समय से बकाया थे, जिसका विवरण नीचे दिया है:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2004 को बकाया राशि	पांच वर्षों से अधिक बकाया राशि	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.
01.	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	1,705.17	262.50	1,705.17 करोड़ रुपयों में से 310.74 करोड़ रुपये की मांगें न्यायालय एवं न्यायिक अधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 94.23 करोड़ रुपये की मांग भू-राजस्व अधिनियम तथा राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों के द्वारा आच्छादित थी। 46.75 करोड़ रुपये की वसूली व्यापारियों के दिवालिया घोषित होने के कारण रोकी गई। 5.92 करोड़ रुपये की मांग अपलिखित होने की संभावना है। 164.99 करोड़ रुपये की माँग व्यापारियों जिनका पता नहीं चल सका के विरूद्व बकाया थी। 1,082.54 करोड़ रुपये बकाया की वसूली विभिन्न स्तरों पर थी।
02.	राज्य उत्पाद शुल्क	211.19	50.01	सभी मांगें भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व वसूली प्रमाण-पत्रों के द्वारा आच्छादित थीं।
03.	वाहनों पर कर	16.69	8.28	16.69 करोड़ रुपयों में से 2.42 करोड़ रुपयों की मांगें न्यायालय/सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई। 0.76 करोड़ रुपये की मांगें भू-राजस्व अधिनियम तथा पी डी आर अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्रों के द्वारा आच्छादित थी। 13.51 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के विभिन्न स्तरों पर थीं।
04.	यात्रियों एवं माल पर कर	1.90	1.90	परिवहन विभाग द्वारा वसूली के स्तर सूचित नहीं किए गए।
05.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	43.67	6.46	43.67 करोड़ रुपयों में से 17.42 करोड़ रुपये की मांगें वसूली प्रमाण-पत्रों से आवृत थीं। 24.99 करोड़ रुपये की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 1.26 करोड़ रुपये की मांग आवेदन पत्रों में संशोधन/समीक्षा के कारण रोकी गई।
06.	भू-राजस्व	68.53	21.27	68.53 करोड़ रुपयों में से 5.77 करोड़ रुपये की मांगें सरकार द्वारा रोक दी गई थीं एवं 4.87 करोड़ रुपये की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 57.89 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के विभिन्न स्तरों पर थीं।

1.	2.	3.	4.	5.
07.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	94.22	12.17	94.22 करोड़ रुपयों में से 28.44 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय/न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा एवं 4.60 करोड़ रुपये की मांगें सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई। 2.44 करोड़ रुपये की बकाया आवेदन पत्रों में संशोधन/समीक्षा के कारण रोकी गई। 13.08 करोड़ रुपये वसूली प्रमाण पत्रों से आवृत्त तथा 45.66 करोड़ रुपये वसूली के विभिन्न स्तरों पर थीं।
08.	ग्रामीण/शहरी जलापूर्ति योजनाओं से जलापूर्ति एवं सफाई प्राप्तियाँ	47.83	16.14	47.83 करोड़ रुपयों में से 0.31 करोड़ रुपये की मांगें उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों के द्वारा एवं 0.07 करोड़ रुपये सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई। 1.62 करोड़ रुपयों की मांगें अपलिखित होने की संभावना थी। 0.11 करोड़ रुपये की बकाया आवेदन पत्रों में संशोधन/समीक्षा के कारण रोके गये। 0.08 करोड़ रुपये वसूली प्रमाणपत्रों से आवृत थे एवं 45.64 करोड़ रुपये वसूली के विभिन्न स्तरों पर थे।
09.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	62.98	28.32	62.98 करोड़ रुपयों में से 20.49 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा तथा 2.75 करोड़ रुपये की मांगें सरकार द्वारा स्थगित कर दी गईं। 26.09 करोड़ रुपये की मांगें वसूली प्रमाण पत्रों से आवृत थी। 0.20 करोड़ रुपये की बकाया के अपलिखित होने की संभावना थी। 0.08 करोड़ रुपये आवेदन पत्रों में संशोधन/समीक्षा के कारण रोके गए एवं 2.93 करोड़ रुपये व्यापारियों के दिवालिया घोषित होने के कारण रोके गए। 10.44 करोड़ रुपये की बकाया की वसूली विभिन्न स्तरों पर थी।
10.	विविध सामान्य सेवाऐं- भूमि की बिक्री	88.37	3.00	88.37 करोड़ रुपये में से 0.03 करोड़ रुपये की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। शेष 88.34 करोड़ रुपये की राशि भूमि के आवंटनधारियों से वसूली हेतु बकाया थी।
11.	[3]वृहद एवं मध्यम सिंचाई	76.94	8.26	76.94 करोड़ रुपयों में से 27.05 करोड़ रुपये की वसूली जैसाकि राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सूचित किया गया, सरकार के आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2003 तथा 24 जनवरी 2004 द्वारा आस्थगित की गई। 49.89 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के विभिन्न स्तरों पर लम्बित थी।
	योग	**2,417.49**	**418.31**	

[3] यह सूचना राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर; आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल, कोटा; मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, राजस्थान जयपुर तथा मुख्य अभियंता इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर से संबंधित है।

1.6 कर निर्धारणों में बकाया

वर्ष 2003-04 के आरंभ में लम्बित कर निर्धारणों के मामले, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य मामले, वर्ष के दौरान निपटाये गये मामले और वर्ष 2003-04 के अन्त में लम्बित मामलों का विवरण, जैसा कि विभागों द्वारा प्रेषित किया गया, नीचे दिया गया है:-

राजस्व शीर्ष	प्रारंभिक शेष	निर्धारण हेतु बकाया नये प्रकरण	योग	निपटाये गये प्रकरण	शेष	कालम 5 का 4 पर प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
वित्त विभाग						
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	78	3,08,558	3,08,636	2,27,290	81,346	73.66
मनोरंजन कर	2,573	2,527	5,100	3,040	2,060	120.30
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	30,738	शुन्य	30,738	4,508[4]	26,230	5.64
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	5,439	4,195	9,634	1,920	7,714	45.77

कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर:-अचल सम्पत्ति पर कर से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण निम्न दर से होने के कारण मुख्यतः भूमि एवं भवन कर को समाप्त करने के साथ-साथ संबंधित विभाग को 1 अप्रैल 2003 से बन्द कर दिया गया है।

1.7 कर का अपवंचन

वर्ष 2003-04 में विभागों द्वारा कर अपवंचन के पता लगाये गये मामले, अन्तिम रूप दिये गये मामले तथा अतिरिक्त कर की मांग कायमी का विवरण जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2003 को प्रारम्भिक शेष	पता लगाये गये मामले	योग	निर्धारण/अन्वेषण पूर्ण किये गये तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग कायम शुदा मामले		31 मार्च 2004 को बकाया मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (करोड़ रुपयों में)	
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	700	6,761	7,461	7,006	34.77	455
2.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	5,343	567	5,910	580	सूचित नहीं किया	5,330
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	20,561	9,870	30,431	12,987	सूचित नहीं किया	17,444

[4] 4508 मामलों के निस्तारण में 2,774वें मामले सम्मिलित हैं जिन्हें दोहरे/तिहरे फाइलों को एकजायी करने तथा कुछ कर मुक्त फाइलों के कारण शेष में से कम कर दिये गये थे।

1.8 राजस्व का अपलेखन एवं अधित्याग

वर्ष 2003-04 के दौरान 963.63 लाख रुपये की मांग (4,728 मामलों में) अपलिखित/माफ/प्रेषण की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या	राशि	कारण
1.	वाणिज्यिक कर	2,138	699.72	मृत्यु के कारण, चल/अचल सम्पत्ति नहीं होने के कारण माफ की गई।
2.	आबकारी	2	27.41	अन्य कारणों के कारण माफ/अपलिखित की गई।
3.	पंजीयन एवं मुद्रांक	2,588	236.50	1,374 प्रकरणों में दण्ड की राशि 108.82 लाख रुपये माफ की गई तथा 1,214 प्रकरणों में 127.68 लाख की राशि अन्य कारणों से माफ/अपलिखित की गई।
	योग	**4,728**	**963.63**	

1.9 प्रतिदाय

वर्ष 2003-04 के प्रारम्भ में बकाया प्रतिदाय के मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान प्रतिदाय दिये गये मामलों तथा वर्ष 2003-04 के अन्त में बकाया मामलों की संख्या जैसी की विभागों द्वारा सूचित की गई है, नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपयों में)

विभाग का नाम	प्रारंभिक शेष		प्राप्त दावे		अनुमत्य दावे		अन्तिम शेष	
	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि
वाणिज्यिक विभाग	487	3.31	2,534	24.43	2,175	20.43	846	7.31
पंजीयन एवं मुद्रांक	1,722	1.24	1,033	1.29	838	1.23	1,917	1.30
भू-राजस्व	18	0.07	52	0.28	51	0.28	19	0.07
उपनिवेशन	21	0.04	70	0.18	54	0.12	37	0.10
भूमि एवं भवन कर	6	0.05	36	0.80	24	0.05	18	0.80
योग	**2,254**	**4.71**	**3,725**	**26.98**	**3,142**	**22.11**	**2,837**	**9.58**

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा देर से वापसी के कारण 223 प्रकरणो में 3.46 करोड़ रुपये तथा अन्य कारणों से जिनका उल्लेख नहीं किया गया था, 597 प्रकरणों में 1.64 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार यह विदित होगा कि वर्ष समाप्ति पर रहा अवशेष वर्ष के प्रारंभ पर रहे बकाया शेष से 103 *प्रतिशत* अधिक था।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003-04 के दौरान बिक्री कर, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ एवं अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ की मापक जांच में 18,459 मामलों में 715.87 करोड़ रुपयों की राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण तथा राजस्व हानि का पता चला। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण के 69.03 करोड़ रुपये की राशि के 21,723 मामले स्वीकार किये गये। शेष मामलों के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज एवं शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित दो समीक्षाओं सहित 31 अनुच्छेद, जिनमें 381.48 करोड़ रुपये निहित है, सम्मिलित किए गए हैं। सरकार/विभागों ने सितम्बर 2004 तक 220.98 करोड़ रुपयों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की हैं जिसमें से 29.13 करोड़ रुपये वसूल हो चुके हैं। अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.11 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

करों, शुल्कों, फीस आदि का अवनिर्धारण, कम निर्धारण/वसूली और प्रारंभिक लेखों के रख-रखाव में त्रुटियां जिनका मौके पर निस्तारण नहीं हुआ है, निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों को सूचित किए जाते हैं। अधिक महत्व की अनियमितताऐं भी निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से कार्यालय महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) द्वारा सरकार/विभागों को सूचित की जाती हैं, जिसके प्रथम उत्तर इनके प्रेषण होने के एक माह में भेजे जाने होते हैं।

31 दिसम्बर 2003 तक जारी किये गये राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जो 30 जून 2004 को विभागों से निपटारे हेतु बकाया थे, गत दो वर्षों के आंकडों सहित नीचे दिये गये हैं

क्र. सं.	विवरण	30 जून को		
		2002	2003	2004
1.	निपटारे हेतु बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,818	2,914	2,971
2.	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	7,178	6,102	7,477
3.	निहित राजस्व राशि (करोड़ रुपयों में)	814.77	892.82	1,117.84

30 जून 2004 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागानुसार विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	विभाग	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)	सर्वप्रथम वर्ष जिससे निरीक्षण प्रतिवेदन संबिंधत है	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनके प्रथम बार भी उत्तर प्राप्त नहीं हुए
1.	वाणिज्यिक कर	600	1,728	130.08	1989-90	-
2.	भू-राजस्व	672	1,169	290.21	1987-88	11
3.	पंजीयन एवं मुद्रांक	784	1,536	48.40	1990-91	85
4.	परिवहन	375	1,276	47.66	1995-96	-
5.	वन	174	409	4.32	1995-96	-
6.	खान एवं भू-विज्ञान	140	501	138.71	1988-89	22
7.	राज्य उत्पाद शुल्क	104	304	427.68	1997-98	-
8.	भूमि एवं भवन कर	97	498	29.68	1991-92	1
9.	विद्युत निरीक्षण	25	56	1.10	1995-96	-
	योग	**2,971**	**7,477**	**1,117.84**		119

उपरोक्त स्थिति अक्टूबर 2004 में सरकार के ध्यान में लाई गई।

1.12 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

प्रत्येक विभाग द्वारा, एक वर्ष में दो बार छमाही आधार पर क्रमशः जून एवं दिसम्बर तक, लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित करनी थी। वर्ष 2003 के दौरान विभाग-वार आयोजित बैठकों की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विभाग का नाम	2003 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		
		जून 2003 को समाप्त छमाही	दिसम्बर 2003 को समाप्त छमाही	योग
1.	वाणिज्यिक कर	शुन्य	शुन्य	शुन्य
2.	आबकारी	शुन्य	शुन्य	शुन्य
3.	परिवहन	1	शुन्य	1
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	शुन्य	शुन्य	शुन्य
5.	भूमि एवं भवन कर	शुन्य	शुन्य	शुन्य
6.	भू राजस्व	शुन्य	1	1
7.	खान एवं भू गर्भ विज्ञान	शुन्य	1	1
	योग	**1**	**2**	**3**

उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि वर्ष 2003 में 14 बैठकें होनी आवश्यक थी जिसके विरूद्ध केवल तीन बैठकें (21 *प्रतिशत*) ही आयोजित की गई थी।

वाणिज्यिक कर, आबकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा भूमि एवं भवन कर विभाग ने वर्ष 2003 के दौरान ऐसी किसी भी बैठक का आयोजन नहीं किया।

1.13 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

वित्त विभाग ने अगस्त 1969 में सभी विभागों को, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर उनकी प्राप्ति से तीन सप्ताह के अन्दर भिजवाने हेतु निर्देश जारी किये थे। ड्राफ्ट अनुच्छेद संबंधित लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा संबंधित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान दिलाये जाने तथा यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे अपने उत्तर तीन सप्ताह में भिजवा दें। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेदों के अन्त में समान रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में सम्मिलित ड्राफ्ट अनुच्छेद संबंधित विभागों के सचिवों को अर्द्ध शासकीय पत्रों के द्वारा मई 2004 एवं अगस्त 2004 के मध्य प्रेषित किये गये थे। जारी किये गये 80 मामलों (31 पैराग्राफ में सम्मिलित) में से 52 मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया।

1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने के तीन माह के अन्दर उसमें सम्मिलित अनुच्छेदों के संबंध में, अपने व्याख्यात्मक पत्रक लेखापरीक्षा द्वारा जांचोपरान्त राजस्थान विधानसभा सचिवालय को प्रेषित करने होते हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये तथा 30 सितम्बर 2004 को चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों की स्थिति परिशिष्ट 'अ' में दर्शायी गई है। इससे विदित होता है कि वर्ष के दौरान 57 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर जन लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1999-2000 तक के प्रतिवेदनों के कोई भी अनुच्छेद जन लेखा समिति में चर्चा हेतु शेष नहीं था तथा वर्ष 2000-01 से 2002-03 की अवधि से सम्बन्धित 88 अनुच्छेद शेष थे।

राजस्थान राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति के लिये वर्ष 1997 में बनाये गये नियम एवं कार्यविधि के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर जन लेखा समिति की

सिफारिशों पर, विधानसभा में प्रस्तुत करने के छः माह के अन्दर क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों को प्रेषित करने हेतु संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगें। बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों की स्थिति परिशिष्ट 'ब' में दर्शायी गयी है। इससे विदित होता है कि बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों की अवधि दो माह से तेरह वर्ष तक रही।

अध्याय-II: बिक्री कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003-04 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच से 2,106 मामलों में 64.88 करोड़ रुपयों के अवनिर्धारण आदि का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर योग्य व्यापारावर्त का निर्धारण नहीं करना	209	2.90
2.	कटौती की अनियमित या गलत स्वीकृति के कारण अवनिर्धारण	102	10.45
3.	कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	401	6.97
4.	अनियमित छूट प्रदान करना	272	27.92
5.	क्रय कर आरोपित नहीं करना	88	0.48
6.	शास्ति/ब्याज आरोपित नहीं करना	174	1.06
7.	अन्य अनियमिततायें	860	15.10
	योग	**2,106**	**64.88**

वर्ष 2003-04 के दौरान विभाग ने 759 मामले जिनमें 9.37 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, में अवनिर्धारणों आदि को स्वीकार किया, जिसमें से 354 मामले जिनमें 2.20 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे वर्ष 2003-04 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने वर्ष 2003-04 के दौरान 84 मामलों में 2.42 करोड़ रुपये वसूल किये जिनमें से 1.15 करोड़ रुपये के 21 मामले वर्ष 2003-04 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को दर्शाने वाले कुछ निदर्शी मामले जिनमें 28.29 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं, आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं:-

2.2 बिक्री कर प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत गलत/अधिक छूट प्रदान करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न बिक्री प्रोत्साहन योजनाएं अधिसूचित की गई। इन योजनाओं के अन्तर्गत उद्योगों को निर्धारित शर्तों के अधीन ग्राह्य छूट प्रदान की जाती है। मापक जांच में पता चला कि 35 मामलों में 17.90 करोड़ रुपये की गलत/अधिक छूट प्रदान की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	वृत्तों का नाम/ इकाइयों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष/ कर निर्धारण का माह	टिप्पणी की प्रकृति	ब्याज सहित राशि
1.	2.	3.	4.	5.
उद्योगों के लिये बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987				
1.	7 वा.क.अ.[1] (15)	1999-2000 एवं 2000-01/ जून 2001 एवं मार्च 2003 के मध्य	पन्द्रह औद्योगिक इकाइयों ने 4.05 करोड़ रुपये कर छूट प्राप्त करने के तुरन्त बाद 1998-99 एवं 2000-01 के मध्य अपना उत्पादन बंद कर दिया। यद्यपि इन इकाइयों को पूरा लाभ प्राप्त करने के उपरांत अगले पाँच वर्षों तक अपना उत्पादन जारी रखना था, किन्तु उनके द्वारा प्राप्त की गई छूट वापस लेने हेतु कार्यवाही नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप कर एवं ब्याज की वसूली नहीं हुई।	904.72
उद्योगों के लिये बिक्री कर नव प्रोत्साहन योजना, 1989				
2.	वा.क.अ. विशेष वृत्त अलवर (1)	2000-01/ जनवरी 2003	एक लघु श्रेणी की इकाई जिसका विस्तार किया गया, अपने स्थाई पूंजी विनियोजन के 100 *प्रतिशत* की छूट की पात्र थी। तथापि, उसे उसकी स्थाई पूंजी विनियोजना के 125 *प्रतिशत* की छूट प्रदान कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप अधिक छूट प्रदान कर दी गई।	11.46
3.	वा.क.अ. भिवाड़ी (1)	2000-01/ मई 2002	एक इकाई ने उसके 8.41 करोड़ रुपये की अनुज्ञेय छूट के बजाय 8.66 करोड़ रुपये की कर छूट प्राप्त की। इसके परिणामस्वरूप अधिक छूट प्रदान कर दी गई।	25.00
4.	वा.क.अ. विशेष-V जयपुर (1)	2000-01/ सितम्बर 2002	एक मध्यम श्रेणी की इकाई जिसका विस्तार किया गया, अपने स्थाई पूंजी विनियोजन के 100 *प्रतिशत* की छूट की पात्र थी। तथापि, उसे उसकी स्थाई पूंजी विनियोजन के 125 *प्रतिशत* की छूट प्रदान कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप अधिक छूट प्रदान की गई।	30.07
5.	वा.क.अ. विशेष अलवर (3)	2000-01/ अप्रैल 2002 एवं जनवरी 2003 के मध्य	तीन खाद्य तेल निर्माण/निकालने वाली इकाइयाँ जिनका विस्तार किया गया, उनके कर दायित्व की 60 *प्रतिशत* की छूट की पात्र थी। तथापि, इन इकाइयों को उनके कर दायत्व की 75 *प्रतिशत* तक की छूट प्रदान कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप अधिक छूट प्रदान की गई।	19.13
6.	वा.क.अ. विशेष अलवर (1)	2000-01/ जून 2002	एक औद्योगिक इकाई, जिसको पुरानी योजना के अन्तर्गत लाभ दिया गया था, ने नई योजना के लिये विकल्प दिया। तथापि, कर निर्धारण अधिकारी ने पुरानी योजना की शेष बची पात्र राशि 30.94 लाख रुपये के बजाय गलत रूप से 38.43 लाख रुपये (30.94 लाख रुपये का 125 *प्रतिशत*) की पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया। इसके परिणामस्वरूप 7.49 लाख रुपये की अधिक छूट प्रदान कर दी गई।	7.49

[1] भिवाड़ी (2), चुरू (5), 'ई' जयपुर (3), झालावाड़ (1), विशेष-I जोधपुर (1), विशेष-II जोधपुर (2) तथा 'बी' श्रीगंगानगर (1)।

1.	2.	3.	4.	5.
7.	वा.क.अ. 'बी' बीकानेर (1)	2000-01/ जनवरी 2003	तिलहन के छिलके अतरने के कार्य (डीकोरटिकेटिंग)[2] में लगा उद्योग योजना के अन्तर्गत बिक्री कर प्रोत्साहन के लिये पात्र नहीं था। तथापि, एक औद्योगिक इकाई को गलत रूप से 5.16 लाख रुपये की छूट प्रदान कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित 10.92 लाख रुपये की हानि हुई।	10.92
उद्योगों के लिये बिक्री कर छूट योजना, 1998				
8.	5 वा.क.अ.[3] (12)	1999-2000 एवं 2000-01/ जनवरी 2002 एवं मार्च 2003 के मध्य	योजना में प्रावधान है कि किसी भी औद्योगिक इकाई को इस योजना के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी यदि वह कर छूट या कर आस्थगन की किसी अन्य विशिष्ट या सामान्य योजना के अन्तर्गत छूट प्राप्त कर रही हो। तथापि, 12 औद्योगिक इकाइयाँ जो 1987/1989 की योजनाओं के अन्तर्गत पहले से ही लाभ प्राप्त कर रही थी को 7.81 करोड़ रुपये की छूट का ओर लाभ स्वीकृत कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप अनियमित लाभ प्रदान कर दिया गया।	780.94
योग	**35**			**1789.73**

चूक जुलाई 2002 एवं मार्च 2004 के मध्य विभाग के ध्यान में लाई गई तथा फरवरी 2003 एवं मार्च 2004 के मध्य सरकार को सूचित की गई, सितम्बर 2004 तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए सिवाए क्र.सं. 2 के मामले में जिसमें जनवरी 2004 में विभाग ने सूचित किया कि इकाई का पात्रता प्रमाण -पत्र संशोधित कर दिया गया है तथा छूट की राशि को निर्धारित सीमा तक सीमित कर दिया गया तथा क्र.सं. 8 के मामले में सितम्बर 2004 में बताया गया कि मामला पुनः विचार हेतु जिला उद्योग केन्द्र श्रीगंगानगर को प्रेषित कर दिया गया है।

2.3 कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत, घोषित वस्तुओं के अतिरिक्त, वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर यदि ऐसी बिक्री निर्धारित घोषणापत्रों से समर्थित है तो 4 *प्रतिशत* की रियायती दर से कर आरोपणीय है अन्यथा, 10 *प्रतिशत* की दर या ऐसे माल के राज्य में क्रय या विक्रय पर संबंधित राज्य के बिक्री कर कानून के अन्तर्गत लगने वाली कर दर, जो भी अधिक हो, से कर आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अधिसूचनाएं जारी करके भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिये भिन्न-भिन्न कर की दरें निर्धारित की। वे वस्तुऐं, जिनके लिये कोई विशिष्ट दर निर्धारित नहीं की गई है, पर इन अधिसूचनाओं में निर्धारित सामान्य अवशिष्ट कर की दर से कर आरोपणीय था। समय-समय पर निर्धारित दर से अधिभार भी आरोपणीय था।

[2] डोकोरटिकेटिंगः तिलहनों के छिलके निकालने की प्रक्रिया।

[3] प्रति-करापवंचन-I जयपुर (1), 'सी' जोधपुर (1), सूरतगढ़ (1), 'बी' उदयपुर (4) तथा विशेष उदयपुर (5)।

दो वृत्तों के कर निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि पांच मामलों में कर की गलत दर लगाने के कारण कर, अधिभार एवं ब्याज के कुल 2.16 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपयों में)

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>वृत्त का नाम/ इकाइयों की संख्या</th><th>कर निर्धारण वर्ष/ कर निर्धारण का माह</th><th>वस्तु</th><th>व्यापारावर्त</th><th>कर, अधिभार एवं ब्याज का कम आरोपण</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><th>1.</th><th>2.</th><th>3.</th><th>4.</th><th>5.</th><th>6.</th><th>7.</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>वा.क.अ. भिवाड़ी (1)</td><td>1999-2000 तथा 2000-01/
फरवरी 2002 एवं फरवरी 2003</td><td>टोनर</td><td>1,656.23</td><td>113.80</td><td>वस्तु पर 10 प्रतिशत की सामान्य दर से कर आरोपणीय था, किन्तु गलत रूप से चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया।</td></tr>
<tr><td colspan="7">लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर 2003 में इस ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद विभाग/सरकार ने अगस्त 2004 में बताया कि टोनर एक रसायन था तथा उस पर चार प्रतिशत से कर आरोप्य था। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि राजस्थान कर बोर्ड ने यह माना[4] है कि टोनर सामान्य वस्तु की श्रेणी के अन्तर्गत आता है अतः इस पर 10 प्रतिशत से कर देय है। विभाग को तद्नुसार सूचित कर दिया गया। आगे की गई कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2004)।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>वा.क.अ. भिवाड़ी (1)</td><td>1999-2000 (15 जनवरी 2000 से 31 मार्च 2000 तक) एवं 2000-01/
मार्च/मई 2003</td><td>स्पार्क प्लग</td><td>2,384.33</td><td>91.42</td><td>वस्तु पर 12 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था, किन्तु गलत रूप से राज्य के भीतर विक्रय पर छः प्रतिशत की दर से तथा वांछित घोषणापत्रों से असमर्थित अन्तर्राज्यीय/निर्यात विक्रय पर 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया।</td></tr>
<tr><td colspan="7">लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर/अक्टूबर 2003 में इस ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद, विभाग/सरकार ने अगस्त 2004 में सूचित किया कि 89.16 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी थी। आगे की गई कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2004)।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वा.क.अ. विशेष बीकानेर (3)</td><td>1999-2000/
मार्च 2002</td><td>सीमेंट</td><td>79.15</td><td>10.78</td><td>वस्तु की अन्तर्राज्यीय बिक्री वांछित घोषणापत्रों से समर्थित नहीं होने पर 16 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था किन्तु गलत रूप से चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया।</td></tr>
<tr><td colspan="7">लेखपरीक्षा द्वारा जनवरी 2003 में इस ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद विभाग ने अक्टूबर 2003/जुलाई 2004 में सूचित किया कि 13.12 लाख रुपये की मांग (ब्याज सहित) कायम की जा चुकी थी। जिसमें से 8.08 लाख रुपये व्यवसाइयों को प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध छूट सीमा के विरूद्ध समायोजन के द्वारा वसूल किये जा चुके थे। शेष राशि की वसूली पर निर्णय होने तक उच्च न्यायालय का स्थगन है।

मामला सरकार को फरवरी 2003 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2004)।</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>5</td><td colspan="3"></td><td>216.00</td><td></td></tr>
</table>

[4] मै. मोदी ज़िरोक्स ब. वा.क.अ. (एस टी डी बी) (1994) 16 आर टी जे एस 201

2.4 गणना में त्रुटि के कारण अवनिर्धारण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी विभिन्न वस्तुओं के कर योग्य व्यापारावर्त पर प्रभार्य कर की परिशुद्धता को सुनिश्चित करेगा।

चार वृत्तों में कर निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला की चार मामलों में गणना की त्रुटि के कारण कर के कुल 1.20 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	वृत्त का नाम/ इकाइयों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष/ कर निर्धारण का माह	आरोप्य कर	आरोपित कर	कम आरोपित कर	टिप्पणी की प्रकृति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	वा.क.अ. विशेष कोटा (1)	2000-01/ नवम्बर 2002	1,887.47	1,786.47	101.00	सीमेंट के विक्रय पर कर राशि की गणना गलत रूप से 1,887.47 लाख रुपये के विरूद्ध 1,786.47 लाख रुपये की गई।
2.	वा.क.अ. 'सी' जयपुर (1)	2000-01/ जनवरी 2003	6.92	0.69	6.23	37.62 लाख रुपये के कर योग्य व्यापारावर्त पर 18.4 *प्रतिशत* की दर से कर राशि की गणना गलत रूप से 6.92 लाख रुपये के विरूद्ध 0.69 लाख रुपये की गई।
3.	वा.क.अ. विशेष बीकानेर (1)	2000-01/ जनवरी 2003	9.29	3.48	5.81	सीमेंट के विक्रय पर 50.50 लाख रुपये के कर योग्य व्यापारावर्त पर 18.4 *प्रतिशत* की दर से कर राशि की गणना गलत रूप से 9.29 लाख रुपये के विरूद्ध 3.48 लाख रुपये की गई।
4.	वा.क.अ. 'ए' भरतपुर	2001-02/ नवम्बर 2002	11.45	4.64	6.81	खाद्य तेल/खल के विक्रय पर कर राशि की गणना गलत रूप से 11.45 लाख रुपये के विरूद्ध 4.64 लाख रुपये की गई।
योग	4				199.85	

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद विभाग ने जून 2003 एवं जुलाई 2004 के मध्य सूचित किया कि सभी मामलों में आवश्यक मांग कायम की जा चुकी थी तथा जिसे व्यवसाइयों को उपलब्ध छूट सीमा के विरूद्ध समायोजित कर लिया जायेगा।

सरकार ने जुलाई 2004 में दो मामलों में विभाग के उत्तर की पुष्टि की। अन्य दो मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2004)।

2.5 अवधि पार घोषणापत्रों से संबंधित कर योग्य व्यापारावर्त पर कर की रियायती दर से गलत आरोपण

राजस्थान बिक्री कर नियमों में प्रावधान है कि एक व्यवसाई किसी पंजीकृत व्यवसाई को, किसी माल का कच्चे माल के रूप में या निर्माण प्रक्रिया में काम आने वाले सामान के रूप में उपयोग करने के लिये किये गये विक्रय पर रियायती दर पर कर के भुगतान का दावा कर सकता है। अपने दावे के समर्थन में उसे क्रेता व्यवसाई से प्रपत्र एस टी-17 में घोषणापत्र प्राप्त कर, कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे। इसके अतिरिक्त, एस टी-17 प्रपत्र की वैधता 25 मार्च 1999 तक दो वर्ष तथा तत्पश्चात जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा उनको जारी करने की दिनांक से तीन वर्ष है।

जयपुर में यह देखा गया कि 1999-2000 एवं 2001-01 के दौरान तीन व्यवसाइयों ने पट्रोलियम उत्पादों का कच्चे माल के रूप में तथा निर्माण प्रक्रिया में काम आने वाले माल के रूप में क्रमशः तीन *प्रतिशत* एवं चार *प्रतिशत* की रियायती दर से एस.टी.-17 में घोषणा पत्रों के समर्थन पर विक्रय किया। एस.टी.-17 प्रपत्रों की संवीक्षा में पता चला कि कच्चे माल के रूप में किये गये विक्रय के 12.04 करोड़ रुपये के 17 प्रपत्रों तथा निर्माण प्रक्रिया में काम आने वाले माल के रूप में किये गये विक्रय के 10.74 करोड़ रुपये के 32 प्रपत्रों की वैध अवधि समाप्त हो चुकी थी तथा अवैध थे। अतः उक्त विक्रय पर 16 *प्रतिशत* की निर्धारित दर से कर आरोपणीय था। तथापि, व्यवसाइयों के कर निर्धारणों को सितम्बर 2002 एवं मार्च 2003 के मध्य अंतिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारी अवैध घोषणापत्रों को अस्वीकार करने तथा अन्तर कर आरोपित करने में असफल रहे। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित कर के 6.28 करोड़ का कर आरोपित नहीं हुआ।

चूक जनवरी 2004 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा मार्च 2004 में सरकार को सूचित की गई; सितम्बर 2004 तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

2.6 ब्याज एवं शास्ति का अनियमित अधित्याग

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत आयुक्त, किसी व्यवसाई द्वारा आवेदन करने पर तथा ऐसी जांच, जेसा वह उचित समझे करने के बाद तथा ऐसा करने के लिये तथ्यों के अभिलेखन के पश्चात, वह ब्याज या शास्ति या दोनों की राशि, कम/अधित्याजित कर सकते हैं, यदि वह संतुष्ट हो कि व्यवसाई वित्तोय विपत्ति में है तथा मांग का पूर्ण भुगतान करने की स्थिति में नहीं है या उसका भुगतान करने से व्यवसाई को यथार्थ में विपत्ति हो सकती है।

जयपुर मे यह देखा गया (दिसम्बर 2003) कि एक मामले में (मै. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड) वाणिज्यिक कर आयुक्त ने ब्याज एवं शास्ति की 60.64 लाख रुपये की राशि अप्रैल 2002 में अधित्याजित की। तथापि, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह प्रमाणित हो कि व्यवसाई वित्तीय विपत्ति में था तथा मांग का पूर्ण

भुगतान करने की स्थिति में नहीं था या भुगतान करने पर व्यवसाई को यथार्थ में विपत्ति हो सकती थी। अतः अधिनियम में दी गई अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं होने के कारण अधित्याजित राशि को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

चूक जनवरी 2004 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा मार्च 2004 में सरकार को सूचित की गई; सितम्बर 2004 तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

2.7 व्यापारावर्त कर का अनारोपण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने अधिसूचित (30 मार्च 2000) किया कि प्रत्येक पंजीकृत व्यवसाई, जिसका सकल व्यापारावर्त एक वर्ष में 50 लाख रुपये से कम नही है, 0.25 *प्रतिशत* की दर से व्यापारावर्त कर के भुगतान करने का दायी होगा।

झालावाड़ में देखा गया (नवम्बर 2003) कि तीन व्यवसाइयों के मामले में वार्षिक व्यापारावर्त 50 लाख रुपये से अधिक था। तथापि, व्यवसाइयों के वर्ष 2000-01 के निधारणों को जून 2002 में अंतिम रूप देते समय, कर निर्धारण प्राधिकारी उनके 16.81 करोड़ रुपये के सकल व्यापारावर्त पर व्यापारावर्त कर आरोपित करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप कुल 7.95 लाख रुपये के कर (ब्याज सहित) का आरोपण नहीं हुआ।

विभाग/सरकार को दिसम्बर 2003/मार्च 2004 में इस ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद विभाग/सरकार न जुलाई 2004 में सूचित किया कि 8.56 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी थी। सितम्बर 2004 तक वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

2.8 ब्याज का अनारोपण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कार्य संविदा के मामले में संविदादाता द्वारा ठेकेदार के प्रत्येक बिल से निर्धारित दरों से कर के बदले एक राशि की कटौती की जायेगो तथा ऐसी राशि को निर्धारित अवधि के अन्दर सरकारी खाते में जमा कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यवसाई ने कर का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किया है तो वह उस तिथि, जिस तक उसे कर का भुगतान करना था, से भुगतान किये जाने की तिथि तक निर्धारित दर से ब्याज भुगतान करने का दायी होगा।

जयपुर में यह देखा गया (दिसम्बर 2003) कि एक व्यवसाई ने निर्माण कार्य के ठेकेदारों से स्रोत पर कर के रूप में 79.66 लाख रुपयों की कटौती की किन्तु उसे सरकारी खातों में विलम्ब से जमा कराया तथा विलम्ब एक दिन से 18 माह के मध्य था। सितम्बर 2002 में कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारी ने विलम्बित

भुगतान के लिये ब्याज आरोपित नहीं किया, परिणामस्वरूप 6.37 लाख रुपये के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

चूक जनवरी 2004 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा मार्च 2004 में सरकार को सूचित की गई; सितम्बर 2004 तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

अध्याय-III: मोटर वाहनों पर कर

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003-04 के दौरान परिवहन विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच से 8,735 मामलों में 18.02 करोड़ रुपयों के कर, शुल्क एवं शास्ति की कम वसूली का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन शुल्क का भुगतान न करना/कम करना	4,909	9.33
2.	विशेष पथ कर का अवधारण/संगणना न करना/कम करना	1,180	6.29
3.	अन्य अनियमिततायें	2,646	2.40
	योग	**8,735**	**18.02**

वर्ष 2003-04 के दौरान विभाग ने 19,722 मामलों जिनमें 23.12 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, में पथ कर, विशेष पथ कर आदि के कम निर्धारण को स्वीकार किया जिसमें से 4,665 मामले जिनमें 11.36 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे वर्ष 2003-04 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2003-04 के दौरान 1,638 मामलों में 0.36 करोड़ रुपये वसूल किये जिनमें से 0.20 करोड़ रुपये के 129 मामले वर्ष 2003-04 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें 8.62 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं तथा जो महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को उजागर करते हैं आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

3.2 विशेष पथ कर की कम वसूली

राजस्थान मोटर वाहन कर (रा.मो.वा.क.) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत समस्त परिवहन वाहनों पर विशेष पथ कर (वि.प.क.) देय है। जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.) को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित दरों से विशेष पथ कर की संगणना एवं संग्रह करना चाहिये। 14[1] परिवहन कार्यालयों में वर्ष 1998-98 से 2002-03 की अवधि

[1] अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर चित्तौडगढ़, जयपुर, झुन्झुनु, जोधपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहजहाँपुर, श्रीगंगानगर, सीकर और उदयपुर।

के लिये किये गये विशेष पथ कर की संगणना एवं संग्रह की मांपक जांच के दौरान निम्नलिखित उद्घटित हुआः-

3.2.1 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

दिनांक 31 मार्च 1997 की अधिसूचना के अनुसार बेड़ा मालिक के मंजिली वाहनों पर विशेष पथ कर समस्त वाहनों, जिनका उपयोग किया जाता है अथवा जो उपयोग हेतु रखे जाते हैं की लागत की 1.6 *प्रतिशत* की दर से देय है। चैसिस की लागत परिवहन आयुक्त (प.आ.) द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल में अधिसूचित की जाती है।

- यह ध्यान में आया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रा.रा.प.प.नि.) द्वारा वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान 289 नये मंजिली वाहन सम्मिलित किये गए। रा.रा.प.प.नि. द्वारा इन वाहनों पर खरीदे गए माह का कर नहीं चुकाया गया जबकि रा.रा.प.प.नि. के अभिलेखों के आधार पर ये वाहन उस महिने में संचालित किए गए थे। प्रति सत्यापन के प्रावधान के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी (क.नि.अ.) त्रुटि पकड़ नहीं पाये जिसके परिणामस्वरूप 37.68 लाख रुपये कर की अवसूली रही।

- 94,353 मंजिली वाहनों में कर की गणना के लिए, चैसिस की लागत प.आ. द्वारा अधिसूचित लागत से कम ली गई थी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान 1.06 करोड़ रुपये के विशेष पथ कर का कम भुगतान किया गया।

- उन वाहनों पर जिनका पंजीयन प्रमाण पत्र विभाग द्वारा समर्पण के लिए स्वीकार किया गया है उस समर्पण अवधि के लिए कर देय नहीं है। तथापि उड़न दस्ते द्वारा किसी वाहन के समर्पण अवधि में संचालित होते हुए पकड़े जाने पर विशेष पथ कर के साथ में विशेष पथ कर की 5 गुणा राशि शास्ति के रूप में देय होगी।

रा.रा.प.प.नि. द्वारा संधारित डीजल निर्गमन रजिस्टर तथा वाहन-आवक जावक रजिस्टर से परिवहन कार्यालयों के पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण अभिलेखों के प्रति-सत्यापन पर उद्घटित हुआ कि वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के अवधि के दौरान 300 मंजिली वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण अवधि के दौरान संचालित रहे। 53.27 लाख रुपये विशेष पथ कर तथा 2.66 करोड़ रुपये शास्ति यद्यपि आरोपित योग्य होने के बावजूद वसूल नहीं हुए थे परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजकीय राजस्व में कम वसूली हुई। रा.रा.प.प.नि. के अभिलेखों के साथ प्रति सत्यापन के प्रावधानों के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी त्रुटि पकड़ नहीं पाये। विभाग के उड़न दस्ते भी इस अनियमितता को पकड़ पाने में असमर्थ रहे।

- सार्वजनिक सेवा वाहन जो नगरपालिका सीमा में आम जनता को लाने ले जाने के लिए संचालित होते हैं, पर विशेष पथ कर, उन वाहनों की तुलना में जो निजी सेवा वाहन की श्रेणी में फर्म/निगम के व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए संचालित है से कम दर से देय होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आया कि रा.रा.प.प.नि. के अधीन चार बसों के संबंध में विशेष पथ कर शहरी बसों के लिए अधिसूचित दर से वसूल किया गया जबकि ये बसें निगम के कर्मचारियों को लाने ले जाने हेतु संचालित थी। जिसके परिणामस्वरूप 5.57 लाख रुपये कर की कम वसूली हुई।

3.2.2 *अनयमित पंजीकरण के फलस्वरूप निजी सेवा वाहनों से विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली*

मोटर वाहन कर अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत 'निजी सेवा वाहन' का अर्थ है एक ऐसा मोटर वाहन जो चालक के अतिरिक्त छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए निर्मित या बनाया गया हो तथा सामान्यतया जिसका उपयोग स्वयं वाहन स्वामी द्वारा अथवा उसकी ओर से उसके व्यापार अथवा व्यवसाय के संबंध में किराये एवं प्रतिफल के अन्यथा, व्यक्तियों को ले जाने के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसे वाहन परिवहन वाहन होने के कारण 'पी' श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है तथा इस पर विशेष पथ कर देय है। व्यक्तिगत उपयोग हेतु स्वयं के स्वामित्व वाले गैर परिवहन (चार पहिया) वाहन 'सी' श्रेणी में पंजीकृत होना आवश्यक है। ये कर भुगतान से मुक्त है।

10[2] परिवहन कार्यालयों में, 209 निजी सेवा वाहन जो फर्म/कम्पनी में उनके व्यापार के संबंध में उपयोग में आते थे उनका कर मुक्त 'सी' श्रेणी के स्थान पर 'पी' श्रेणी परिवहन वाहनों के अन्तर्गत पंजीकरण होना आवश्यक था। इन वाहनों के संबंध में वसूली योग्य विशेष पथ कर राशि 63.26 लाख रुपये को 1998-99 तथा 2002-03 के मध्य वसूल नहीं किये गये।

त्रुटि विभाग/सरकार के ध्यान में लाई गई उनके उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुए।

3.2.3 *किराये पर संचालित गैर परिवहन वाहनों पर विशेष पथ कर की अवसूली*

राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत 10 सीटर तक गैर परिवहन वाहन पर एक बारीय कर देय है। तथापि अगर ऐसे वाहन किराये अथवा प्रतिफल के बदले संचालित पाये जाते हैं तो इन वाहनों के स्वामी, पूरे वित्तीय वर्ष के लिए जिसके दौरान यह वाहन प्रतिफल अथवा किराये पर संचालित रहा, समान प्रकार के परिवहन वाहनों हेतु अधिसूचित कर भुगतान का दायी होगा। परिवहन विभाग ने अपने परिपत्र सितम्बर 1996 से समस्त अन्य विभागों को यह निर्देश दिये थे कि उनके द्वारा किराये पर लिये वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर का निर्धारण एवं संग्रह कर उसे परिवहन विभाग में जमा करायें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ज.स्वा.अभि.वि.) के लेखों का मोटर यान विभाग के लेखों से प्रति सत्यापन में उद्घटित हुआ कि गैर परिवहन वाहनों की श्रेणी में पंजीकृत 185 वाहन ज.स्वा.अभि.वि. द्वारा किराये पर लिये गए थे। ये वाहन परिवहन वाहनों की तरह माने जाने थे तथा उन पर विशेष पथ कर 13.29 लाख रुपये 1997-98 से

---

[2] अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तोडगढ़, झुन्झुनु, जोधपुर कोटा, श्रीगंगानगर, सीकर तथा उदयपुर।

2002-03 की अवधि के लिए आरोपणीय था जिसे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ना तो निर्धारित किया गया और ना ही संग्रहित किया गया जिसके परिणामस्वरूप राजकीय राजस्व में 1997-98 से 2002-03 की अवधि के लिए 13.29 लाख रुपये की कम वसूली हुई। विभाग के उड़न दस्ते इस चूक को पकड़ नहीं पाये। साथ ही, अन्य विभागों द्वारा किराये पर लिये गये वाहनों पर विशेष पथ कर के निर्धारण एवं संग्रहण पर नियंत्रण हेतु परिवहन विभाग द्वारा किसी भी प्रक्रिया (कार्य प्रणाली) का विकास नहीं किया गया था।

त्रुटि विभाग/सरकार के ध्यान में लाई गई उनका उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

3.2.4 वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग किए गए गैर परिवहन वाहनों से पथ कर की अवसूली

राजस्थान मोटर वाहन (रा.मो.वा.) कर नियम के अनुसार, पंजीकृत सोसाइटियों के शिक्षण संस्थान कर भुगतान से मुक्त है। तथापि मोटर ड्राइविंग स्कूल कर से मुक्त नहीं है।

चार[3] परिवहन कार्यालयों में, 66 मोटर ड्राइविंग स्कूलों ने 1998-99 से 2002-03 के बीच की अवधि के दौरान उनके अधीन 92 वाहनों पर वि.प.क. का भुगतान नहीं किया। चूँकि ये वाहन वाणिज्यिक गतिविधियों में प्रयोग में आते थे इन्हें परिवहन वाहनों की तरह माना जाने योग्य था। तथापि कर निर्धारण अधिकारी ने कर आरोपण के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप 7.54 लाख रुपये के वि.प.क. की अवसूली हुई।

त्रुटि विभाग/सरकार के ध्यान में लाई गई उनके उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुए।

3.3 मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

रा.मो.वा.क. अधिनियम, 1951 एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत समस्त मोटर वाहनों पर जिनका उपयोग राज्य में किया जाता है अथवा जो उपयोग हेतु रखे जाते हैं से मोटर वाहन कर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से आरोपित एवं संग्रहित किया जायेगा। गैर अस्थाई अनुमति पत्र से आच्छादित यात्री वाहनों के संबंध में मो.वा.क. निर्धारित पूरी दर से देय होगा। मंजिली वाहनों के संबंध में वि.प.क. हर माह अग्रिम रूप में माह के सातवें दिन या इससे पूर्व देय है। संविदा वाहनों के संबंध में जहाँ बैठक क्षमता 13 से अधिक परन्तु 22 से अधिक नहीं हो विशेष पथ कर तिमाही देय है तथा जहाँ बैठक क्षमता 22 से भी अधिक होगी वहाँ मासिक रूप से प्रत्येक माह के सातवें दिन या उसके पूर्व देय है।

[3] बीकानेर, जयपुर, कोटा तथा उदयपुर।

24 परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में उद्घटित हुआ कि 853 वाहनों के संबंध में वाहन मालिकों ने मो.वा.क. तथा वि.प.क. का या तो भुगतान नहीं किया या कम भुगतान किया। कर निर्धारण अधिकारी ने बकाया राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

त्रुटि के परिणामस्वरूप 3.01 करोड़ रुपये के मो.वा.क. एवं वि.प.क., जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया है, की अवसूली हुईः-

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	कार्यालयों की संख्या	अवधि	वाहनों के प्रकार	अनियमितता की प्रकृति	कर	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	6 प्रा.प.अ.[4] 6 जि.प.अ.	1999-2000 से 2002-2003	मंजिली वाहन	257 वाहनों ने वि.प.क. या तो कम भुगतान किया या भुगतान ही नहीं किया। कर निर्धारण अधिकारी ने कर वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।	विशेष पथ कर	92.79
टिप्पणीः-सितम्बर 2003 तथा अप्रैल 2004 के मध्य बताये जाने पर विभाग/सरकार ने जुलाई 2004 में बताया कि उदयपुर एवं झुन्झुनु के 15 वाहनों के संबंध में राशि वसूल की जा चुकी थी। शेष कार्यालयों के संबंध में उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुए थे।						
2.	5 प्रा.प.अ.[5] 4 जि.प.अ.	2001-2002 से 2002-2003	संविदा वाहन	45 वाहनों ने वि.प.क. या तो कम भुगतान किया या भुगतान ही नहीं किया। कर निर्धारण अधिकारी ने कर वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।	विशेष पथ कर	71.50
टिप्पणीः-सितम्बर 2003 तथा अप्रैल 2004 के मध्य बताये जाने पर विभाग/सरकार ने जून 2004 में बताया कि झुन्झुनु के 2 वाहनों के संबंध में राशि वसूल की जा चुकी थी। शेष कार्यालयों के संबंध में उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुए थे।						

[4] भीलवाड़ा, चित्तोडगढ़, जयपुर (मंजिली वाहन), झुन्झुनु, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, सीकर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, नागौर एवं अजमेर।

[5] भीलवाड़ा, चित्तोडगढ़, जयपुर (संविदा वाहन), झुन्झुनु, कोटा, श्रीगंगानगर, सीकर, उदयपुर एवं अजमेर।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.	3 प्रा.प.अ.[6]	2000-2001 से 2002-2003	गैर अस्थाई अनुमति पत्र के बगैर यात्री वाहन	112 वाहनों ने मो.वा.क. या तो भुगतान नहीं किया या कम भुगतान किया। कर निर्धारण अधिकारी ने कर वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।	मोटर वाहन कर	58.09
टिप्पणीः-नवम्बर 2003 तथा फरवरी 2004 के मध्य बताये जाने पर विभाग/सरकार ने जुलाई 2004 में बताया कि उदयपुर में एक वाहन के संबंध में राशि वसूल की जा चुकी थी। शेष कार्यालयों के संबंध में उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुए थे।						
4.	2 प्रा.प.अ.[7] 6 जि.प.अ.	2000-2001 से 2002-2003	डम्पर/ टिप्पर	99 वाहनों के संबंध में मो.वा.क. या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया।	मोटर वाहन कर	17.11
टिप्पणीः-जून 2003 तथा अप्रैल 2004 के मध्य बताये जाने पर विभाग/सरकार ने जून/जुलाई 2004 में बताया कि बांसवाड़ा में 5 डम्परों के संबंध में राशि वसूल की जा चुकी थी। शेष कार्यालयों के संबंध में उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुए थे।						
5.	4 प्रा.प.अ.[8] 4 जि.प.अ.	2000-2001 से 2002-2003	एक्सकेवेटर्स/ लोडर्स	118 वाहनों के संबंध में मो.वा.क. भुगतान नहीं किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने कर वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।	मोटर वाहन कर	26.42
टिप्पणीः-सितम्बर 2003 तथा अप्रैल 2004 के मध्य बताये जाने पर विभाग/सरकार ने जून/जुलाई 2004 में बताया कि उदयपुर तथा झुन्झुनु के 6 एक्सकेवेटरों/लोडर्स के संबंध में राशि वसूल की जा चुकी थी। शेष कार्यालयों के संबंध में उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुए थे।						
6.	2 प्रा.प.अ.[9] 3 जि.प.अ.	1997-1998 से 2002-2003	भार वाहन	222 वाहनों के संबंध में मो.वा.क./वि.प.क. भुगतान नहीं किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने कर वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।	मोटर वाहन कर/ विशेष पथ कर	35.56
टिप्पणीः-नवम्बर 2003 तथा अप्रैल 2004 के मध्य बताये जाने पर विभाग/सरकार ने जून/जुलाई 2004 में बताया कि अलवर, करौली तथा बीकानेर में 23 वाहनों के संबंध में राशि वसूल की जा चुकी थी। शेष कार्यालयों के संबंध में उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुए थे।						
योग						**301.47**

[6] अलवर, बीकानेर एवं उदयपुर।

[7] पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, जयपुर (भार वाहन), कोटपुतली, डूँगरपुर, राजसमन्द एवं टोंक।

[8] अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, झुन्झुनु, जोधपुर, करौली, राजसमन्द एवं उदयपुर।

[9] अलवर, बाँरा, बीकानेर, करौली एवं राजसमन्द।

3.4 व्यापारियों से कर की अवसूली/कम वसूली

मोटर वाहन नियमों के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में मोटर वाहनों के स्वामित्व वाले निर्माताओं/व्यवसाइयों/वित्त दाता/बॉडी निर्माता इत्यादि जिन्हें प्राधिकार के अधीन व्यावसायिक प्रमाण पत्र स्वीकृत है अथवा स्वीकृत माना गया है पर राज्य सरकार ने अप्रैल 1997 से कर लगाया। दो पहिया वाहनों के मामले में यह वार्षिक कर प्रत्येक 100 वाहनों या इसके भाग के लिए मार्च 2000 तक तथा उसके बाद क्रमशः 1,000 रुपये एवं 2,000 रुपये की दर से देय था। जबकि तीन या चार पहिया वाहनों के मामले में यह कर प्रत्येक 50 वाहनों या उसके भाग के लिए मार्च 2000 तक तथा उसके पश्चात क्रमशः 2,000 रुपये तथा 4,000 रुपये की दर से देय था।

छः[10] परिवहन कार्यालयों में जुलाई 2003 तथा मार्च 2004 के मध्य यह पाया गया कि 84 व्यावसाइयों/वित्त दाताओं/बॉडी निर्माता/इत्यादि जिनके पास व्यापारिक प्रमाण पत्र थे, ने अप्रैल 1999 तथा मार्च 2003 की अवधि के दौरान उनके द्वारा बिक्रित/वित्त पोषित वाहनों पर निर्धारित कर 7.87 लाख रुपये जमा नहीं कराया गया। इसके साथ ही राजसमन्द के 3 व्यवसाइयों द्वारा न तो व्यापारिक प्रमाण पत्र लिये गये तथा न ही 0.28 लाख रुपये वसूली योग्य कर जमा कराया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप 8.15 लाख रुपये की राशि की अवसूली/कम वसूली हुई।

मामला सरकार को अगस्त 2003 तथा अप्रैल 2004 के मध्य सूचित किया गया; उनका उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

---

[10] कोटा, बाँरा, भीलवाड़ा, जयपुर (गैर-परिवहन), नागौर एवं राजसमन्द।

अध्याय-IV: भू-राजस्व

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003-04 में लेखापरीक्षा के दौरान भू-राजस्व के अभिलेखों की मापक जांच में 4,243 मामलों में 347.98 करोड़ रुपयों के अवनिर्धारण और राजस्व हानि का पता लगा जो मोटे तौर से निम्न श्रेणियों में आते हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	सरकारी भूमि पर अतिचारियों के मामलों का अनियमितिकरण	2,462	2.63
2.	खातेदारों से रूपान्तरण प्रभारों की अवसूली	195	0.62
3.	केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/प्रतिष्ठानों से प्रीमियम और किराये की अवसूली	158	17.88
4.	सिंचित/असिंचित/निष्क्रान्त/सीलिंग आदि भूमि की कीमत की अवसूली	342	8.38
5.	भूमि की कीमत की कम/अवसूली	458	2.16
6.	भूमि के पुन- आवंटन नही होने के कारण राजस्व हानि	55	3.52
7.	अन्य अनियमितताएं	572	26.70
8.	**समीक्षाः उपनिवेशन विभाग की प्राप्तियाँ**	1	286.09
	कुल योग	**4,243**	**347.98**

वर्ष 2003-04 के दौरान विभाग ने 431 मामलों में अन्तर्निहित 5.92 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण स्वीकार किये, जिनमें से 2.18 करोड़ रुपये के 159 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 2003-04 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये। इसके अतिरिक्त विभाग ने वर्ष 2003-04 के दौरान 183 मामलों में 61.29 लाख रुपये वसूल किये जिनमें 41.48 लाख रुपये के 53 मामले वर्ष 2003-04 से संबंधित थे तथा शेष पूर्व वर्षों के थे।

एक निदर्शी मामला तथा **उपनिवेशन विभाग की प्राप्तियाँ** पर समीक्षा के परिणाम जिनमें 218.79 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं:

4.2 समीक्षाः उपनिवेशन विभाग की प्राप्तियाँ

मुख्य मुख्य बिन्दु

1,684 प्रकरणों में भूमि की कीमत के 20.53 करोड़ रुपयों की किश्तों का भुगतान न होने के बावजूद आवंटन निरस्त नहीं किये गये।

(अनुच्छेद 4.2.7)

97,526 बीघा भूमि पर काबिज 8,607 अतिचारियों को बेदखल करने के लिए कदम नहीं उठाने के परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व के 44.74 करोड़ रुपये अवरूद्ध हुए।

(अनुच्छेद 4.2.9)

अनकमान्ड से कमान्ड में परिवर्तित 78,965.20 बीघा भूमि के संबंध में अंतर मूल्य 133.41 करोड़ रुपये कृषकों से वसूल नहीं हुए।

(अनुच्छेद 4.2.10)

9,479.55 बीघा माप की कृषि भूमि का कम दरों पर निर्धारण के परिणामस्वरूप 8.89 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई

(अनुच्छेद 4.2.11)

4.2.1 परिचय

सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना के पश्चात उपनिवेशन क्षेत्रों में आने वाली भूमि के विकास, आवंटन, बिक्री एवं सुव्यवस्थित प्रशासन के लिए राज्य में उपनिवेशन विभाग का सृजन मई 1955 में किया गया था। राजस्थान में असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु छः वृहद सिंचाई परियोजनाएं[1] जो 10 जिलों[2] में फैली हुई हैं, 35 मध्यम एवं 74 लघु सिंचाई परियोजनाएं जो 21 जिलों में फैली हुई हैं।

उपनिवेशन विभाग की प्राप्तियाँ राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954, एवं इसके अधीन बनाये गये विभिन्न आवंटन नियमों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं एवं आदेशों द्वारा विनियमित की जाती है। सरकारी भूमि के आवंटन के लिये आवंटन प्राधिकारी द्वारा विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवंटन प्राधिकारी 25 बीघा तक सरकारी भूमि एक व्यक्ति को आवंटित कर सकता है।

---

1 भाखरा परियोजना, चम्बल परियोजना, गंग नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (इं.गा.न.प.), जवाई परियोजना एवं माही परियोजना।

2 बांसवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, कोटा, पाली एवं श्रीगंगानगर।

4.2.2 संगठनात्मक ढ्रांचा

सर्वोच्च स्तर पर उपनिवेशन विभाग का प्रभारी प्रमुख शासन सचिव है। उपनिवेशन विभाग का प्रशासनिक प्रमुख उपनिवेशन आयुक्त् (सी.सी.) हैं जो उपनिवेशन से संबंधित सभी संक्रियाओं की देखभाल करता है। उसकी तीन अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त[3], तीन उप उपनिवेशन आयुक्त (डी.सी.सी.)[4] और पाँच सहायक उपनिवेशन आयुक्त (ए.सी.सी.)[5] सहायता करते हैं।

इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (इं.गा.न.प.) क्षेत्र की 16 तहसीलों[6] में उपनिवेशन संक्रियाऐं दिसम्बर 1984 में आंशिक रूप से समाप्त हो गई तथा शेष कार्य दिसम्बर 1984 एवं सितम्बर 1998 के मध्य राजस्व तहसीलों को हस्तान्तरित कर दिया गया जिसका नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का कार्य राजस्व मण्डल द्वारा किया जाता था।

4.2.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई किः

- क्या भूमि की कीमत का सही निर्धारण किया गया तथा वसूली निर्दिष्ट नियमों के अनुसार की गई;
- क्या विभिन्न परियोजनाओं में आवंटितियों से नीलामी प्राप्ति, अन्य उपनिवेशन प्राप्तियों एवं भूमि का नियमितिकरण उचित एवं समय पर किया गया;
- क्या सरकारी भूमि पर अनाधिकृत अतिचारियों को बेदखल करने हेतु पर्याप्त कदम उठाये गये;
- देयताओं की वसूली में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता।

4.2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वर्ष 1998-99 से 2002-03 की अवधि के लिए जून 2003 एवं मार्च 2004 के मध्य पाँच वृहद परियोजनाओं[7] (आठ जिलों में[8]) में 54 में से 18 तहसीलों[9] में, तीन में से

---

[3] दो बीकानेर में एवं एक जैसलमेर में।

[4] बीकानेर, नाचना एवं जैसलमेर।

[5] बीकानेर, छत्तरगढ़, कोलायत, मोहनगढ़-**अ** एवं मोहनगढ़-**ब**।

[6] हनुमानगढ़, नौरंगदेसर, रावतसर, सूरतगढ़-I, सूरतगढ़-II, सूरतगढ़-III, रायसिंहनगर, श्री विजयनगर, अनूपगढ़, घड़साना, छत्तरगढ़½ (श्रीगंगानगर जिले का क्षेत्र), बीकानेर, लूणकरणसर, छत्तरगढ़-I, छत्तरगढ़-II (बीकानेर जिले का क्षेत्र) एवं नोहर साहवा।

[7] इं.गां.न.प., भाखरा, गंग नहर, माही एवं चम्बल परियोजना।

[8] बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, कोटा, बून्दी, बांसवाड़ा एवं जोधपुर।

[9] अनूपगढ़, बांसवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, घड़साना, करनपुर, खाजूवाला, कोलायत-I, लाडपुरा (कोटा), लूणकरणसर, मोहनगढ़-I, नोहर, पदमपुर, पीलीबंगा, सादुलशहर, संगरिया, श्रीगंगानगर एवं सूरतगढ़।

दो[10] उप उपनिवेशन आयुक्त, पाँच में तीन[11] सहायक उपनिवेशन आयुक्त, सिंचाई विभाग की तीन परियोजनाओं में[12], छः में से तीन अधीक्षण अभियंताओं[13], 10 में से छः जिला कलक्टर्स[14] तथा उपनिवेशन आयुक्त के अभिलेखों का विस्तृत विवेचन किया गया।

4.2.5 राजस्व की प्रवृत्ति

सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार इं.गा.न.प. क्षेत्र में भूमि विक्रय से आय के बारे में बजट अनुमान एवं वास्तविक आय की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	मूल अनुमानों के क्रम में वृद्धि/कमी का *प्रतिशत*
1.	1998-1999	21.00	24.00	29.48	(+) 40
2.	1999-2000	227.35	125.00	119.35	(-) 48
3.	2000-2001	150.00	50.00	40.80	(-) 72
4.	2001-2002	100.00	25.00	25.49	(-) 75
5.	2002-2003	65.00	26.00	28.54	(-) 56

उक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 1999-2000 से 2002-03 के दौरान राजस्व वसूली का लक्ष्य मूल बजट अनुमानों के अनुरूप प्राप्त नहीं हुआ। कमी का *प्रतिशत* (-) 48 एवं (-) 75 के मध्य रहा।

तालिका के विवरण से आगे पता लगा कि वर्ष 1998-99 को छोड़कर विभाग द्वारा प्रस्तुत मूल बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में कमी रही।

अप्रैल 2004 में यह ध्यान दिलाये जाने के बाद सरकार ने अगस्त एवं अक्टूबर 2004 में बताया कि राज्य में गत चार वर्षों से सूखे की स्थिति तथा नहरों में पानी की कमी के कारण मूल बजट अनुमानों के अनुरूप वसूली संभव नहीं हो सकी इसलिए संशोधित लक्ष्यों में कमी रही।

[10] जैसलमेर एवं नाचना।

[11] कोलायत, छत्तरगढ़ एवं मोहनगढ़-**अ**।

[12] भाखरा, गंग नहर एवं इं.गां.न.प.।

[13] हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं श्री विजयनगर।

[14] बीकानेर, बांसवाड़ा, बून्दी, हनुमानगढ़ कोटा एवं श्रीगंगानगर।

4.2.6 संग्रहण हेतु लम्बित बकाया

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी सूचना के अनुसार संग्रहण हेतु लम्बित बकाया की वर्ष-वार स्थिति निम्न प्रकार थी:-

(करोड़ रुपयों में)

आवंटन की श्रेणी	31.3.1998 तक स्थिति	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	योग
सामान्य आवंटन	1.03	1.36	2.72	8.39	9.59	12.15	35.24
विशेष आवंटन	0.87	0.51	0.99	5.97	8.16	13.91	30.42
नीलामी के द्वारा आवंटन	-	-	-	0.18	0.66	0.59	1.42
योग	**1.90**	**1.87**	**3.71**	**14.54**	**18.41**	**26.65**	**67.08**

विभाग ने जुलाई 2004 में बकाया के लिये राज्य में गत चार वर्षों से सूखे की स्थिति को उत्तरदायी ठहराया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सरकार ने सूखे की अवधि में वसूली स्थगित करने हेतु निर्देश जारी नहीं किये थे।

4.2.7 आवंटन आदेशों का अनिरस्तीकरण

आई.जी.एन.पी. नियम, 1975 के तहत सामान्य आवंटन के प्रकरण में यदि कोई आवंटिती आवंटन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कोई दो लगातार किश्तें जमा कराने में विफल रहता है तो भूमि का आवंटन, आवंटन प्राधिकारी के स्व-विवेक पर निरस्त किये जाने योग्य है। आगे, भूमि के विशेष आवंटन के प्रकरण में आवंटिती के द्वारा किसी किश्त के भुगतान करने में विफल रहने पर आवंटन निरस्त किया जा सकेगा। आवंटन प्राधिकारी द्वारा भूमि आवंटन के निरस्तीकरण पर निगरानी रखने के लिए एक रजिस्टर जिसे 'भूमि आवंटन का निरस्तीकरण (प्रारूप संख्या 22)' कहा जाता है, रखना आवश्यक है।

आवंटन प्राधिकारियों के 5 कार्यालयों[15] के अभिलेखों की मापक जांच में पता लगा कि इस रजिस्टर का संधारण नहीं किया जा रहा था। फलस्वरूप आवंटितियों द्वारा किश्तों का भुगतान नहीं किये जाने के बावजूद आवंटन निरस्त करने के लिए निगरानी नहीं

[15] डी.सी.सी. नाचना, डी.सी.सी. जैसलमेर, ए.सी.सी. मोहनगढ़ 'अ', ए.सी.सी. कोलायत और ए.सी.सी. छत्तरगढ़ (मुख्यालय बीकानेर)।

रखी जा सकी। आवंटन के अनिरस्तिकरण के 1,684 प्रकरणों के परिणामस्वरूप 20.53 करोड़ रुपये की अवसूली थी। विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	आवंटन की श्रेणी	आवंटितियों की संख्या	क्षेत्र बीघा में		आक्षेप की प्रकृति	पुनः आवंटन पर भूमि की कीमत की वसूली होनी शेष
			कमान्ड	अनकमान्ड		
1.	सामान्य आवंटन (16 तहसीलों में[16])	1581	22,487	9,934	भूमि की कीमत की दो समवर्ती किश्तों का भुगतान न होना	15.82
टिप्पणी: अक्टूबर 2003 एवं मार्च 2004 के मध्य यह ध्यान दिलाने के बाद विभाग ने अगस्त 2004 में बताया कि आवंटन आदेश का निरस्तीकरण बाध्यकारी नहीं होकर आवंटन अधिकारी के स्वविवेकाधीन था। आगे यह अताया कि राज्य में अकाल की स्थिति के कारण भूमि के आवंटन को निरस्त नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त आवंटनों का निरस्तीकरण कानूनी वाद का कारण भी हो सकता था। विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आवंटन प्राधिकारी द्वारा स्वविवेकाधीन शक्तियों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया था। संबंधित तहसीलदार द्वारा आवंटन प्राधिकारी को चूक के मामलों में अग्रिम विचार के लिये भूमि का आवंटन निरस्त करने के प्रस्ताव नहीं भेजे।						
2.	विशेष आवंटन (पाँच तहसीलों में)[17]	103	2,107	238	भूमि की कीमत की किश्तों का भुगतान न होना	4.71
टिप्पणी: मामला जुलाई 2004 में विभाग को सूचित किया गया था; अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।						

4.2.8 भूमि तथा भू-खण्डों के आवंटन के लक्ष्य तथा प्राप्तियाँ

31 मार्च 2003 को पाँच वृहद परियोजनाओं के अधीन आवंटन के लिए उपलब्ध कुल भूमि 3.49 लाख हेक्टेयर थी। इन परियोजनाओं में (इं.गा.न.प. के अलावा) भूमि के आवंटन हेतु लक्ष्य तथा प्राप्तियाँ विभाग द्वारा निर्धारित नहीं किये गये थे। इ.गा.न.प. के अन्तर्गत भूमि तथा आवासीय भूखण्डों के लक्ष्यों तथा प्राप्तियों की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

वर्ष	लक्ष्य (इं.गां.न.प.)		प्राप्तियाँ (इं.गा.न.प.)		प्राप्तियों का *प्रतिशत* (इं.गां.न.प.)	
	कृषि भूमि (लाख हेक्टेयर में)	आवासीय भूखण्ड* (संख्या में)	कृषि भूमि (लाख हेक्टेयर में)	आवासीय भूखण्ड (संख्या में)	कृषि भूमि	आवासीय भूखण्ड
1998-99	0.50	14,800	0.35	1,164	70	8
1999-00	0.50	-	0.88	1,280	176	-
2000-01	0.50	-	0.36	980	72	-
2001-02	0.50	-	0.29	388	58	-
2002-03	0.50	10,900	0.15	4,829	30	44

*नोटः-वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के लिये आवासीय भूखण्डों के आवंटन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे।

[16] अनूपगढ़, छत्तरगढ़, हनुमानगढ़, जैसलमेर-I, कोलायत-I, कोलायत-II, खाजूवाला, लूणकरणसर, मोहनगढ़-I, नाचना-I, नाचना-II, पीलीबंगा, पूगल, रामगढ़-I, रामगढ़-II एवं टिब्बी।

[17] कोलायत-I, मोहनगढ़-I, मोहनगढ़-II, मोहनगढ़-III एवं रामगढ़-I

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि (i) गत पाँच वर्षों के दौरान वर्ष 1999-2000 के अलावा कृषि भूमि के आवंटन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया। शेष चार वर्षों के दौरान भूमि के आवंटन के लक्ष्यों की प्राप्तियों का *प्रतिशत* 30 से 72 के मध्य था।

विभाग ने जुलाई 2004 में बताया कि आवासीय भूखण्डों के संबंध में लक्ष्यों की अप्राप्तियों का प्रमुख कारण क्षेत्र में आधारभूत मूल सुविधाओं का अभाव होना था।

4.2.9 राजकीय भूमि का अतिक्रमण

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अनुसार कोई व्यक्ति जो कॉलोनी में ऐसी भूमि पर, जिसका उसके पास कोई अधिकार नहीं है या जो उसके नाम नहीं है या कानूनी प्राधिकरण के बिना काबिज होता है या लगातार काबिज रहता है, अतिचारी होगा तथा कलक्टर द्वारा यथाशीघ्र उस स्थान से उसे बेदखल किया जा सकेगा।

छः जिला कलक्टर्स एवं उपनिवेशन आयुक्त् (सी.सी.) से उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च 2003 को 8,607 प्रकरणों में 97,526 बीघा भूमि अनाधिकृत कब्जे में थी। परियोजनावार विघटन नीचे दिया गया हैः-

परियोजना का नाम	जिले का नाम	प्रकरणों की संख्या	क्षेत्र (बीघा में)	
			कमान्ड	अनकमान्ड
इं.गां.न.प.	श्रीगंगानगर	3,159	-	43,003.65
	हनुमानगढ़	592	7,233.60	-
	उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर	842	-	13,244.35
	बीकानेर	238	75.00	4,206.80
चम्बल	कोटा	1,583	1,210.30	13,746.10
	बून्दी	1,750	-	10,868.00
गंग नहर	श्रीगंगानगर	102	-	1,133.65
भाखरा	श्रीगंगानगर	45	-	398.95
	हनुमानगढ़	73	1,780.80	-
माही	बांसवाड़ा	223	625	-
योग		**8,607**	**10,924.70**	**86,601.50**

अभिलेखों के अवलोकन से पता लगा, यद्यपि भूमि से अतिचारियों को बेदखल किया जा रहा था, परन्तु उन्हीं भूखण्डों पर पुनः अनाधिकृत कब्जा हो रहा था। इसके परिणामस्वरूप 44.74 करोड़ रुपये कीमत की वसूली अवरूद्ध थी।

मई 2004 में इस ओर ध्यान दिलाने के बाद सरकार ने अक्टूबर 2004 में बताया कि 3,726 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है तथा 1,305 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों

में लंबित थे। भूमि बेदखली के 3,726 प्रकरणों में विक्रय/आवंटन के लिये उठाये गये कदमों को सूचित नहीं किया गया। शेष 3,576 प्रकरणों में कार्यवाही अपेक्षित है (अक्टूबर 2004)।

4.2.10 अनकमान्ड से कमान्ड में परिवर्तित भूमि के अन्तर मूल्य की अवसूली

भाखरा, इं.गा.न.प. एवं गंग नहर परियोजना नियमों के अधीन प्रावधानों के अनुसार भूमि अनकमान्ड से कमान्ड होने पर भूमि की अंतर राशि जो इस प्रकार की घोषणा पर देय होती है, लाभान्वित कृषकों से वसूल की जावेगी।

पाँच तहसीलदारों[18] द्वारा उपलब्ध करायी सूचना के अनुसार 32,561.70 बीघा अनकमान्ड[19] भूमि फरवरी 2002 से सिंचित होने पर भी 31 मार्च 2003 तक कमान्ड घोषित नहीं की गई थी। इन क्षेत्रों को कमान्ड घोषित करने हेतु प्रस्ताव भेजने के बारे में अभिलेख कुछ भी नहीं दर्शाते, यद्यपि क्षेत्र को सरकार द्वारा नहरों के माध्यम से सिंचित कर दिया गया था। विभाग की तरफ से कार्यवाही में हुई कमी के परिणामस्वरूप अन्तर राशि के 40.93 करोड़ रुपये को अवसूली रही।

यह मार्च 2004 में ध्यान दिलाये जाने के बाद उपनिवेशन आयुक्त ने जुलाई 2004 में बताया कि दो तहसीलों[20] में कृषकों से 7.72 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। शेष राशि की वसूली की स्थिति अगस्त 2004 तक प्राप्त नहीं हुई।

- मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हनुमानगढ़ ने सिंचाई मंत्री द्वारा 28 मार्च 2000 को रखी बैठक में दिये निर्देशों की पालना में अप्रैल 2000 में सरकार को तीन परियोजनाओं[21] के ऐसे कृषकों का विवरण दिया जिन्हें गत 10 वर्षों या अधिक अवधि से अस्थाई रूप से पानी की आपूर्ति उपलब्ध की जा रही थी। सरकार ने अगस्त 2000 में निर्णय लिया कि इन परियोजनाओं के ऐसे क्षेत्रों में जहां लगातार पिछले 10 वर्षों से पानी की आपूर्ति उपलब्ध थी उन्हें इस शर्त के अधीन स्थायी रूप से पानी की आपूर्ति नियमित की जावे कि ऐसी भूमि के स्वामी, सिंचाई विभाग द्वारा अनकमान्ड को कमान्ड क्षेत्र घोषित करने से पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य का भुगतान करेंगे। तहसीलदारों द्वारा अन्तर राशि के भुगतान के लिये जिम्मेदार ऐसे लाभार्थियों को एक सूची संबंधित जिला कलक्टर्स के पास वसूली हेतु भिजवाना आवश्यक था।

[18] छत्तरगढ़, कोलायत-II, लूणकरणसर, पूगल एवं सूरतगढ़।

[19] कमान्ड एवं अनकमान्ड भूमि से अभिप्राय क्रमशः सिंचाई विभाग द्वारा उसके नवीनतम अधिप्रमाणित कमान्ड एवं अनकमान्ड विवरण में दर्शाये सिंचाई परियोजना के किसी क्षेत्र के संदर्भ से है।

[20] कोलायत-II एवं पूगल।

[21] भाखरा, गंग नहर एवं इं.गां.न.प.।

परियोजनावार लाभार्थियों की संख्या, सिंचित क्षेत्र तथा लाभार्थियों से वसूली योग्य अन्तर राशि निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कृषकों की संख्या	क्षेत्र		भूमि की कीमत (प्रति बीघा)			वसूली योग्य भूमि की अन्तर राशि
			एकड़	बीघा	कमान्ड	अनकमान्ड	अन्तर	
1.	गंग नहर	1,333	6,558.44	10,493.50	0.32	0.06	0.26	27.28
2.	भाखरा	1,517	8,906.25	14,250.00	0.32	0.06	0.26	37.05
3.	इं.गा.न.प.	3,325	13,537.50	21,660.00	0.16	0.03	0.13	28.15
योग		**6,175**	**29,002.19**	**46,403.50**				**92.48**

लेखापरीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया कि दिसम्बर 2002 में सरकार ने गंग नहर परियोजना में क्षेत्र को अनकमान्ड से कमान्ड में रूपान्तरण के आदेश जारी किये। यद्यपि सूची जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को भेज दी थी, लेकिन लाभार्थियों से वसूली नहीं होने के परिणामस्वरूप 27.28 करोड़ रुपये की अवसूली रही। दो अन्य परियोजनाओं के संबंध में सरकार द्वारा अनकमान्ड क्षेत्र को कमान्ड क्षेत्र घोषित करने की सहमति नहीं देने के परिणामस्वरूप 65.21 करोड़ रुपये अवरूद्ध थे।

मई 2004 में यह ध्यान दिलाये जाने के बाद सरकार ने अक्टूबर 2004 में सूचित किया कि व्यक्तिगत प्रकरणों की जांच के बाद कमान्ड एवं अनकमान्ड के मध्य अन्तर राशि वसूल की जावेगी। तथापि, अन्य दो परियोजनाओं में कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2004)।

4.2.11 भूमि की कीमत का कम आरोपण

- सूरतगढ़ तहसील में नियम 13(क) के अधीन विशेष आवंटन के द्वारा बिक्रित भूमि की कीमत सामान्य आवंटन के द्वारा बिक्रित भूमि की कीमत से अधिक थी।

उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, सूरतगढ़ के अभिलेखों की मापक जांच में पता लगा कि मार्च 2000 एवं जुलाई 2002 के मध्य विशेष आवंटन के द्वारा 1,802.30 बीघा भूमि 83 आवंटितियों को विक्रय की गई थी। लेकिन तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा सामान्य आवंटन के द्वारा भूमि के विक्रय पर लागू दर के अनुसार भूमि की कीमत वसूल की थी। इसके परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार 6.62 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई:

(करोड़ रुपयों में)

आवंटितियों की संख्या	क्षेत्र (बीघा में)		वसूली योग्य कीमत	वसूल की गई कीमत	कम वसूल राशि
	कमान्ड	अनकमान्ड			
83	1,157.10	645.20	7.92	1.30	6.62

मार्च 2004 में यह ध्यान दिलाने जाने के बाद सरकार ने अक्टूबर 2004 में बताया कि भूमि नियम 24 के अन्तर्गत आवंटित की गई थी जो कि सामान्य आवंटन था, अतः निम्न दर लगाई गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि नियम 13-क के अधीन

आवंटित की गई थी जिसमें विशेष आवंटन के द्वारा भूमि विक्रय का उल्लेख है, जिस पर उच्च दर लागू होती है।

- राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1984 के नियम 11 के अनुसार भूमि के 'छोटे टुकड़े'[22] का आवंटन पड़ोस की समरूपी भूमि वर्ग की आरक्षित कीमत की दुगुनी कीमत पर किया जावेगा।

दो तहसीलों[23] में ध्यान में आया कि वर्ष 2001-02 से 2002-03 के मध्य 2,495 कृषकों को भूमि के 'छोटे टुकड़े' 4,677 बीघा माप जिसमें 4,675 बीघा कमान्ड तथा दो बीघा अनकमान्ड थी का आवंटन नजदीक की समरूपी वर्ग की भूमि की आरक्षित कीमत की दुगुनी दर के स्थान पर आरक्षित कीमत पर किया गया। इस गलती के परिणामस्वरूप भूमि की कीमत के 1.51 करोड़ रुपये कम वसूल हुए जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	तहसील का नाम	कृषकों की संख्या	क्षेत्र (बीघा में)	वसूली योग्य भूमि की कीमत	मांग कायमी	अन्तर
1.	बांसवाड़ा	499	939.95	0.68	0.34	034
2.	घाटोल	1,996	3,737.00	2.34	1.17	1.17
योग		**2,495**	**4,676.95**	**3.02**	**1.51**	**1.51**

जनवरी 2004 में ध्यान दिलाने के बाद विभाग ने जनवरी 2004 तथा अगस्त 2004 के मध्य में बताया कि उन्हीं कृषकों से आरक्षित कीमत की दुगुनी कीमत वसूली योग्य है जिनकी भूमि ऐसे छोटे टुकड़ों से लगी हुई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नियम 11 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

- राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 12 के अनुसार कलक्टर किसी काश्तकार को उसकी काश्तकारी की भूमि का समस्त या उसके किसी भाग को कॉलोनी क्षेत्र में अन्य भूमि से विनिमय की अनुमति दे सकेगा। तथापि ऐसे विनिमय पर भूमि की अंतर राशि की वसूली का प्रावधान नहीं है।

दो उपनिवेशन कार्यालयों[24] में मई 2000 एवं दिसम्बर 2002 के मध्य 114 कृषकों को उनकी मांग पर पूर्व में कम विकसित क्षेत्र में उनको आवंटित 1,481 बीघा कमान्ड तथा 1,434 बीघा अनकमान्ड माप की भूमि के विनिमय में 2,212 बीघा कमान्ड तथा 112

---

[22] 'छोटा टुकड़ा' से अभिप्राय भूमि का ऐसा टुकड़ा है जो दो एकड़ (पांच बीघा) सिंचित भूमि या चार एकड़ (10 बीघा) असिंचित भूमि के माप का हो।

[23] बांसवाड़ा एवं घाटोल।

[24] डी.सी.सी. नाचना एवं ए.सी.सी. छत्तरगढ़।

बीघा अनकमान्ड माप की भूमि विकसित क्षेत्र में आवंटित की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

(लाख रुपयों में)

कार्यालय का नाम	प्रकरणों की सख्याँ	प्रारंभिक आवंटित क्षेत्र (बीघा में)			विनिमय में आवंटित क्षेत्र (बीघा में)			अन्तर राशि
		कमान्ड	अनकमान्ड	भूमि की कीमत	कमान्ड	अनकमान्ड	भूमि की कीमत	
डी.सी.सी. नाचना	97	1,445	903	29.04	1,925.55	49.85	77.42	48.38
ए.सी.सी. छत्तरगढ़	17	36	531	1.85	286.50	61.90	11.95	10.10
योग	**114**	**1,481**	**1,434**	**30.89**	**2,212.05**	**111.75**	**89.37**	**58.48**

प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप दो क्षेत्रों में बाद की आवंटन तिथि को प्रचलित दर पर आधारित अंतर राशि की अवसूली रही। इसके परिणामस्वरूप 58.48 लाख रुपये की हानि हुई।

- सरकार की अधिसूचना दिनांक 5 जनवरी 1991 के अनुसार विशेष आवंटन के प्रकरण में भूमि की कीमत निर्धारित दर से वसूलनीय थी। उसके बाद प्रति वर्ष 15 *प्रतिशत* वृद्धि विचारणीय होगी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया कि चार उपनिवेशन तहसीलों[25] में जनवरी 1998 एवं जून 2002 के मध्य विशेष आवंटन के अन्तर्गत 29 प्रकरणों में 676.25 बीघा माप की भूमि आवंटित की गई थी। इन प्रकरणों में भूमि की कीमत न्यून दर से वसूल की गई, परिणामस्वरूप 16.87 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

अक्टूबर 2003 एवं जनवरी 2004 के मध्य यह ध्यान दिलाये जाने के बाद, दो तहसीलों (रामगढ़-I तथा मोहनगढ़-III) ने सभी प्रकरणों में आक्षेप स्वीकार किये जबकि तहसील मोहनगढ़-II ने सात प्रकरणों में कम आरोपण स्वीकार किया। अन्य प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2004)।

4.2.12 मांग कायम नहीं करना

सरकार की अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई 1974 के अनुसार कलक्टर परियोजना क्षेत्र में स्थानीय निकायों यथा नगर सुधार न्यास (यू.आई.टी.), नगर निगम (एम.सी.), नगर पालिका (एम.बी.) तथा ग्राम पंचायतों को 'आबादी विस्तार' हेतु भूमि की कीमत के रूप में निर्धारित आरक्षित मूल्य के साथ भू-राजस्व के क्रम में पूंजीगत मूल्य के भुगतान पर राजकीय भूमि के आवंटन के लिए अधिकृत है।

[25] मोहनगढ़-I, मोहनगढ़-II, मोहनगढ़-III एवं रामगढ़-I।

तीन तहसीलों में यह ध्यान में आया कि दिसम्बर 2001 एवं दिसम्बर 2002 के मध्य 4.21 करोड़ रुपये कीमत की 2,588.33 बीघा राजकीय भूमि यू.आई.टी. श्रीगंगानगर एवं कोटा, एम.सी. कोटा, एम.बी. कैथून (कोटा) तथा छः ग्राम पंचायतों (चार संगरिया में तथा दो कोटा में) को 'आबादी विस्तार' हेतु आवंटित की गई थी। संबंधित स्थानीय निकायों से भूमि की कीमत की मांग कायम नहीं की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	तहसील का नाम	स्थानीय निकाय का नाम	प्रकरणों की संख्या	भूमि आवंटन की तिथि	क्षेत्र (बीघा में)	दर प्रति बीघा	भूमि की कीमत
1.	श्रीगंगानगर	यू.आई.टी. श्रीगंगानगर	5	2/2002	85.10	0.32	0.27
2.	संगरिया	4 ग्राम पंचायत[26]	4	12/ 2001 से 1/2002	109.80	0.32	0.35
3.	लाड पुरा (कोटा)	(i) यू.आई.टी. कोटा	10	9/ 2002 से 12/ 2002	1,765.18	0.15	2.65
		(ii) एम.सी. कोटा	2	11/2002	532.41	0.15	0.80
		(iii) एम.बी. कैथून	1	12/2002	40.45	0.15	0.06
		(iv) ग्राम पंचायतें[27]	3	11/2002 से 12/2002	55.39	0.15	0.08
	योग		**25**		**2,588.33**		**4.21**

जुलाई 2003 एवं फरवरी 2004 के मध्य यह ध्यान में लाने के बाद श्रीगंगानगर एवं संगरिया के संबंध में विभाग ने बताया कि स्थानीय निकायों से भूमि की कीमत की वसूली संबंधित जिला कलक्टर/सरकार से निर्देशों के प्राप्त होने के बाद की जावेगी। तहसील लाडपुरा (कोटा) के संबंध में विभाग ने जुलाई 2004 में बताया कि कोटा का क्षेत्र उपनिवेशन के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिसूचना में शामिल गाँव किसी अधिसूचना या आदेश के द्वारा उपनिवेशन के क्षेत्राधिकार से मुक्त नहीं किये गये थे। वसूली की अग्रिम सूचना प्राप्त नहीं हुई।

- यह ध्यान में आया कि बून्दी में दिसम्बर 2000 एवं जून 2002 के मध्य 130 व्यक्तियों को 380.70 बीघा माप की भूमि 60.79 लाख रुपये में विक्रय की गई थी। विक्रय पंजिकाओं की जांच में पता लगा कि ना तो आवंटितियों द्वारा भूमि की कीमत का भुगतान किया गया था न ही विभाग द्वारा इसकी वसूली के लिये कोई कार्यवाही की गई, तथापि लाभार्थियों को भूमि का कब्जा सौंप दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप 60.79 लाख रुपये की राजकीय राजस्व की अवसूली रही।

यह ध्यान में लाने के बाद, विभाग ने बताया की भूमि की कीमत की मांग कायम की जा चुकी है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भू-राजस्व की बकाया के रूप में राशि वसूल की जानी चाहिये थी।

[26] कीकरवाली, मानकसर, शापीनी एवं दीनगढ़।

[27] कासर एवं धर्मपुरा।

4. **2.13 सिफारिशें**

सरकार निम्न पर विचार कर सकती हैः-

- भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को रोकने के लिये एक सशक्त प्रणाली का विकास किया जावे।
- लाभार्थियों से भूमि के अविकसित क्षेत्र से विकसित क्षेत्र में विनिमय के लिये भूमि के अन्तर मूल्य के आरोपण एवं संग्रहण हेतु प्रावधान किया जावे।
- नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार भूमि के मूल्य की वसूली सुनिश्चित करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर तथा आवंटन निरस्त किये जाने वाले प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये।
- राजकीय राजस्व की सुरक्षा के लिये आंतरिक नियंत्रण को मजबूत किया जावे।

4.3 रूपान्तरण प्रभारों की अवसूली

सरकार के आदेश दिनांक 2 मार्च 1987 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के विभागों, निगमों तथा प्रतिष्ठानों को ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय कृषि भूमि का आवंटन होने पर कृषि भूमि की प्रचलित बाजार दर के साथ वार्षिक भू-राजस्व का 40 गुना बतौर पूंजीगत मूल्य तथा रूपान्तरण प्रभार वसूलनीय था।

4.3.1 तहसील दौसा में जून 2003 में यह ध्यान में आया कि अक्टूबर 2002 तथा मार्च 2003 के मध्य रेलवे को 19.93 हैक्टेयर राजकीय भूमि आवंटित की गई थी। भूमि 67.50 लाख रुपये के कुल प्रतिफल पर आवंटित की गई थी जिसमें 31.89 लाख रुपये रूपान्तरण प्रभार के शामिल हैं। तहसीलदार द्वारा रूपान्तरण प्रभार की वसूली किये बिना भूमि सौंप दी। चूक के परिणामस्वरूप 31.89 लाख रुपये की अवसूली हुई।

जुलाई 2003 में यह ध्यान में लाये जाने के बाद विभाग ने जून 2004 में बताया कि मांग कायम की जा चुकी है अग्रिम उत्तर सितम्बर 2004 तक अपेक्षित था।

सरकार ने, जिसे मामला मई 2004 में सूचित किया गया था, विभाग के उत्तर की जुलाई 2004 में पुष्टि की।

4.3.2 तीन तहसीलों[28] में यह ध्यान में आया कि अगस्त 2002 में 1,620.40 बीघा माप की राजकीय भूमि तथा 263.60 बीघा खातेदारी भूमि रेलवे को 'कोलायत-फलौदी' रेल मार्ग बिछाने के लिए भूमि की कीमत तथा पूंजीगत मूल्य की वसूली पर आवंटित की गई। तथापि रेलवे से रूपान्तरण प्रभार के 6.07 करोड़ रुपये वसूल नहीं किये गये।

[28] बाप, कोलायत-1 एवं फलौदी।

विभाग ने अगस्त **2004** में राजकीय भूमि के संबंध में **5.24** करोड़ रुपये का लेखापरीक्षा आक्षेप स्वीकार किया तथा बताया कि खातेदारों से अवाप्त भूमि पर रूपान्तरण प्रभार आरोपणीय नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि खातेदारी भूमि पर भी रूपान्तरण शुल्क देय है।

अध्याय-V: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003-04 में लेखापरीक्षा के दौरान पंजीयन एव मुद्रांक विभाग के अभिलेखों की मापक जांच मे 2,017 मामलों में 15.27 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली का पता लगा, जो मोटे तौर से निम्न श्रेणियों में आते हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	प्रलेखों का गलत वर्गीकरण	512	3.14
2.	सम्पत्तियों का कम मूल्यांकन	1,242	3.24
3.	अन्य अनियमितताएं	262	0.82
4.	मुद्रांकों का क्रय एवं विक्रय	1	8.07
योग		**2,017**	**15.27**

वर्ष 2003-04 के दौरान विभाग ने 401 मामलों में अन्तर्निहित राशि 37.60 लाख रुपये के अवनिर्धारण स्वीकार किये, जिनमें से राशि 6.24 लाख रुपये के 129 मामले वर्ष 2003-04 के दौरान ध्यान में लाये गये थे तथा शेष पूर्व वर्षों में। इसके अतिरिक्त, विभाग ने वर्ष 2003-04 के दौरान 253 मामलों में 12.37 लाख रुपये वसूल किये, जिनमें 90 मामले राशि 3.18 लाख रुपये के वर्ष 2003-04 से संबंधित थे तथा शेष पूर्व वर्षों से।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को दर्शाने वाले कुछ निदर्शी मामले जिनमें राशि 8.51 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं, आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं:

5.2 मुद्रांकों का क्रय एवं विक्रय

5.2.1 प्रस्तावना

राज्य में मुद्रांक कर की प्राप्तियों का नियमन भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, एवं राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 एवं इनके अन्तर्गत विरचित नियमों के अन्तर्गत होता है। मुद्रांकों की प्राप्ति, संग्रहण, वितरण एवं उपयोग का नियमन राजस्थान कोषालय नियम (आर.टी.आर.) 1999 एवं मुद्रांक नियम 1955 के अधीन होता है। मुद्रांक प्राप्तियों की वसूली का नियमन राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-

समय पर जारी अधिसूचनाओं एवं आदेशों के अनुसार भी होता है। लेख्य पत्र के निष्पादन पर मुद्रांक कर (नियत या मूल्य आधारित) आरोपण योग्य है।

5.2.2 *संगठनात्मक ढाँचा*

वित्त विभाग के राजस्व सचिव के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में विभाग कार्य संपादन करता है। महानिरीक्षक (आई.जी.) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के मुखिया हैं। अतिरिक्त महानिरीक्षक (ए.आई.जी.) मुख्यालय पर पदेन मुद्रांक अधीक्षक हैं एवं प्रशासनिक और वित्तीय संबंधी दोनों मामलों में आई जी की सहायता भी करते हैं। पूरा राज्य 12 वृत्तों में विभक्त है। इन वृत्तों में 11 उप महानिरीक्षक (डी.आई.जी.) एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) और एक अतिरिक्त कलक्टर (ए.सी.) (मुद्रांक) जो 67 उप पंजीयकों (एस.आर.) और 279 पदेन उप पंजीयकों को नियंत्रित करता है। राज्य में 32 जिले एवं 38 कोषालय हैं। मुद्रांकों की प्राप्ति, संग्रहण, बिक्री एवं वितरण का कार्य राज्य में 34 कोषालय करते हैं। मुद्रांक करों के संग्रहण की समग्र प्रक्रिया जिसमें अनुमानित माँग, प्राप्तियाँ, संग्रहण, विक्रय, पंजीयन एवं लेखाकरण शामिल है, की आई.जी. द्वारा निगरानी की जाती है।

5.2.3 *मुद्रांकों की प्राप्ति*

वार्षिक अनुमान

आई.जी. पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा नियत समय पर मुद्रांकों की आपूर्ति का नियमन किये जाने के क्रम में, प्रत्येक कोषाधिकारी (टी.ओ.) द्वारा उप कोषालयों की संपूर्ण वर्ष की संभावित आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के पश्चात आवश्यकतानुसार आई.जी. को प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर को निर्धारित प्रारूप में वार्षिक अनुमान भेजना होता है। राजस्थान कोषालय नियम 1999 के नियम 300 (1) एवं (2) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक मूल्यवर्ग के मुद्रांक की आवश्यकता की सूचना, गत तीन वर्षों में प्रत्येक के वास्तविक निर्गम, 1 अप्रैल को हस्तशेष एवं चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित निर्गम के आधार पर दर्शायी जानी चाहिये।

यह ध्यान में आया कि राज्य में कार्यरत 34 कोषालयों में से 27 कोषालयों ने वार्षिक अनुमान कभी भो निर्धारित प्रारूप में नहीं भेजा तथा शेष सात कोषालय अपने प्रेषण में अनियमित रहे। इस सूचना के अभाव में भण्डार की प्राप्ति के लिये केन्द्रीय मुद्रांक डिपों (सी.एस.डी.) नासिक को आई.जी. द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत करने का आधार लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं हो सका।

मांग-पत्र

राजस्थान कोष संहिता 1952 के नियम 240 के अन्तर्गत वर्ष 1999 से पूर्व कोषालयों द्वारा मूल्यवर्ग वार तिमाही मांग पत्र निर्धारित प्रारूप में आई.जी. को भण्डार की पूर्ती हेतु भेजा जाना था। तथापि, वर्ष 1999 से मांग-पत्र वर्ष में तीन बार अर्थात प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई, 30 नवम्बर तथा 31 मार्च को भेजना निर्धारित किया।

लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आया कि चार कोषालय[1] आवश्यक सूचना नहीं भेज रहे थे जबकि शेष कोषालय निर्धारित प्रपत्र में सूचना नहीं भेज रहे थे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए आई.जी. ने अगस्त 2004 में बताया कि समस्त कोषाधिकारियों को अपने मांग-पत्र निर्धारित प्रपत्र में एवं समय पर भिजवाने बाबत निर्देश दिये गये हैं।

13 कोषालयों[2] के मांग पत्रों की जांच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 1993-94 से 2002-03 के दौरान मुद्रांकों की आपूर्ति सी.एस.डी. नासिक को भेजे मांग-पत्र के अनुरूप नहीं थी। इसमें कमी 30 से 78 *प्रतिशत* के मध्य रही जो इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	कोषालयों की संख्या	मांग-पत्र मूल्य	प्राप्ति मूल्य	कम प्राप्त मूल्य	कमी का प्रतिशत
1.	1993-94	13	119.51	33.07	86.44	72
2.	1994-95	13	433.97	95.92	338.05	78
3.	1995-96	13	353.25	105.38	247.87	70
4.	1996-97	13	215.35	84.49	130.86	61
5.	1997-98	13	234.41	83.14	151.27	65
6.	1998-99	13	625.57	135.96	489.61	78
7.	1999-00	13	317.37	105.23	212.14	67
8.	2000-01	13	177.89	90.96	86.93	49
9.	2001-02	13	264.68	170.80	93.88	35
10.	2002-03	13	135.42	94.51	40.91	30
योग			**2,877.42**	**999.46**	**1,877.96**	

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सी.एस.डी. नासिक को भेजे गये मांग-पत्र यथार्थवादी नहीं थे।

विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अगस्त 2004 में सूचित किया कि समस्त कोषाधिकारियों को अपने मांग-पत्र निर्धारित प्रपत्र में एवं समय पर भिजवाने बाबत

[1] बांसवाड़ा, जालौर, झालावाड़ तथा करौली।

[2] अलवर, बांरा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, डूंगरपुर, झुन्झुनु, कोटा, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर।

निर्देश दिये गये हैं तथा भविष्य में आपूर्ति संशोधित प्रणाली में मांग-पत्र के अनुसार ही प्राप्त की जायेगी।

5.2.4 प्राप्तियाँ

राजस्थान कोषालय नियम, 1999 (आर.टी.आर. 1999) के नियम 304(1) के अनुसार आई.जी. या अन्य डिपो से मुद्रांकों की आपूर्ति के पश्चात प्रभारी अधिकारी, जो कि कोषाधिकारी होते हैं, पेकेट्स या पेकेजेज का व्यक्तिगत रूप से यथाशीघ्र बाहरी तौर पर परीक्षण करेगा एवं स्वयं द्वारा यह संतुष्टि करेगा कि उनसे कोई छेड़छाड नहीं की गई है। तत्पश्चात पेकेजेज को अपनी उपस्थिति में खुलवा कर अन्दर की सामग्री को या तो स्वयं या किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति में गणना करावेगा। नियम में आगे प्रावधान है कि गणना में या अन्यथा कोई कमी अथवा त्रुटी अगर कोई हो, तो इसके संबंध में एक रिपोर्ट आई.जी. को तथा उसकी प्रति निदेशक, कोषालय एवं लेखा को तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिये।

आगे, आर.टी.आर. के नियम 305 के अनुसार आई.जी. द्वारा एक बीजक दो प्रतियों में प्रत्येक डिपो को आपूर्ति किये गये मुद्रांकों के मूल्यवर्ग, मात्रा एवं अंकित मूल्य को दर्शाते हुए भेजना होगा और बीजक की मूल प्रति कोषालय को रखनी चाहिये तथा छायाप्रति मुद्रांकों के परेषण के 15 दिन के अन्दर डिपों प्रभारी की स्वीकृति के साथ आई.जी. को लौटा देनी चाहिये।

लेखापरीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया कि अजमेर कोषालय जो कि मुद्रांकों की प्राप्ति हेतु नॉडल कोषालय था, ने अन्य कोषालयों को आगामी वितरण के लिये सी.एस.डी. नासिक से मुद्रांक प्राप्त किये। इन मुद्रांकों को बिना किसी भौतिक सत्यापन के संबंधित कोषालयों को प्रेषित किया गया। इससे नॉडल पाइन्ट की रचना का उद्देश्य निष्फल हो गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1993-94 से 2002-03 के दौरान छः कोषालयों[3] में 4.99 लाख रुपये मूल्य के मुद्रांक कम प्राप्त हुए। इन मुद्रांकों की कम प्राप्ति को एक से 19 माह विलम्ब से ध्यान में लाये जाने पर सी.एस.डी. नासिक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त बाड़मेर एवं सवाईमाधोपुर कोषाधिकारियों द्वारा 9,000 रुपये मूल्य के मुद्रांकों की कम प्राप्ति को क्रमशः फरवरी 1995 एवं सितम्बर 1999 में उनकी प्राप्ति के समय ही ध्यान में लाया गया। तथापि, यह हानि भी सी.एस.डी. नासिक द्वारा स्वीकार नहीं की गई। यद्यपि अस्वीकार करने के कारण मांगने पर भी लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किये गये।

5.2.5 बिक्री

आर.टी.आर. के नियम 308(1) में अधिकथित है कि नियम 308 के उप नियम (2) के प्रावधान के अतिरिक्त आम जनता या अनुज्ञप्त विक्रेता को डबल लॉक में भण्डार से सीधे विक्रय नहीं किया जायेगा। ऐसी बिक्री पदेन विक्रेता द्वारा उसको दी गई आपूर्ति

[3] बांरा, बून्दी, चूरू, झुन्झुनु, कोटा एवं पाली।

जो इसी उद्देश्य के लिये दी गई है, द्वारा की जायेगी एवं सिंगल लॉक में रखी जायेगी। जांच के दौरान पाया गया कि 18 कोषालयों[4] द्वारा सिंगल लॉक से जनता को या अनुज्ञप्त विक्रेता को विक्रय की निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा रहा था। यह प्रणाली दोहरी जांच व मुद्रांकों के दुर्विनियोजन को रोकने के लिये ही बनाई गई थी। आई.जी. ने अगस्त 2004 में बताया कि कोषाधिकारियों को सिंगल लॉक से मुद्रांक जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।

जयपुर शहर कोषालय में 27 मार्च 2003 को व्यक्तियों से 19.93 लाख रुपये के गैर-अदालती मुद्रांकों की बिक्री के विरूद्ध प्राप्त चालानों की कुल राशि 18.43 लाख रुपये थी। इस प्रकार 1.50 लाख रुपये के मुद्रांकों की बिक्री सरकारी खाते में राशि प्राप्ति के बिना की गई थी। कोषालय द्वारा सिंगल लॉक प्रणाली नहीं अपनाने के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

ध्यान में लाये जाने के बाद आई.जी. ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा अगस्त 2004 में बताया कि संबंधित कर्मचारी को निलम्बित किया जा चुका है एवं अभिलेखों की विशेष जाँच की जा रही है।

5.2.6 मुद्रांक विक्रेताओं के अभिलेख

राजस्थान मुद्रांक नियम, 1955 में प्रावधान है कि मुद्रांक विक्रेताओं को स्टॉक रजिस्टर, इश्यु रजिस्टर का निर्धारित प्रारूप में संधारण करना चाहिये। नियम 42 में प्रावधान है कि अभिलेखों की जाँच राजस्व अधिकारी द्वारा की जानी चाहिये जो नायब तहसीलदार से निम्न पद का न हो तथा नियम 37 में प्रावधान है कि मुद्रांक विक्रेताओं का रजिस्टर डी.आई.जी. पंजीयन के कार्यालय में जमा होना चाहिये।

डी.आई.जी. कार्यालय जोधपुर, पाली एवं कोटा के मुद्रांक विक्रेताओं को लाईसेंस जारी करने से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 130 मुद्रांक विक्रेताओं के स्टॉक एवं इश्यु रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में नहीं थे। मुद्रांक विक्रेताओं के अभिलेखों की जांच भी नियमित रूप से नहीं हो रही थी। डी.आई.जी. कोटा एवं पाली के समस्त प्रकरणों में मुद्रांक विक्रेताओं के अभिलेख भी जमा नहीं पाये गये। यह दर्शाता है कि विभाग मुद्रांक विक्रेताओं के सौदों पर उचित नियंत्रण के उपाय नहीं कर रहा था।

यह ध्यान में लाये जाने के बाद आई.जी. ने अगस्त 2004 में सूचित किया कि डी.आई.जी. जोधपुर, कोटा एवं पाली को मुद्रांक विक्रेताओं के अभिलेखों के संधारण, जमा एवं निरीक्षण नहीं करने बाबत स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया है।

5.2.7 मुद्रांकों की थोक आपूर्ति के संग्रहण के लिये नॉडल पोइन्ट का निर्माण

भारत सरकार ने मई 1988 में विभिन्न राज्यों में मुद्रांकों की थोक आपूर्ति के लिए इन निर्देशों के साथ नॉडल पोइन्ट बनाने के आदेश दिये कि राज्य स्वयं का स्टाफ भेजेगा जो नासिक से आपूर्ति करने वाले वाहन के साथ रहेगा। तथापि, यह पता लगा कि

[4] अजमेर, बाँसवाड़ा, बाँरा, बीकानेर, बूँदी, चूरू, डूँगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, झुन्झुनु, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सीकर, श्रीगंगानगर, टोंक एवं उदयपुर।

अजमेर कोषालय को 11 वर्ष बाद 1999 में राजस्थान राज्य में मुद्रांकों की प्राप्ति, अभिरक्षा एवं वितरण हेतु नॉडल पोइन्ट के रूप में नामांकित किया था। निर्देशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कोषाधिकारी जालोर द्वारा अक्टूबर 1994 में अभिवहन में 2.03 करोड रुपये मूल्य के मुद्रांकों की चोरी का एक प्रकरण सूचित किया गया। प्रकरण रेलवे कोर्ट आगरा में लम्बित है।

5.2.8 प्लस माइनस ज्ञापन

पूर्वोक्त नियम के नियम 318 (1) एवं (2) में प्रावधान है कि कोषाधिकारी तथा उप कोषाधिकारी मासिक लेखों के साथ कोषालय के सिंगल एवं डबल लॉक में मुद्रांकों एवं जल चिन्हित पत्र के शेषों को दर्शाते हुए आई.जी. को विवरण भेजेगा। कोषाधिकारी एवं उप कोषाधिकारी सिंगल एवं डबल लॉक में वास्तविक स्टॉक का सत्यापन किये बिना विवरण में हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इस विवरण के साथ एक प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिये जो इस ज्ञापन के अंतिम शेष का विभिन्न स्टॉक रजिस्टरों में दर्शाये गये शेषों से मिलान करता हो ताकि प्रत्येक कोषालय में मुद्रांकों की उपलब्धता संधारित की जा सके।

जांच के समय यह ध्यान में आया कि आठ कोषालयों[5] द्वारा संबंधित प्राधिकारियों को देय तिथि पर प्लस माइनस ज्ञापन नहीं भेजे गये थे। ध्यान में लाने पर आई.जी. द्वारा अगस्त 2004 में समस्त कोषाधिकारियों को समय पर तथा निर्धारित प्रारूप में प्लस माइनस ज्ञापनों को भेजने के निर्देश जारी किये।

5.2.9 राज्य के बाहर से मुद्रांक क्रय के कारण राजस्व हानि

राजस्थान मुद्रांक नियम, 1955 के नियम 3 के अनुसार समस्त करों का जो किसी विलेख पर प्रभार्य है राजस्थान सरकार द्वारा जारी मुद्रांक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिये। पूर्वोक्त नियम के नियम 20 के अनुसार कोई व्यक्ति राजस्व मुद्रांक के अलावा अन्य विवरण के मुद्रांक विक्रय के लिये पूरी तरह अधिकृत नहीं है।

भारतीय जीवन बोमा निगम (एल.आई.सी.) के अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर के मण्डल कार्यालयों से प्राप्त सूचना से पता लगा कि उक्त कार्यालयों द्वारा वर्ष 1993-94 से 2001-02 के दौरान 5.86 करोड़ रुपये के मुद्रांक या तो राजस्थान से बाहर के विक्रेताओं या अपने मण्डल कार्यालय, दिल्ली से क्रय किये गये थे जबकि राज्य के कोषालयों में बीमा मुद्रांकों का पर्याप्त भण्डार था। यह भी ध्यान में आया कि एल.आई.सी. के मण्डल कार्यालय जयपुर द्वारा फरवरी 2001 में एक विक्रेता जो मुम्बई में मुद्रांक बेचने हेतु अधिकृत था, से 10.83 लाख रुपये के बीमा मुद्रांक क्रय किये। कथित विक्रेता के सौदों के स्टॉक रजिस्टर की जांच में पता लगा कि उस दिन उसके स्टॉक रजिस्टर के अनुसार उसके पास कोई शेष नहीं था। प्रकरण मण्डल प्रबन्धक एल.आई.सी. जयपुर को जून 2004 में सूचित किया गया। जवाब में अगस्त 2004 में बताया गया कि इसके लिये केवल विक्रेता जिम्मेदार था।

[5] बाँसवाड़ा, दौसा, जयपुर, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर एवं उदयपुर।

राज्य के बाहर के विक्रेताओं से क्रय किये गये मुद्रांकों के उपयोग के परिणामस्वरूप सरकार को 5.86 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

जून 2004 में ध्यान में लाने पर विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अगस्त 2004 में बताया गया कि एल.आई.सी. के संबंधित मण्डल कार्यालयों को राशि जमा कराने हेतु कहा गया है। सरकार द्वारा अगस्त 2004 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की गई।

5.2.10 राज्य की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनाधिकृत व्यक्तियों से विशेष एडहेसिव मुद्रांकों के क्रय के कारण राजस्व हानि

राजस्थान मुद्रांक नियम, 1955 के नियम 20 के अनुसार कोई व्यक्ति जो कि पूर्ण रूप से प्राधिकृत नहीं है वह राजस्व मुद्रांक के अलावा अन्य विवरण के मुद्रांक विक्रय के लिए अधिकृत नहीं है।

हाऊसिंग डवलपमेंट एण्ड फाईनेनशियल कार्पोरेशन बैंक लिमिटेड, अजमेर द्वारा राज्य के बाहर के विक्रेताओं से वर्ष 2002-03 में 0.10 लाख रुपये मूल्य के तथा वर्ष 2003-04 में 0.90 लाख रुपये मूल्य के मुद्रांकों का क्रय किया। तथापि, संबंधित विक्रेता का विवरण, स्थान या क्रय से संबंधित फर्म सूचित नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व में एक लाख रुपये की हानि हुई। आई.जी. ने जुलाई 2004 में बैंक को सरकारी खाते में राशि जमा कराने के निर्देश दिये।

यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड उदयपुर ने अप्रैल 2004 में सूचित किया कि राजस्थान से बाहर की फर्म से वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में 0.31 लाख रुपये मूल्य के बीमा मुद्रांक क्रय किये गये थे।

मार्च 2004 में यह ध्यान में लाये जाने के बाद आई.जी. ने जुलाई 2004 में इकाई को 0.31 लाख रुपये चालान के द्वारा जमा कराने को कहा।

5.2.11 आन्तरिक नियंत्रण

विभाग द्वारा मुद्रांकों के उचित मांगपत्र, प्राप्ति व निर्गम पर आन्तरिक नियंत्रण द्वारा कड़ी निगरानी रखा जाना आवश्यक था। कोषालयों एवं लोक कार्यालयों के निरीक्षण के रूप में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्न प्रकार अपर्याप्त थी:-

- **कोषालयों का निरीक्षण**

प्रत्येक कोषालय के वार्षिक निरीक्षण के विरूद्ध राज्य में मुद्रांकों का सौदा करने वाले सभी 34 कोषालयों के लिए ए.आई.जी. द्वारा प्रत्येक वर्ष तीन से 13 बार निरीक्षण

किया गया। 2000-03 को समाप्त होने वाले चार वर्षों के दौरान कमी का *प्रतिशत* 62 से 91 के मध्य रहा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	वांछित निरीक्षण	किये गये निरीक्षण	कमी का *प्रतिशत*
1999-2000	34	5	85
2000-2001	34	4	88
2001-2002	34	3	91
2002-2003	34	13	62

लोक कार्यालयों के निरीक्षण का अभाव

यद्यपि आई.जी. ने डी.आई.जी. (पंजीयन) को समय समय पर लोक कार्यालयों के निरीक्षण के लिये वर्ष 1998 में आदेश जारी किये लेकिन उनके द्वारा निरीक्षण नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप लोक कार्यालयों द्वारा मुद्रांक कर आरोपण लेखों में राजस्व संग्रहण की जांच नहीं हुई।

मामला जून 2004 में सरकार को सूचित किया गया; उनका उत्तर सितम्बर 2004 तक अपेक्षित था।

5.3 सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

5.3.1 भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (आई.एस. एक्ट) जैसा राजस्थान में अनुकूलित है एवं इसके अधीन विरचित नियमों के प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित दरें या पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा अनुमोदित दरें जो भी उच्चतर हों के आधार पर पंजीकृत होने वाली सम्पत्ति के बाजार मूल्य को निर्धारित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम में प्रावधान है कि लेख्य-पत्र के पंजीकरण के समय जहां पंजीकरण अधिकारी के पास विश्वास का कारण है, कि लेख्य-पत्र में सम्पत्ति का बाजार मूल्य सही नहीं है, उसे कलेक्टर (मुद्रांक) के पास सही बाजार मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रेषित करना होता है।

छः उप पंजीयक कार्यालयों (एस.आर.ओ.) में जनवरी 2003 एवं नवम्बर 2003 के मध्य पाया गया कि हस्तान्तरण पत्रों जिसमें व्यावसायिक/आवासीय भूखण्ड एवं कृषि भूमि शामिल है के 19 मामलों में सम्पत्ति की कीमत का निर्धारण या तो व्यावसायिक के स्थान पर आवासीय दरों से अथवा डी.एल.सी. द्वारा अनुमोदित दरों से कम दरों पर

किया। इसके परिणामस्वरूप 1.21 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर ओर पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

(लाख रुपयों में)

पंजीयन प्राधिकारी का नाम	प्रकरणों की संख्या	सम्पत्ति की प्रकृति	डी.एल.सी. दर के अनुसार सम्पत्ति का बाजार मूल्य	आंकी गई कीमत	मुद्रांक कर		पंजीयन शुल्क		कम प्रभारित मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	माह जिसमें दस्तावेज का पंजीयन किया गया
					वसूली योग्य	वसूल किया गया	वसूली योग्य	वसूल किया गया		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
जयपुर-II	12	वाणिज्यिक	349.01	192	34.90	19.20	3.00	1.92	16.78	फरवरी एवं मार्च 2001
कोटा	1	कृषि/ वाणिज्यिक	161.70	111	17.79	12.10	0.25	0.25	5.69	अप्रैल 2002
अलवर	1	वाणिज्यिक	121.30	20.56	13.34	2.26	0.25	0.20	11.13	नवम्बर 2002
जयपुर-II	2	वाणिज्यिक	764.74	212.02	76.47	21.20	0.50	0.50	55.27	जनवरी 2001
जोधपुर-II	2	वाणिज्यिक	72.92	25.34	8.02	2.81	0.50	0.26	5.45	मई एवं दिसम्बर 2002
लक्ष्मणगढ़	1	वाणिज्यिक	257.18	15.30	28.29	1.68	0.25	0.15	26.71	अक्टूबर 2002
योग									121.03	

लेखापरीक्षा में मार्च 2003 एवं अप्रैल 2004 के मध्य ध्यान दिलाने पर पंजीयन अधिकारी ने समस्त प्रकरणों में फरवरी 2004 एवं जुलाई 2004 के मध्य लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार करते हुए उन्हें कलक्टर को आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दिया।

मामले सरकार को नवम्बर 2003 एवं अप्रैल 2004 के मध्य सूचित किये जाने पर उन्होने जून 2004 एवं अगस्त 2004 के मध्य विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

5.3.2 राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2002 में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार भूमि संपरिवर्तन शुल्क की वसूली हेतु निजी शैक्षणिक संस्थाओं को वाणिज्यिक संस्था माना जाना चाहिये।

उप पंजीयक कार्यालय, लूनी (जोधपुर) में अगस्त 2003 में यह पाया गया कि सितम्बर 2002 में एक शैक्षणिक संस्था के दस्तावेज पंजीयन के समय पंजीयन अधिकारी ने व्यावसायिक दर से भूमि के मूल्य का निर्धारण जो 7.66 करोड़ रुपये था के स्थान पर 1.08 करोड़ रुपये में गलत निर्धारण किया जो कि आवासीय भूमि के लिये निर्धारित था। इसके परिणामस्वरूप राशि 73.31 लाख रुपये के मुद्रांक कर और पंजीयन शुल्क की कम वसूली हुई।

ध्यान दिलाने पर महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक ने जून 2004 में बताया कि भूमि का मूल्यांकन उसके संभावित उपयोग पर आधारित नहीं है इस प्रकार मूल्य सही आंका

गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पंजीयन के समय ही भूमि क्रय करने का कारण शैक्षणिक संस्था स्थापित करना था।

सरकार, जिसे मामला अक्टूबर 2003 में सूचित किया गया था, ने विभाग के उत्तर की पुष्टि (जून 2004) की।

5.4 मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अवसूली के कारण हानि

भारतीय पंजीयन अधिनयम, 1908 के अनुच्छेद 17(डी) के अनतर्गत अचल सम्पत्ति के पट्टा दस्तावेजों का पंजीयन होना चाहिये। भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार पट्टा 20 वर्ष की अवधि या अधिक के लिये किये जाने पर मुद्रांक कर जेसा कि हस्तान्तरण अभिलेख पर लगता है, सम्पत्ति के बाजार मूल्य के समान प्रतिफल पर आरोपणीय होता है।

फरवरी 1972 में 3 रुपये के गैर अदालती मुद्रांक पर लेक पैलेस होटल, उदयपुर का स्थानान्तरण इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, मुम्बई को एक इकरारनामा निष्पादित कर किया गया था। इकरारनामे के उपवाक्यों का अवलोकन करने पर पता लगा कि यह पट्टा इकरारनामें की श्रेणी में आता था। इकरारनामें के अनुसार पंजीयन एवं कर का भुगतान जो उस पर प्रभार्य था, कि वसूली नहीं की गई थी। भूमि एवं भवन कर विभाग, उदयपुर के अनुसार संपत्ति का मूल्य 5.23 करोड़ रुपये था जिस पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के कुल 57.82 लाख रुपये आरोपित नहीं किये गये थे।

अप्रैल 2001 में त्रुटि की ओर ध्यान दिलाने पर कलक्टर (मुद्रांक), उदयपुर ने जून 2002 में प्रकरण निर्णित किया तथा 60 लाख रुपये शास्ति सहित वसूलने के आदेश दिये। राजस्व मंडल में पुनरीक्षण याचिका दायर करते समय होटल के प्रबन्ध निदेशक द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर के समक्ष दिनांक 3 दिसम्बर 2002 को सम्यक रूप से मुद्रांकित एक अन्डरटेकिंग दी गई थी कि राजस्व मण्डल के समक्ष बकाया पुनरीक्षण याचिका यदि निरस्त हो जाती है तो कंपनी इसके एक माह के अन्दर 60 लाख रुपये जमा करायेगी। राजस्व मण्डल द्वारा उक्त निर्णय जो जून 2002 में दिया गया था में कोई कानूनी कमी नहीं पाई तथा पुनरीक्षण याचिका को दिनांक 10 नवम्बर 2003 को निरस्त कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर 2003 को पारित आदेश में राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्ध स्थगन जारी किया गया था। राजस्व मण्डल द्वारा पुनरीक्षण याचिका दिनांक 10 नवम्बर 2003 को निरस्त होने के पश्चात विभाग 9 दिसम्बर 2003 तक एक माह के अन्दर 60 लाख रुपये वसूल करने में असफल रहने के कारणों का न तो अभिलेख में उल्लेख था न ही कहीं निर्दिष्ट था।

मामला अप्रैल 2004 में सरकार को सूचित किया गया; अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

5.5 मुद्रांक कर की कम वसूली

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1952 के अनुच्छेद 31 के अनुसार सम्पत्ति के विनिमय से संबंधित लेख्य पत्र पर कर, ऐसे विलेख में घोषित की गई सम्पत्ति के अधिकतम मूल्य के बराबर प्रतिफल हस्तान्तरण की तरह प्रभार्य होगा। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार कृषि भूमि के विनिमय लेख्य पत्रों तथा राजस्थान खातेदारी अधिनियम, 1955 के नियम 48 के अधीन आपसी हस्तान्तरण के प्रकरण मुद्रांक कर भुगतान से मुक्त थे यदि भूमि समान प्रकार की हो, समान कीमत की हो एवं टुकडों में विभाजित न हो।

उप पंजीयक कार्यालय जयपुर-III में 16 विनिमय लेख्य पत्रों, जिनका पंजीकरण फरवरी 2002 एवं दिसम्बर 2002 के मध्य हुआ था के द्वारा विभिन्न गाँवों की कृषि भूमि का दूसरे गाँवों की भूमि के साथ विनिमय किया गया। इन दस्तावेजों की जांच से पता लगा कि इन विनिमयों में भूमि न तो समान प्रकार की थी और न ही समान कीमत की थी अतः कर की छूट नहीं थी। भूमि के उच्चतर मूल्य के आधार पर 13.37 लाख रुपये का मुद्रांक कर वसूलनीय था जिसके विरूद्ध मात्र 610 रुपये वसूल किये गये थे। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप 13.36 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

फरवरी 2004 में इस ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद विभाग ने जुलाई 2004 में बताया कि इन प्रकरणों को कलक्टर (मुद्रांक) के पास अधिनिर्णय के लिये भेजा जा रहा है। आगे की प्रगति सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुई।

सरकार ने, जिसे मामला फरवरी 2004 में सूचित किया गया था, सितम्बर 2004 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

अध्याय-VI: राज्य उत्पाद शुल्क

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003-04 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच से 159 मामलों में 39.21 करोड रूपये के उत्पाद शुल्क राजस्व की अवसूली/कम वसूली का पता चला जो मोटे तौर पर निम्न वर्गों में आते हैः-

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली/ अवसूली	69	2.20
2.	मदिरा की अधिक क्षति से उत्पाद शुल्क की हानि	17	0.15
3.	अन्य अनियमिततायें	73	36.86
	योग	**159**	**39.21**

वर्ष 2003-04 के दौरान विभाग ने 107 मामलों में अन्तर्निहित 6.13 करोड़ रूपये की कम वसूली इत्यादि स्वीकार की जिनमें से 1.96 करोड़ रूपये के 57 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 2003-04 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में बताये गये थे। विभाग ने 78 मामलों में 14.13 करोड़ रूपये की वसूली की जिनमें से 0.62 करोड़ रूपये के 25 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 2003-04 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में बताये गये थे।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के कुछ उदाहरणात्मक मामले जिनमें 92.64 लाख रूपये की राशि सन्निहित है, अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। इसके साथ ही, ब्याज की अवसूली/कम वसूली, एकाकी विशेषाधिकार राशि एवं बोतल भराई शुल्क के 8 मामले[1] वर्ष 2003-04 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर अप्रैल एवं जुलाई 2004 के मध्य संपूर्ण राशि 26.26 लाख रुपये वसूल किये गये।

6.2 बंधाधीन गोदाम में बीयर के अपेय हो जाने के कारण उत्पाद शुल्क की अवसूली

बन्ध अधीन गोदाम की स्थापना की शर्तों एवं निर्बन्धनों में उपबन्धित है कि अनुज्ञा अवधि के दौरान बंधाधीन गोदाम में मदिरा के नुकसान के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

[1] अलवर, बांरा, भरतपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, झुन्झुनुं, सीकर एवं उदयपुर।

हानि के मामले में, आबकारी आयुक्त द्वारा जांच की जावेगी। यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञाधारी द्वारा उचित सावधानी रखने से नुकसान को रोका जा सकता था, तो उसे शुल्क चुकाना आवश्यक होगा एवं आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा तथा अनुज्ञाधारी पर बाध्यकारी होगा।

अलवर में यह देखा गया कि अलवर के एक अनुज्ञाधारी के बन्ध अधीन गोदाम में दिसम्बर 1997 एवं जनवरी 2000 के मध्य 1.32 लाख बल्क लीटर (बी.एल.) स्ट्रांग[2] बीयर एवं 2.66 लाख बी.एल. लेजर[3] बीयर की मात्रा भण्डारित थी। विभाग द्वारा बीयर के निस्तारण की कोई कार्यवाही नहीं की जब तक कि इसे मार्च 2001 एवं अगस्त 2002 में रासायनिक परीक्षक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राजस्थान जयपुर द्वारा अपेय घोषित की गई। इसके परिणामस्वरूप 46.44 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई। तत्पश्चात अनुज्ञाधारी से राशि वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

यह मार्च 2004 में ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को सितम्बर 2004 में स्वीकार किया तथा 16.68 लाख वसूल किये। बकाया राशि की वसूली पर रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

सरकार ने सितम्बर 2004 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

6.3 अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क की अवसूली

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के अन्तर्गत प्रावधान है कि यदि खुदरा अनुज्ञाधारी जो एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली (ए.वि.प्र.) के अंतर्गत संचालित नहीं होते हैं और वह अगर ए.वि.प्र. के अन्तर्गत संचालित थोक अनुज्ञाधारियों से मदिरा खरीदता है तो खुदरा अनुज्ञाधारी भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा.नि.वि.म.) और बीयर पर क्रमशः 3 एवं 2 रुपये प्रति बी.एल. अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय करेगा।

5 जिला आबकारी कार्यालयों[4] में मई 2003 एवं नवम्बर 2003 के मध्य देखा गया कि 122 होटल व 4 क्लब बार अनुज्ञाधारी जो ए.वि.प्र. के अन्तर्गत संचालित नहीं हो रहे थे, को वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान 2.18 लाख बी.एल. भा.नि.वि.म. और 14.50 लाख बी.एल. बीयर की खरीद हेतु परमिट जारी किये गये किन्तु उनके द्वारा 13.52 लाख रुपये शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। विभाग द्वारा भी मांग नहीं की गई जिसके फलस्वरूप इस सीमा तक सरकारी राजस्व की कम वसूलो हुई।

यह ध्यान दिलाने पर विभाग ने जून व जुलाई 2004 में लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया और 13.01 लाख रुपये वसूल किये। शेष राशि की वसूली पर रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित थी।

---

[2] 8.75 *प्रतिशत* से अधिक प्रूफ स्प्रिट की शक्ति की।

[3] 8.75 *प्रतिशत* तक प्रूफ स्प्रिट की शक्ति की।

[4] अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, एवं उदयपुर।

सरकार ने जुलाई व अगस्त 2004 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

6.4 परिशोधित, परिपक्व एवं मसालायुक्त प्रासव की कमी पर उत्पाद शुल्क की अवसूली

राजस्थान मदिरा के (आसवनशालाओं और गोदामों पर) भण्डारण एवं अपचय नियम, 1959 के अनुसार शोधित, परिपक्व व मसालेदार प्रासव के संग्रहण के दौरान 0.4 *प्रतिशत* से अधिक का नुकसान अनुज्ञेय नहीं होगा। अनुज्ञेय सीमा से अधिक कमी पर समय समय पर निर्धारित दरों पर उत्पाद शुल्क देय है।

श्रीगंगानगर में विभाग द्वारा आसवनी के भौतिक सत्यापन में अनुज्ञेय नुकसान से 6,420.455 लन्दन प्रुफ लीटर अधिक शोधित, परिपक्व व मसालेदार प्रासव की कमी को उद्घाटित किया गया किन्तु उत्पाद शुल्क वसूल नहीं किया परिणामस्वरूप 6.42 लाख रुपये के सरकारी राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

यह जनवरी 2004 में ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने सितम्बर 2004 में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा 1.61 लाख रुपये वसूल किये। बकाया राशि की वसूली पर रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

सरकार ने सितम्बर 2004 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

अध्याय-VII: अन्य कर प्राप्तियाँ

भूमि एवं भवन कर

7.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003-04 के दौरान भूमि एवं भवन कर कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच में 77 मामलों में 4.91 करोड़ रुपयों के अवनिर्धाणों का पता लगा जो मौटे तौर से निम्न श्रेणियों में आते हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण कम आरोपण	33	1.62
2.	निर्धारणों में त्रुटियों के कारण कम आरोपण	21	2.59
8.	अन्य अनियमितताएं	23	0.70
	योग	**77**	**4.91**

वर्ष 2003-04 के दौरान विभाग ने 15 मामलों में 1.80 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये जो कि लेखापरीक्षा में पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने पाँच मामलों में 1.47 लाख रुपये जो कि लेखापरीक्षा में पूर्ववर्ती वर्षों में बताये गये थे, वसूल किये गये।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ उजागर करने वाले 1.81 करोड़ रुपये के कुछ निदर्शी मामले आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं:

7.2 भूमि के अवमूल्यांकन के कारण कर का कम आरोपण

राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम, 1964 (रा.भू.एवं भ.क. अधिनियम) के अन्तर्गत भूमि या भवन अलग अलग या दोनों के बाजार मूल्य पर कर सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के आधार पर आरोपणीय है। निदेशक, भूमि एवं भवन कर विभाग जयपुर ने फरवरी 1991 में एक आदेश जारी किया कि 1 अप्रैल 1991 से भूमि के मूल्यांकन के लिए पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा तय की गई भूमि दरें, लागू होगी। वर्ष 1998-99 के लिये उदयसागर रोड़, उदयपुर स्थित वाणिज्यिक भूमि हेतु दर 225 रुपये प्रति वर्ग फीट (व.फी.) तय की गई थी।

मार्च 2003 में यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने प्रसार भारती की 97,166[1] वर्ग मीटर (10,45,506 वर्ग फीट) भूमि को 225 रुपये प्रति वर्ग फीट के बजाय औद्योगिक दर 600 प्रति वर्ग मीटर से गलत निर्धारण किया। गलत भूमि दर लगाने के परिणामस्वरूप 0.93 करोड़ रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

त्रुटि अप्रैल 2003 में बताये जाने पर विभाग ने अप्रैल 2004 में ही बताया कि संशोधित कर निर्धारण आदेश जारी किया जा चुका है तथा तद्नुसार माँग कायम कर दी गई है।

सरकार ने जून 2004 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

7.3 गलत कर निर्धारण करने के कारण कर का कम आरोपण

रा.भू. एवं भ.क. अधिनियम के अनुसार 1 अप्रैल 1973 से भूमि या भवन अथवा दोनों पर पृथक-पृथक इकाइयों के रूप में वार्षिक कर आरोपित एवं वसूला जायेगा। उसके बाद निदेशक, भूमि एवं भवन कर ने अपने परिपत्र 13 फरवरी 2001 में भी स्पष्ट किया था कि एक से अधिक पंजीकृत विक्रय पत्रों से खरीदी गई भूमि व भवन को पृथक पृथक इकाई के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक की मीट्स एण्ड बाउन्ड्स से विभाजन नहीं हो जाता है।

अजमेर में जनवरी 2004 में यह पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने जून 2002 में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की सम्पत्ति जो कि अजमेर में अवस्थित है, पुनः 15 इकाइयों के रूप में निर्धारण किया यद्यपि ये सम्पत्ति एक ही स्थान पर स्थित है तथा एक इकाई के रूप में निर्धारण होना आवश्यक था। निर्धारिती ने 1.33 करोड़ रुपये के बजाय 97.42 लाख रुपये कर भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप 1976-77 से 2002-03 की अवधि के लिए 36 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

मामला विभाग को फरवरी 2004 में बताया गया तथा सरकार को अप्रैल 2004 में सूचित किया गया; उनके उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

7.4 सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन करने के कारण कर का कम आरोपण

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (रा.भू. एवं भ.क.) अधिनियम और उसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी किसी भी भूमि अथवा भवन, जहाँ ऐसी भूमि अथवा भवन का उपयोग आवासीय से व्यावसायिक में परिवर्तिन हो गया है का बाजार मूल्य निर्धारण एवं कर निर्धारण आदेश को किसी भी समय संशोधन कर सकेगा। भूमि के बाजार मूल्य की गणना करने के लिए जिस उद्देश्य हेतु भूमि तथा भवन उपयोग में है

[1] 1 वर्ग मीटर = 10.76 वर्ग फीट

के अनुसार 10 *प्रतिशत* (आवासीय के लिए) अथवा 20 *प्रतिशत* (वाणिज्यिक के लिए) वार्षिक वृद्धि प्रत्येक पश्चातवर्ती वर्ष के लिए जोड़ी जायेगी।

जयपुर में अगस्त 2003 में पाया गया कि एक निर्धारिती ने अप्रैल 2000 में 3,617 वर्ग मीटर माप की खुली भूमि पर एक शो रूम का निर्माण कराया। वाणिज्यिक दरों के आधार पर 10.07 करोड़ रुपये मूल्यांकन की सम्पत्ति पर 26.11 लाख रुपये कर आरोपणीय था। तथापि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय गलती से सम्पत्ति को 1983 से आवासीय मानते हुए 19.26 लाख रुपये के मूल्यांकन पर 6.25 लाख रुपये कर आरोपित किया जिसके परिणामस्वरूप 19.86 लाख रुपये कर का कम आरोपण हुआ।

मामला नवम्बर 2003 में बताने पर सरकार ने अगस्त 2004 में बताया कि 19.16 लाख रुपये का संशोधित निर्धारण आदेश जारी किया जा चुका था तथा माँग कायम कर दी गई थी।

7.5 सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण कर का कम आरोपण

रा.भू. एवं भ.क. अधिनियम के अन्तर्गत भूमि या भवन या दोनों पर इस अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी निर्देशों (14 अगस्त 1991) के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य पर कर आरोपणीय है। कॉर्नर प्लाट तथा 75 फीट चौडे रोड़ पर स्थित प्लाट के बाजार मूल्य की गणना करने हेतु 10 *प्रतिशत* दोनों स्थिति में अतिरिक्त जोड़ा जाना चाहिए।

7.5.1 अजमेर में जनवरी 2004 में यह पाया कि एक निर्धारिती के पास तीन सम्पत्तियाँ[2] थी। जिनमें से 2 कॉर्नर प्लाट जबकि एक 75 फीट से अधिक चौड़े रोड़ पर अवस्थित थी। इन प्लाट्स का मूल्य 64.73 करोड़ रुपये था। तथापि निर्धारण अधिकारी ने इन प्लाट्स का मूल्य 10 *प्रतिशत* जोड़े जाने का ध्यान रखे बिना 53.99 करोड़ रुपये निर्धारित किया तथा 29.28 लाख रुपये के स्थान पर 23.97 लाख रुपये कर लगाया। त्रुटि के परिणामस्वरूप वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के लिए 10.62 लाख रुपये (5.31 लाख रुपये प्रति वर्ष) कर का कम आरोपण हुआ।

त्रुटि को विभाग के ध्यान में फरवरी 2004 में लाया गया तथा सरकार को अप्रैल 2004 में सूचित किया गया उनके उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

7.5.2 जोधपुर में मार्च 2004 में यह पाया गया कि मुख्य चौपासनी मार्ग पर अवस्थित 15,600 वर्ग फीट नाप की भूमि के एक टुकड़े का मूल्यांकन 2.62 करोड़ रुपये था तथा उस सम्पत्ति पर 19.96 लाख रुपये कर लगना चाहिए था। तथापि वर्ष 1998-99 से 2002-03 की अवधि के लिए अप्रैल 2003 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कॉलोनी के पीछे की तरफ स्थित प्लाट्स की दर लेकर 80.82 लाख रुपये पर सम्पत्ति का मूल्यांकन कर 10.18 लाख रुपये कर

[2] सावित्री कॉलेज, सिविल लाईन, वैशाली नगर तथा आगरा गेट, अजमेर में स्थित।

आरोपित किया। चूक के परिणामस्वरूप 9.78 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

त्रुटि अप्रैल 2004 में ध्यान में लाने पर सरकार ने जुलाई 2004 में बताया कि संशोधित निर्धारण आदेश जारी किया जा चुका था तथा माँग कायम कर दी गई थी।

7.6 भूमि की गलत दरें अपनाने के कारण कर का कम आरोपण

रा.भू. एवं भ.क. अधिनियम के अन्तर्गत भूमि अथवा भवन अथवा दोनों पर पृथक-पृथक इकाइयों के रूप में कर आरोपित किया जाएगा। जिला स्तरीय कमेटी ने मार्च 1998 में निर्धारित किया कि वाणिज्यिक भूमि की जहाँ कोई दर तय नहीं की गई थी वहाँ सामान्य दर की तीन गुना ली जानी चाहिये।

जोधपुर में मार्च 2004 में पाया कि निर्धारण अधिकारी ने एक निगम की 97,765 वर्ग फीट नाप की भूमि का बाजार मूल्य 720 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से लेते हुए 7.04 करोड़ रुपये सम्पत्ति के मूल्य पर 10.47 लाख रुपये कर आरोपित किया। जबकि भूमि की दर 1,080 रुपये प्रति वर्ग फीट ली जाकर सम्पत्ति का मूल्य 10.56 करोड़ रुपये पर 15.75 लाख रुपये कर आरोपण योग्य था। जिसके परिणामस्वरूप 10.56 लाख रुपये (5.28 लाख प्रति वर्ष) वर्ष 1998-99 से 1999-2000 की अवधि के लिए कर का कम आरोपण हुआ।

अप्रैल 2004 में त्रुटि ध्यान मं लाने पर सरकार ने अगस्त 2004 में बताया कि संशोधित निर्धारण आदेश जारी कर दिये गये थे तथा माँग कायम की जा चुकी थी।

अध्याय-VIII: कर-इतर प्राप्तियाँ

8.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003-04 के दौरान खान व पेट्रोलियम एवं सिंचाई विभागों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की मापक जांच में 1,122 मामलों में 225.60 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व की अवसूली/कम वसूली का पता चला, जो कि मुख्यतः निम्न श्रेणियों में आते हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
अ. सिंचाई विभाग			
1.	**समीक्षाः जल प्रभारों का निर्धारण व संग्रहण**	1	56.90
2.	अन्य राज्य सरकारों से बकाया की अवसूली	2	89.51
ब. खान व पेट्रोलियम विभाग			
3.	स्थिर भाटक/अधिशुल्क की कम वसूली/ अवसूली	208	14.63
4.	अनाधिकृत उत्खनन	106	46.66
5.	धरोहर राशि का जब्त न करना	351	0.55
6.	शास्ति/ब्याज का न लगाना	340	7.65
7.	अन्य अनियमिततायें	114	9.70
	योग	**1,122**	**225.60**

वर्ष 2003-04 के दौरान विभाग ने 288 मामलों में 22.31 करोड़ रुपये के कम वसूली आदि को स्वीकार किया जिसमें से 146 मामलों में, जिनमें 15.25 करोड़ रुपये निहित थे, लेखापरीक्षा में वर्ष 2003-04 के दौरान तथा शेष मामले पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये। विभाग ने 387 मामलों में 1.46 करोड़ रुपये की वसूली की जिसमें से 0.07 करोड़ रुपये के 40 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 2003-04 के दौरान तथा शेष मामले पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को दर्शाने वाले कुछ निदर्शी मामले जिनमें 96.71 करोड़ रुपये की राशि निहित है, तथा **'जल प्रभारों के संग्रहण व निर्धारण'** पर समीक्षा के निष्कर्ष जिनमें 17.82 करोड़ रुपये सन्निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं:

अ. सिंचाई विभाग

8.2 समीक्षाः जल प्रभारों का निर्धारण व संग्रहण

मुख्य मुख्य बिन्दु

पीने व औद्योगिक प्रयोजनार्थ जलापूर्ति पर समय समय पर बकाया जल प्रभारों के 32.89 करोड़ रुपये मय ब्याज उद्ग्रहीत नहीं किये।

(अनुच्छेद 8.2.6)

सिंचाई खतौनियाँ (सिंचाई कर की कृषकवार मांग पत्र) के संधारण नहीं करने एवं मांग कायमी नहीं करने के परिणामस्वरूप सिंचाई कर की कुल 9.08 करोड़ रुपये की अवसूली।

(अनुच्छेद 8.2.7)

पानी के अनुपयोग एवं क्षति से 8.61 करोड़ रुपये की हानि।

(अनुच्छेद 8.2.9)

करार में जल प्रभारों के संशोधन हेतु प्रावधान करने में सरकारी स्तर पर असफलता के परिणामस्वरूप न्यूनतम 13.14 लाख रुपये का कम निर्धारण।

(अनुच्छेद 8.2.10)

8.2.1 परिचय

जल प्रभारों का आरोपण एवं संग्रहण राजस्थान सिंचाई और जल निकास (रा.सिं.ज.नि.) अधिनियम, 1954 एवं राजस्थान सिंचाई और जल निकास नियम, 1955 तथा उनके अधीन विरचित प्रावधानों के अनुसार शासित होता है।

सितम्बर 2001 से पूर्व 2,500 एकड़ से अधिक क्षमता के तालाब व नहरों के बारे में एवं गैर कृषि प्रयोजनार्थ जलापूर्ति के लिए जल प्रभारों के आरोपण एवं संग्रहण के लिए सिंचाई विभाग उत्तरदायी था। सितम्बर 2001 के बाद सिंचाई प्रयोजनों की पूर्ति हेतु जल प्रभारों के आरोपण एवं संग्रहण से संबंधी संपूर्ण कार्य राजस्व विभाग को सौंप दिया गया किन्तु गैर सिंचाई प्रयोजनार्थों के बारे में प्रभारों का आरोपण और संग्रहण लगातार सिंचाई विभाग के पास रहा।

8.2.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा इस उद्देश्य के साथ की गईः

- जल प्रभारों के संग्रहण में नियमों और आदेशों से शासित अनुपालना की सीमा को अभिनिश्चित करना।

- बाकी बचे असंग्रहित राजस्व के कारणों का विश्लेषण करना।
- जल प्रभारों की वसूली के लिये आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभावीपन का मूल्यांकन करना।

8.2.3 संगठनात्मक ढ़ाँचा

राजस्थान में सरकारी स्तर पर जल प्रभारों के आरोपण एवं संग्रहण के सभी मामलों के संबंध में सचिव, सिंचाई विभाग मुख्य नियंत्रक अधिकारी है। राज्य पांच संभागों में विभाजित है और प्रत्येक संभाग में एक मुख्य अभियंता प्रमुख होता है जिसकी सहायता प्रत्येक वृत्त पर अधीक्षण अभियंता (अधी.अभि.) व प्रत्येक खण्ड पर अधिशाषी अभियंता (अधि.अभि.) द्वारा की जाती है।

राजस्व विभाग में जल प्रभारों के आरोपण व संग्रहण से संबंधित कार्य, निबन्धक जो राजस्व मण्डल (रा.मं.) का प्रमुख होता है, को सौंपा गया होता है। निबन्धक जिला कलक्टरों के मार्फत नियंत्रण करता है जिनकी सहायता तहसीलदार, गिरदावर व पटवारियों द्वारा की जाती है।

8.2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

75 में से 23 सिंचाई खण्डों और 205 में से 62 तहसीलों के अवधि 1998-99 से 2002-03 तक के जल प्रभारों के आरोपण व संग्रहण संबंधी अभिलेखों की मापक जांच जुलाई 2003 से मार्च 2004 के मध्य की गई थी। मापक जांच के परिणाम उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में सम्मिलित किये गये हैं।

8.2.5 राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2002-03 को समाप्त गत पांच वर्षों में बजट अनुमान (ब.अ.) तथा वास्तविक प्राप्तियाँ की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार हैं-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	*प्रतिशत* कमी (-)/ वृद्धि (+)
1998-99	28.20	25.39	(-) 10
1999-00	37.75	42.66	(+) 13
2000-01	38.20	37.74	(-) 1
2001-02	29.65	19.62	(-) 34
2002-03	33.24	21.64	(-) 35

उक्त से यह देखा जा सकता है कि *प्रतिशत* कमी वर्ष 1998-99 में 10 *प्रतिशत* से बढ़कर 2002-03 में 35 *प्रतिशत* हो गई। विभाग ने सूचित किया कि यह कमी वर्षा की

कमी, सूखा, बकाया की वसूली में सरकार द्वारा जारी अधित्यजन/स्थगन आदेश, सितम्बर 2001 में राजस्व विभाग को स्टाफ का स्थानान्तर/कमी और सिंचाई प्रभारों का संशोधन नहीं करने के कारण रही।

8.2.6 बकाया की स्थिति

- **सिंचाई प्रयोजनार्थ**

वर्ष 2001-02 तक राजस्थान सिंचाई और जल निकास नियमों के अन्तर्गत विहित प्रारूप में एक विवरणी प्रत्येक खण्ड से प्राप्त कर अतिरिक्त शासन सचिव एवं मुख्य अभियंता (अ.स. एवं मु.अ.) द्वारा पूरे राज्य की बकाया की स्थिति को एकीकृत की जाने योग्य थी; उसके बाद निबन्धक, रा.म. द्वारा संबंधित कलक्टरों से ये विवरणी प्राप्त कर एकीकृत की जानी थी।

अवधि 1998-99 से 2001-02 के लिए सिंचाई विभाग के अ.स.एंव मु.अ. द्वारा तथा वर्ष 2002-03 के लिए निबन्धक, राजस्व मण्डल द्वारा दी गई, सिंचाई प्रयोजनार्थ बकाया की स्थिति निम्न विवरणानुसार हैः

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान मांग कायमी	कुल बकाया मांग	वर्ष में प्राप्तियाँ	बकाया शेष (4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6
1998-99	5.87	11.90	17.77	11.78	5.99
1999-00	5.95	21.98	27.93	21.72	6.21
2000-01	6.18	21.71	27.89	19.54	8.35
2001-02	8.76	12.44	21.20	3.29	17.91
2002-03	24.05	21.18	45.23	2.45	42.78

उक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष के अंत में अंतिम शेष उत्तरवर्ती वर्ष का प्रारंभिक शेष नहीं था। बकाया शेष 2000-01 में 8.35 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर 2001-02 में 17.91 करोड़ रुपये और 2002-03 में 42.78 करोड़ रुपये हो गये।

- **गैर सिंचाई प्रयोजनार्थ**

सिंचाई प्रयोजनों के लिए विवरणी से भिन्न गैर सिंचाई प्रयोजनों के लिए कोई विवरणी विहित नहीं थी।

अकृषि प्रयोजनार्थ वसूली योग्य जल प्रभारों की शेष बकाया की स्थिति का विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं था तथापि 14 सिंचाई खण्डों के अभिलेखों की मापक

जाँच में पाया कि 31 मार्च 2003 को पीने एवं औद्योगिक प्रयोजनों हेतु जलापूर्ति के लिए 32.89 करोड़ रुपये जल प्रभारों के बकाया थे:

बकाया का अवधिवार विश्लेषण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

पाँच वर्ष से अधिक	18.26
दो से पाँच वर्षों तक	11.72
दो वर्षों तक	2.91
योग	32.89

पिछले 5 वर्षों के दौरान विभिन्न लाभार्थियों से वसूली योग्य जल प्रभारों के बकाया की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष			परिवर्द्धन			कुल		
	उद्योग	पी.एच.ई.डी	कुल	उद्योग	पी.एच.ई.डी	कुल	उद्योग	पी.एच.ई.डी	कुल
1998-99	7.57	10.69	18.26	4.55	0.42	4.97	12.12	11.11	23.23
1999-00	12.12	11.11	23.23	3.06	0.54	3.60	15.18	11.65	26.83
2000-01	15.18	11.65	26.83	2.62	0.52	3.14	17.80	12.17	29.97
2001-02	17.80	12.17	29.97	0.95	0.46	1.41	18.75	12.63	31.38
2002-03	18.75	12.63	31.38	0.79	0.72	1.51	19.54	13.35	32.89

वर्ष 1998-99 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा में जन लेखा समिति (ज.ले.स.) ने फरवरी 2003 में सिफारिश की कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) के विरूद्ध बकाया जल प्रभारों की शीघ्र वसूली की जावे। आगे यह सिफारिश की कि वसूली को प्रगित महालेखाकार को और ज.ले.स. को भेजी जावे। किन्तु इन सिफारिशों के बावजूद अभी तक कोई वसूली नहीं हुई।

यह ध्यान दिलाये जाने पर सिंचाई विभाग ने सूचित किया कि मार्च 2000 तक के देय पी.एच.ई.डी. एवं ऊर्जा विभागों के जल प्रभारों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पी.एच.ई.डी. व ऊर्जा विभागों के सचिवों के साथ मीटिंग में अपलेखन का निर्णय लिया गया था किन्तु अभी तक इस प्रकार के आदेश जारी नहीं हुए हैं। आगे यह भी ध्यान में लाया गया कि जो प्रभार मार्च 2000 के बाद देय थे, वे मार्च 2003 तक भी भुगतान नहीं किये गये थे।

8.2.7 मांग कायम न करना

रा.सिं.जल.नि. के नियम 41 के अनुसार एक ग्राम की पैमाइश पूर्ण करने पर संबंधित पटवारी प्रत्येक ग्राम की एक खतौनी[1] तैयार करेगा और उस क्षेत्र में प्रत्येक सिंचित खेत के सभी काश्तकारों का संपूर्ण वसूलो योग्य सिंचित देय का विवरण दिखाया जावेगा।

श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों की पांच तहसीलों[2] के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पटवारियों ने केवल ग्रामवार सिंचाई की पैमाइश की एवं काश्तकारवार मांग तैयार नहीं की थी इस प्रकार वर्ष 2002-03 के लिए खतौनियां तैयार नहीं की गई थी। अतः तहसीलदार द्वारा मांग कायमी नहीं की जिसके परिणामस्वरूप 8.53 करोड़ रुपये के सिंचाई बकाया की अवसूली हुई जो कि ग्रामवार पैमाइश पर आधारित थी। कलक्टर को भेजी जाने वाली विवरणियाँ कलक्टर को प्रस्तुत नहीं की गई। अभिलेखों में कुछ भी प्रकट नहीं हुआ कि किसी भी तहसील से विवरणियाँ तैयार करने और मांग कायम करने को कहा हो।

ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार कर लिया और बताया कि खतौनियां तैयार की जावेंगी व राशि वसूल की जावेगी।

- काश्तकारों के विरूद्ध खतौनी के आधार पर तहसीलदारों द्वारा मांग कायमी अपेक्षित होती है।

चार तहसीलों में[3], यह ध्यान में आया कि यद्यपि अवधि 2001-02 और 2002-03 की खतौनियां तैयार की गई थी, मांग कायमी नहीं की गई और विवरणियाँ जो कलक्टर को भेजी जानी अपेक्षित थी वह तहसीलदारों द्वारा कलक्टर को प्रस्तुत नहीं की गई परिणामस्वरूप 54.64 लाख रुपये की अवसूली रही।

यह जुलाई 2003 से मार्च 2004 में ध्यान दिलाये जाने पर तहसीलदार घाटोल और सराड़ा ने अगस्त 2003 एवं दिसम्बर 2003 में सूचित किया कि मांग सूचना के प्रपत्र की अनुपलब्धता के कारण मांग कायमी नहीं की जा सकी। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने जनवरी 2004 में कहा कि सिंचाई विभाग से अपूर्ण और अहस्ताक्षरित अभिलेखों की प्राप्ति के कारण मांग कायमी नहीं की जा सकी किन्तु अभिलेखों से कहीं भी प्रकट नहीं हुआ कि गलतियों के शुद्धिकरण के लिए मामला सिंचाई विभाग को बतलाया गया हो, परिणामस्वरूप 54.54 लाख रुपये की अवसूली रही।

8.2.8 जल प्रभारों का अनार्थिक निर्धारण

नवें वित्त आयोग ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन (1990-95) में सिफारिश की थी कि कम से कम रखरखाव और अन्य संचालन व्यय की पूर्ति सिंचाई प्राप्तियों से पूरी की जावेगी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ सिंचाई करों के संग्रहण में लगे हुए स्टाफ के वेतन व भत्ते भी शामिल होंगे।

---

[1] खतौनी सिंचाई प्रभारों के लिए संबंधित ग्राम के पटवारी द्वारा निर्मित कृषक वार मांग पत्र है।

[2] करणपुर, सादुलपुर, संगरिया, श्रीगंगानगर एवं सूरतगढ़।

[3] बागीदौरा, चित्तौड़गढ़, घाटोल एवं सराड़ा।

सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये। विभाग द्वारा दिये विवरण के अनुसार राजस्व वसूली के विरूद्ध कार्यकारी व्यय का ब्यौरा निम्न है:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	वसूल किया राजस्व	संग्रहण हेतु लंबित बकाया	कुल	कामकाजी व्यय	कामकाजी व्यय और राजस्व संग्रहण का अन्तर	आधिक्य का प्रतिशत
1998-99	25.39	29.48	54.87	181.01	126.14	230
1999-00	42.66	9.78	52.44	186.36	133.92	255
2000-01	37.74	12.29	50.03	222.16	172.13	344
2001-02	19.62	20.14	39.76	204.30	164.54	414
2002-03	21.64	3.96	25.60	197.70	172.10	672
योग	**147.05**	**75.65**	**222.70**	**991.53**	**768.83**	**345**

राजस्व पर व्यय का *प्रतिशत* 230 एवं 672 के मध्य रहा। यह भी लंबित संग्रहित राजस्व के लेखांकन के बाद था।

इस प्रकार सामान्य मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप जल की दरों में सामयिक वृद्धि की आवश्यकता है। सरकार द्वारा जल की दरें 1982 में संशोधित की गई थी और उसके बाद 1999 में अर्थात 17 वर्षों के बीत जाने के बाद।

यह लेखापरीक्षा (जुलाई 2003) में ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने बताया कि जल प्रभारों के संशोधन करने के प्रस्ताव सरकार को नवम्बर 2003 में भेजे गये थे जो कि सरकारी स्तर पर निर्णय हेतु लम्बित थे।

8.2.9 जल के अनुपयोगी/छीजत के कारण जल प्रभारों की हानि

अधि.अभि., चम्बल परियोजना खण्ड, कोटा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अलनिया बांध की मुख्य नहर के अनुचित ररखरखाव से उसमें 29 दरारें हो गई। अनुचित रखरखाव के परिणामस्वरूप 774 एम.सी.एफ.टी.जल की छीजत हुई जिससे

वर्ष 1998-99 से 2001-02 के दौरान 7.59[4] करोड़ रुपये राशि के जल प्रभारों की निम्नानुसार हानि हुईः-

(जल एम.सी.एफ.टी.)

वर्ष	जल की उपलब्धता	जल छोड़ा गया	अन्तर	जल हानि का प्रतिशत	टिप्पणी
1998-99	935	776	159	17	नहरों की संभाल नहीं करने के कारण जल का उपयोग नहीं किया जा सका।
1999-00	1324	1092	232	18	वही
2000-01	1396	1158	238	17	वही
2001-02	1384	1239	145	10	वही
योग			**774**		

- सिंचाई खण्ड, बून्दी में यह ध्यान में आया कि वर्ष 1998-99 से 2002-03 की अवधि के दौरान 2.24 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का कम उपयोग होने के परिणामस्वरूप 1.02 करोड़ रुपये की राशि के जल प्रभारों का नीचे विवरणानुसार नुकसान हुआः-

वर्ष	कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र (एकड़ में)	वास्तविक सिंचित क्षेत्र (एकड़ में)	अन्तर	प्रति एकड़ सिंचाई प्रभार की औसत दर (रुपयों में)	राजस्व की हानि (लाख रुपयों में)
1998-99	90,607	48,087	42,520	30.83	13.11
1999-00	90,607	49,912	40,695	29.87	12.51
2000-01	90,604	40,859	49,745	53.66	26.69
2001-02	90,604	43,240	47,364	56.00	26.52
2002-03	90,604	47,373	43,231	53.93	23.31
योग					**102.14** **रुपये 1.02 करोड़**

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जाने के बाद अ.स. एवं मु.अ. ने सूचित किया कि नहर प्रणाली के रख रखाव के लिए निधियों के अपर्याप्त उपलब्धता के कारण कमी रही।

8.2.10 जल प्रभारों की कमी/अनारोपण

राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास अधिनियम के अन्तर्गत देय किसी प्रभार राशि को विनियमित करने के लिए सरकार को अधिकार दिया गया है। अधिसूचना दिनांक 17 मई 1995 के अनुसार एक उद्योग के द्वारा अपने स्वयं के स्रोत से जल उपयोग करने के मामले में जल प्रभारों की दर 2,000 रुपये प्रति एम.सी.एफ.टी. थी।

[4] जिन्सवार निर्धारित जल दरों के आधार पर।

अधि.अभि. सिंचाई खण्ड उदयपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच के दौरान यह पाया गया कि राजस्थान सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (कम्पनी) के साथ 1 रुपये प्रति एम.सी.एफ.टी. जल की दर तय कर 1976 में एक करार किया। कंपनी 17 मई 1995 से बढ़ी हुई दरों पर बकाया के संदाय के लिए जिम्मेबार थी लेकिन अवधि अप्रैल 1996 से जून 2000 के लिए बढ़ी हुई दरों के आधार पर 9.80 लाख रुपये (920 एम.सी.एफ.टी. जल) की मांग विभाग द्वारा केवल अगस्त 2000 में अर्थात लगभग 5 वर्षों के बीत जाने के बाद, जारी की गई थी यद्यपि उसके बाद 2002-03 तक समय समय पर मांगें जारी की गई थी। 1995-96 के लिए कोई मांग कायम नहीं की गई थी किन्तु कंपनी द्वारा अब तक (मार्च 2003) पूर्व संशोधित दरों से जल प्रभारों का भुगतान किया जा रहा था इसके परिणामस्वरूप 1998-99 से 2002-03 तक 13.14 लाख रुपयों के जल प्रभारों की कम वसूली हुई।

यह दिसम्बर 2003 में ध्यान दिलाये जाने के बाद विभाग ने कहा कि कम्पनी ने संशोधित दरों पर प्रभार भुगतान करने से मना कर दिया उसने करार में 1 रुपये प्रति एम.सी.एफ.टी. की दर तय कर करार किया हुआ था एवं मामला अगस्त 2002 में विधिक राय के लिए उच्च प्राधिकारियों को भेजा गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिसूचना जारी करने के परिणामतः, अनुज्ञप्तिधारी मई 1995 में संशोधित प्रभारों को संदाय करने के लिए बाध्य था।

मामला राज्य सरकार (मई 2004) के ध्यान में लाया गया, उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2004)।

8.2.11 सिफारिशें

अपर्याप्त परिवीक्षण के कारण जल प्रभारों की मांग कायमी/संग्रहण विहित समय में नहीं किया गया और चूककर्ताओं से देरी से भुगतान पर ब्याज भी वसूल नहीं किया गया।

- सरकार को, जारी बिलों की सत्यता की सामयिक जांच को सुनिश्चत करने हेतु एक आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध के गठन का विचार करना चाहिए।
- सिंचाई खण्डों द्वारा संधारित अभिलेखों व रजिस्टरों में उपयोगकर्ताओं का विवरण, मांग कायमी, की गई वसूलियाँ, बकाया देय आदि को स्पष्ट दर्शाना चाहिए इससे मांगों की प्रभावी वसूली में सुगमता होगी।
- जल प्रभारों के उचित संग्रहण के लिए सिंचाई एवं राजस्व विभागों के बीच समन्वय की भी आवश्यकता है।

8.3 अन्य राज्य सरकारों से बकाया की अवसूली

8.3.1 चम्बल परियोजना के सांझा कार्यों पर मध्य प्रदेश भागांश की अवसूली

मध्यप्रदेश राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सिंचाई एवं विद्युत) नियंत्रण मण्डल (मण्डल) के संविधान की धारा 9(iii) में, मूल कार्यों, रखरखाव, संचालन तथा ऐसे अन्य कार्यों के लिए, जो सभी विद्यमान साझा कार्यों पर साझा फायदों के लिए आवश्यक थे, लागत व्यय को विभाजित करने के प्रावधान अन्तर्विष्ट हैं। तद्नुसार बांध पर व्यय को दोनों राज्यों के मध्य समान रूप से विभाजित किया जाना था लेकिन जो व्यय दांयी मुंख्य नहर एवं सतपुरा थर्मल स्टेशन पर हुआ उसे मध्य प्रदेश एवं राजस्थान दोनों राज्यों के मध्य क्रमशः 75.6:24.4 व 6:4 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। बोर्ड के वित्तीय सलाहकार ने फरवरी 2004 में सूचित किया कि मध्य प्रदेश से 1980-81 से मार्च 2002 तक परिचालन एवं रखरखाव के साझा व्यय के संबंध में 46.30 करोड़ रुपये राशि देय थी।

2002-03 के दौरान हुए व्यय का विवरण न तो बोर्ड के अभिलेखों में उपलब्ध था और ना ही लेखापरीक्षा के दौरान तत्स्थान प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री, राजस्थान की अध्यक्षता में जून 1999 मे मण्डल की 12वीं बैठक के मद 2(2) के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि चम्बल परियोजना के साझा कार्यों पर महालेखाकार, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के द्वारा लेखापरीक्षित व्यय अंकों को अंतिम माना जावेगा। उक्त बैठक के मद 2(4) के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने नहरों के मरम्मत/ रखरखाव और साझा कार्यों पर व्यय के अपने हिस्से को पूर्व वर्ष से संबंधित व्यय आंकड़ों के आधार पर हर वर्ष अग्रिम देने का आश्वासन दिया।

इस आश्वासन के प्रावधान के बावजूद, वसूली करने के प्रभावी कदम नहीं उठाये गये जिसके परिणामस्वरूप अभी तक 46.30 करोड़ रुपये की भारी राशि बकाया थी (फरवरी 2004)।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 2003) में ध्यान दिलाये जाने पर मण्डल के वित्तीय सलाहकार ने सूचित (अक्टूबर 2003) किया कि मध्य प्रदेश सरकार के अपर्याप्त उत्तर के कारण अवसूली रही।

8.3.2 गुजरात राज्य से बांध/नहर के रखरखाव व्यय के लागत की अवसूली

1966 में राजस्थान सरकार ने गुजरात के साथ किये गये करार के अनुसार माही बजाज सागर परियोजना की इकाई-I (बांध संबंधित कार्यों) पर व्यय को राजस्थान एवं गुजरात के मध्य क्रमशः 45 और 55 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। मुख्य अभियंता माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा के विभागीय अभिलेखों की जांच में पाया (जनवरी 2004) कि 43.21 करोड़ रुपये की राशि अवधि 1968-69 से मार्च 2004 तक गुजरात सरकार से देय थी।

यद्यपि एक लम्बे समयावधि तक भारी बकाया के संचयन के कारणों को पूछा (जनवरी 2004) गया जो सूचित नहीं किये गये। विभागीय अभिलेखों से यह पता नहीं लगा कि प्रभावी वसूली की कोई कार्यवाही किसी भी समय में की गई थी।

यह जनवरी 2004 में ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जून 2004 में बताया कि 27.94 करोड़ रुपये की राशि समायोजन के द्वारा वसूल कर ली गई।

ब. खान एवं पेट्रोलियम विभाग

8.4 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस हेतु पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञा शुल्क तथा खनन पट्टे की बढ़ी हुई राशि की मांग कायम न करना

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियम (पी एन जी नियम), 1959 के नियम 11(2) के साथ पठित नियम 23(1) में अन्य बातों के साथ प्रावधित है कि पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति (पी ई एल) के लिए वार्षिक अनुज्ञा शुल्क अग्रिम वसूल किया जाना है। इसके अतिरिक्त नियम 13 व 14 में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के लिए खनन पट्टे के बारे में क्रमशः स्थिर भाटक व अधिशुल्क भुगतान का प्रावधान है। यदि अनुज्ञा शुल्क, लीज, अधिशुल्क व अन्य भुगतान का चुकारा निर्दिष्ट समय के अन्दर नहीं किया जाता है तो प्रत्येक महीने या महीने के हिस्से के लिए, जिसके दौरान भुगतान नहीं चुकाये गये, इन्हें 10 *प्रतिशत* से बढ़ाया जाना है।

8.4.1 जयपुर में यह देखा गया कि एक पी.ई.एल., राजस्थान सरकार द्वारा अगस्त 1997 में एक कंपनी के पक्ष में श्रीगंगानगर, बीकानेर एवं चुरू जिलों में 32,600 वर्ग कि.मी. में 1 अक्टूबर 1996 से 30 सितम्बर 2000 तक चार वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृति किया गया था।

द्वितीय वर्ष के लिए 13.04 लाख रुपये एवं चौथे वर्ष के लिए 47.87 लाख रुपये की पी.ई.एल. शुल्क भुगतान क्रमशः चार व पांच दिनों की देरी से किया गया इस प्रकार से अनुज्ञप्तिधारी दोनों वर्षों के लिए बढ़ी हुई राशि 6.09 लाख रुपये भुगतान के लिए उत्तरदायी था।

यह ध्यान दिलाये (अक्टूबर 2003) जाने के बाद विभाग ने लेखापरीक्षा आक्षेप को नवम्बर 2003 में स्वीकार किया व बताया कि वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही थी।

सरकार, जिसे दिसम्बर 2003 में मामला प्रतिवेदित किया ने अगस्त 2004 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

8.4.2 जयपुर में यह देखा गया कि एक निगम के पक्ष में एक पी.ई.एल. सरकार ने मार्च 2001 में चार वर्ष की अवधि के लिए 23 फरवरी 1998 से प्रभाव के साथ जैसलमेर जिले में 533 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में स्वीकृत की गयी थी। यह देखा गया कि

चौथे वर्ष फरवरी 2001 से फरवरी 2002 के लिये पी.ई.एल. शुल्क 2.13 लाख रुपये निगम द्वारा नहीं चुकाया गया था। पी.ई.एल. शुल्क का भुगतान नहीं करने की बजह से बढ़ी हुई राशि जो कि 5.53 लाख रुपये मार्च 2003 तक संगणित हुई, आरोपण योग्य थी। विभाग द्वारा पी.ई.एल. शुल्क की 2.13 लाख रुपये व बढ़ी हुई राशि 5.53 लाख रुपये की मांग कायमी नहीं की गयी। त्रुटि के परिणामस्वरूप 7.66 लाख रुपये की अवसूली हुई।

यह अक्टूबर 2003 में ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने नवम्बर 2003 में बताया कि निगम ने पी.ई.एल. क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 564.60 वर्ग कि.मी. क्षेत्र जनवरी 2001 में खनन पट्टे के लिए आवेदन किया था जिसका अभिप्राय पी.ई.एल. का अध्यर्पण है। तथापि पट्टा अभी भी स्वीकृति हेतु अपेक्षित था। यह भी बताया गया कि यदि खनन पट्टा स्वीकृत नहीं होता है तो पी.ई.एल. शुल्क व बढ़ी हुई प्रभार्य राशी पट्टेधारी से वसूली योग्य होगी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं क्योंकि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि खनन पट्टे हेतु आवेदन कर देने पर पट्टेधारी पी.ई.एल. शुल्क नहीं देगा। अधिनियम के अनुसार, खनन पट्टा केवल उसकी स्वीकृति व खनन पट्टा करार के निष्पादन के बाद ही क्रियान्वयन में आयेगा। पी.ई.एल. शुल्क व बढ़ी हुई राशि 7.66 लाख रुपये इस प्रकार वसूली योग्य थी।

मामला सरकार को दिसम्बर 2003 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नही हुआ।

8.4.3 जयपुर में अक्टूबर 2003 में यह पाया कि फरवरी 1999 में जैसलमेर जिले में 250 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का एक खनन पट्टा जनवरी 1996 से 20 वर्ष के लिए एक पट्टाधारी के पक्ष में स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार एक अन्य मामले में अक्टूबर 1997 में 24 वर्ग कि.मी. फैले क्षेत्र का पट्टा मई 1994 से स्वीकृत किया गया। दोनों मामलों में अप्रैल 2002 से मार्च 2003 तक अधिशुल्क एवं स्थिर भाटक के भुगतान में एक व दो महीनों के मध्य देरी हुई। देरी की वजह से बढ़ी हुई राशि 8.30 लाख रुपये आरोपण योग्य थी।

दिसम्बर 2003 में ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने अगस्त 2004 में बताया कि संबंधित नियम 14(1) में अधिशुल्क जमा कराने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को दर्शाया नहीं गया है यह भी बताया कि अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2003 के द्वारा किये संशोधन की दृष्टि से अधिशुल्क का भुगतान अगले माह के अंतिम दिवस तक करना अपेक्षित है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मामला अप्रैल 2003 से पहले की अवधि से संबंधित है।

मामला सरकार को (दिसम्बर 2003) प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुआ।

8.4.4 पी एन जी नियमों 1959 के नियम 9 के अनुसार प्रत्येक अनुज्ञप्ति विनिर्दिष्ट दिनांक, जैसा कि अनुज्ञप्ति में इस निमित्त है से प्रभावी होगा ।

जयपुर में यह पाया गया कि एक निगम ने जैसलमेर जिले में 5,390 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में एक पी.ई.एल. के लिए मार्च 1997 में आवेदन किया। प्रथम वर्ष के लिए पी.ई.एल. शुल्क 31 मई 1997 को चुकाया गया था। पी.ई.एल. 1 जून 1997 के प्रभाव से अगस्त 1999 में स्वीकृत की गई किन्तु सरकार ने जून 2001 में पी.ई.एल. प्रारंभ करने की तिथि 1 जून 1997 से बदलकर पी.ई.एल. की स्वीकृति करने की तिथि 21 अगस्त 1999 कर दी। प्रारंभ करने की तिथि में बदलाव के कारण निगम ने 1 जून 1997 से 31 मई 1999 के लिए पूर्व चुकाये गये पी.ई.एल. शुल्क के 2.59 लाख रुपये के समायोजन करने के बाद चौथे वर्ष तक पी.ई.एल. शुल्क वास्ते 32.34 लाख रुपये चुका दिये। इसका आशय है कि अनुज्ञप्तिधारी ने 1 जून 1997 से 20 अगस्त 1999 की अवधि के लिए पी.ई.एल. शुल्क के भुगतान के बिना ही क्षेत्र में कार्य किया। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रारंभ करने की तिथि में परिवर्तन से पी.ई.एल. शुल्क की वर्ष प्रति वर्ष की दर प्रभावित हो गई। पी.ई.एल. को प्रांरभ करने की तिथि में परिवर्तन करना नियम विरूद्ध होने के कारण चौथे वर्ष के लिए पी.ई.एल. शुल्क 31 मई 2000 को चुकाया जाना था। पी.ई.एल. शुल्क के भुगतान में देरी ने प्रत्येक महीने के लिए 10 *प्रतिशत* से देय भुगतान को बढ़ा दिया किन्तु विभाग ने 1 जून 2000 से 31 मई 2003 की अवधि के लिए पी.ई.एल. शुल्क 0.68 करोड़ रुपये (1.03 करोड़ रुपये देय (-) 0.35 करोड़ रुपये चुकाये) के साथ ही बढ़ी हुई राशि 1.62 करोड़ रुपये कुल 2.30 करोड़ के लिए मांग कायम नहीं की। इस प्रकार विभाग द्वारा मांग कायमी नहीं करने के परिणामस्वरूप 2.30 करोड़ रुपये की अवसूली हुई।

यह ध्यान दिलाये (अक्टूबर 2003) जाने पर विभाग ने जुलाई 2004 में बताया कि प्रभावी तिथी राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित की गई थी। विभाग का उत्तर, अनुज्ञाधारी के अन्य मामले में (बाकिया टीबा की पी.ई.एल.) भारत सरकार द्वारा जनवरी 2000 में जारी स्पष्टीकरण के दृष्टि से मान्य नहीं है जिसके अनुसार पी.ई.एल. प्रारंभ करने की तिथि, अनुज्ञाधारी द्वारा जिस तिथि को पी.ई.एल. फीस चुकायी है, वह तिथि होगी। अनुज्ञाधारी ने 1 जून 1997 से क्षेत्र में कार्य किया इस प्रकार कंपनी 1 जून 1997 से पी.ई.एल. शुल्क और तद्नुसार बढ़ी हुई राश संदाय के लिए उत्तरदायी है।

मामला (दिसम्बर 2003) सरकार को प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुआ।

8.4.5 जयुपर में यह देखा गया कि एक पी.ई.एल. सरकार द्वारा एक निगम के पक्ष में 15 मई 1995 से चार वर्षों की अवधि के लिए बाड़मेर एवं जालौर जिलों में 10,558 वर्ग कि.मी. में फैले क्षेत्र को जनवरी 1996 में स्वीकृत किया। पी.ई.एल. की अवधि 14 मई 2002 तक समय समय पर बढ़ाई गई एवं अनन्तोगत्वा इसे केन्द्र सरकार द्वारा 15 मई 2002 से 14 मई 2005 तक अगस्त 2002 में बढ़ाई गयी थी।

पी.ई.एल. शुल्क राशि 29.82 लाख रुपये जो 22 नवम्बर 2002 को आठवें वर्ष 15 मई 2002 से 14 मई 2003 के बढ़ी हुई अवधि में अनुज्ञप्ति में धारित क्षेत्र पर देय थी का भुगतान निगम द्वारा सात महीने की देरी से किया गया। भुगतान में देरी की वजह से बढ़ी हुई राशि का आरोपण जो कि 20.87 लाख रुपये संगिणत की गई थी, की विभाग

द्वारा मांग कायमी नहीं की गई। त्रुटि के परिणामस्वरूप 20.87 लाख रुपये की अवसूली हुई।

यह (अक्टूबर 2003) ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने नवम्बर 2003 में सूचित किया कि सरकार द्वारा वृद्धि पर निर्णय लेने में विलम्ब के कारण निगम द्वारा पी.ई.एल. शुल्क देरी से जमा कराई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियम 11(2) के प्रावधानों के अनुसार पी.ई.एल. शुल्क अग्रिम में जमा किया जाना चाहिये था।

मामला सरकार को दिसम्बर 2003 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुआ।

8.5 अनाधिकृत उत्खनन के कारण राजस्व की हानि

8.5.1 प्रधान खनिज

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी विधि सम्मत प्राधिकार के बिना कोई खनन कार्य नहीं करेगा। अनाधिकृत उत्खनन के मामले में जो खनिज उत्खनित किया गया है, राज्य सरकार द्वारा हासिल किया जावेगा। यदि ऐसा खनिज संप्रेषित कर दिया गया हो, तो उसका मूल्य, लगान, रायल्टी व कर यथास्थिति उस व्यक्ति से वसूली योग्य है।

अजमेर में यह देखा गया कि एक फर्म के परिसर को जनवरी 2001 तथा अगस्त 2001 के मध्य पांच बार विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया इन निरीक्षणों में यह देखा गया कि 1002.400 मी.टन वोलेस्टोनाइट खनिज अनाधिकृत रूप से परिसर में पड़ा था इस प्रकार 800 रुपये प्रति टन की दर से संगणित खनिज की कीमत 8.02 लाख रुपये के साथ ही 0.80 लाख रुपये का अधिशुल्क वसूली योग्य था। विभाग ने वसूली योग्य राशि 8.82 लाख रुपये के विरूद्ध अगस्त 2001 में एक नोटिस 400 मी.टन खनिज के लिए 3.20 लाख रुपये की राशि जमा कराने को जारी किया गया किन्तु पार्टी द्वारा वह भी नहीं चुकाया गया।

यह ध्यान दिलाये जाने (जुलाई 2002) पर विभाग ने 8.82 लाख रुपये की मांग कायम कर दी तथा अप्रैल 2003 में वसूली की प्रक्रिया भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रारंभ कर दी। अग्रिम प्रगति अपेक्षित है।

सरकार ने सितम्बर 2004 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

8.5.2 अप्रधान खनिज

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत जब कभी कोई व्यक्ति खनन पट्टा/खनन अनुज्ञप्ति, अल्पावधि अनुमति पत्र अथवा किसी अन्य अनुमति पत्र के निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन में किसी भूमि से कोई खनिज निकालता है और उस

प्रयोजनार्थ भूमि पर कोई औजार, यन्त्र, वाहन अथवा अन्य कोई वस्तु लाता है तो खनिज प्राधिकारियों द्वारा जब्त की जा सकेगी। नियम आगे प्रावधान करते हैं कि जहां निकाले गये खनिज को पहले ही संप्रेषित अथवा उपयोग कर लिया गया है, प्राधिकारी खोदे गये खनिज पर प्रभार्य भाटक, अधिशुल्क के साथ खनिज का मूल्य वसूल कर सकेगा जो प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के 10 गुणा के बराबर होगा। विभाग के परिपत्र (दिसम्बर 2000) के अनुसार यदि लाइमस्टोन प्रधान खनिज के रूप में उपयोग होता है तो अधिशुल्क 40 रुपये प्रति टन की दर से प्रभार्य है।

- अजमेर में यह देखा गया कि दो खनन पट्टे एक श्योपुरा (अजमेर) के पास तथा दूसरा निम्बेती (पाली) के पास क्रमशः खनि अभियंता (ख.अ.) अजमेर एवं ख.अ., सोजत शहर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्वीकृत थे। दोनों खानों का लाइम स्टोन एक कम्पनी द्वारा श्योपुरा स्थित अपने सीमेंट संयंत्र में उपयोग किया गया था। श्योपुरा पट्टें के अधिशुल्क निर्धारण अभिलेखों से यह ज्ञात हुआ कि अनुज्ञाधारी ने सितम्बर 2001 से नवम्बर 2001 के दौरान निम्बेती खान का 2.04 लाख मी.टन लाइम स्टोन सीमेंट बनाने के लिये उपयोग किया गया। ख.अ., सोजत (पाली) के अभिलेखों की जाँच से यह उद्घटित हुआ कि कंपनी के पास 31 अगस्त 2001 को निम्बेती लाइम स्टोन का अंतिम स्टॉक 15,782 मी.टन का था आगे 1.17 लाख मी.टन लाइम स्टोन सितम्बर से नवम्बर 2001 के दौरान संयंत्र को निम्बेती खान से संप्रेषित किया। इस प्रकार कंपनी ने कुल उपलब्ध 1.33 लाख मी.टन लाइम स्टोन के विरूद्ध निमबेती खानों से 2.04 लाख मी.टन लाइम स्टोन का उपभोग किया परिणामस्वरूप अनाधिकृत रूप से प्राप्त 0.71 लाख मी.टन लाइम स्टोन का आधिक्य में उपभोग हुआ। विभाग द्वारा उस निमित्त 0.71 लाख मी.टन लाइम स्टोन के संबंध में 400 रुपये प्रति मी.टन की दर से मूल्य 2.87 करोड़ रुपये वसूल करना चाहिये थे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 2.87 करोड़ रुपये के राजस्व की अवसूली हुई।

यह मई 2003 में ध्यान दिलाये जाने पर खनि अभियन्ता अजमेर ने जून 2003 में बताया कि मामले में निम्बेती खानों का विवरण मंगाया गया है।

मामला विभाग (जुलाई 2003) को तथा सरकार (अक्टूबर 2003) में प्रेषित किया गया उनका उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुआ।

- धोलपुर में यह देखा गया (जुलाई 2002) कि एक अल्पावधि अनुमति पत्र एक फर्म को नवम्बर 2000 में जारी हुआ। अनुमति पत्र एक वर्ष की अवधि के लिए 26 फरवरी 2000 से 12,075 क्यूबिक मीटर ईंट मिट्टी का 72,452 रुपये वार्षिक अधिशुल्क पर जारी किया। फरवरी 2001 में अनुमति पत्र की समाप्ति के बाद अनुज्ञाधरी ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया लेकिन 25 दिसम्बर 2001 तक अनाधिकृत खनन कार्य किया। ईंट मिट्टी के अनाधिकृत उत्खनन के परिणामस्वरूप अधिशुल्क के 10 गुणा के आधार पर 6.04 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई। विभाग ने 0.30 लाख रुपये के प्रतिभूति जमा को समायोजित किया। किन्तु शेष 5.74 लाख रुपये अब तक वसूली योग्य हैं।

यह जुलाई 2002 में ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जुलाई 2004 में बताया कि मांग कायम की जा चुकी है। राशि वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही है।

सरकार जिसे मामला सितम्बर 2003 में प्रतिवेदित किया गया ने अगस्त 2004 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

8.6 विकास प्रभार तथा उस पर ब्याज की कम वसूली

सरकार ने 1 जून 1990 से जिप्सम खनिज के प्रेषण अथवा बेचान पर विकास प्रभार 15 रुपये प्रति मी.टन की दर से आरोपित किया जो क्रमशः 1 मई 1992, 1 जून 2000 एवं 1 अक्टूबर 2001 को 30 रुपये, 50 रुपये एवं 55 रुपये प्रति मी.टन संशोधित किया गया। आगे खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64(अ) के प्रावधान के अनुसार सरकार के द्वारा नियत दिनांक की समाप्ति की तारीख से साठवें दिन से सरकार को देय कोई रकम या शुल्क या अधिशुल्क, या रेंट पर 24 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज प्रभार्य होगा।

बीकानेर में अगस्त 2003 में यह देखा गया कि एक खनन पट्टा खनिज जिप्सम के लिए एक निगम के पक्ष में 8 मई 1996 से 20 वर्षों के लिए स्वीकृत था। अनुज्ञाधारी ने पट्टा क्षेत्र से फरवरी 1997 तथा मार्च 2003 के मध्य 10.62 लाख मी. टन जिप्सम निर्गमित किया एवं समय समय पर प्रचलित दरों पर संगणित 4.70 करोड़ रुपये के विरूद्ध 4.24 करोड़ रुपये विकास प्रभार के जमा कराये। इस प्रकार मांग एवं संग्रहण पंजिका (डी.सी.आर.) के असंधारण के कारण विकास प्रभार के 46 लाख रुपये कम वसूल किये इसके अतिरिक्त, अनुज्ञाधारी ने विकास प्रभार का भुगतान देरी से किया जिससे 31 मार्च 2003 तक इस देरी से भुगतान पर ब्याज 27.51 लाख रुपये संगणित किया गया। इस प्रकार विकास प्रभार की कम वसूली एवं ब्याज की मांग कायमी नहीं करने के परिणामस्वरूप 73.51 लाख रुपये की अवसूली हुई।

यह (सितम्बर 2003) ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जुलाई 2004 में बताया कि राशि 38.99 लाख रुपये वसूली कर ली गई तथा शेष राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।

मामला अक्टूबर 2003 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया उनका उत्तर सितम्बर 2004 तक प्राप्त नहीं हुआ।

8.7 अधिशुल्क की कम वसूली

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान द्वारा जारी 5 अप्रैल 1999 के परिपत्र की शर्तों के अनुसार लाइमस्टोन (सीमेंट ग्रेड) पर अधिशुल्क का निर्धारण, उल्टी गणना की विद्यमान प्रक्रिया को समाप्त कर, व्हेटो मीटर के मार्फत खानों से सीमेन्ट संयंत्र को निर्गमित लाइम स्टोन की वास्तविक मात्रा पर किया जाना था। इस परिपत्र के पहले अधिशुल्क का निर्धारण, वे ब्रिज तुलाई द्वारा संगणित लाइम स्टोन की मात्रा पर अथवा अंतिम उत्पादन के संदर्भ के साथ उल्टी गणना द्वारा क्लींकर बनाने में आनुपातिक उपभोग पर होता था तथा दोनों प्रक्रिया में लाइम स्टोन की मात्रा जिसकी अधिक आती उन पर अधिशुल्क गणना की जानी चाहिये थी। नई प्रक्रिया, जिसमें उल्टी गणना की विधि को समाप्त किया गया, 5 अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई थी।

अजमेर में यह पाया गया (जून 2001) कि एक खनन पट्टा 28 अगस्त 1978 से आगे के लिए एक कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत था। अवधि 28 अगस्त 1997 से 27 अगस्त 1999 का अधिशुल्क निर्धारण गलती से मई 2000 में 5 अप्रैल 1999 से आरंभ की गई नई प्रक्रिया जो कि पूर्वगामी प्रभाव नहीं रखती थी, के आधार पर 11.08 करोड़ रुपये के अधिक अधिशुल्क[5] पर किया। उपयोग किये लाइमस्टोन की मात्रा की दृष्टि से अधिक अधिशुल्क 11.71 करोड़ रुपये अवधि 28 अगस्त 1997 से 27 अगस्त 1999 के दौरान समय समय से प्रचलित गणना की प्रक्रिया के आधार पर बनता था। 5 अप्रैल 1999 से लागू करने के बजाय पूरे समयावधि के लिए अधिशुल्क की गणना के लिए नई प्रक्रिया को मानने के परिणामस्वरूप राशि 63.70 लाख रुपये का कम अधिशुल्क निर्धारण हुआ।

यह ध्यान दिलाये जाने (अगस्त 2001) पर विभाग ने 28 अगस्त 1997 से 27 अगस्त 1999 अवधि के लिए 11.91 करोड़ रुपये के अधिक अधिशुल्क पर पुनः निर्धारण (अगस्त 2003) किया तथा 83 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग उत्पन्न की।

मामला सरकार को अक्टूबर 2003 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर तक प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2004)।

8.8 निविदाओं की स्वीकृति में अनियमितता से राजस्व हानि

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत अधिशुल्क संग्रहण ठेका निविदा आमंत्रण द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। सफल निविदादाता द्वारा निविदा राशि निविदा के खुलने के दो दिवस में जमा कराना अपेक्षित है।

[5] अधिक अधिशुल्क का आशय कुल अधिशुल्क (-) स्थिर भाटक।

कोटा में यह देखा गया कि बांरा जिला की पांच राजस्व तहसीलों[6] में खनिज बजरी के अधिशुल्क संग्रहण ठेकों के लिए निविदाएं अवधि 2003-05 के लिए आमंत्रित की गई तथा 31 जनवरी 2003 को खोली गई। उच्चतम निविदादाता जिसने 19 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रस्तावित किया था, को अस्थायीरूप से चयन किया गया। तथापि, निदेशक (खान) ने निविदा 13 मार्च 2003 को निरस्त कर दी क्योंकि ठेकेदार विहित समयावधि में निविदा राशि जमा कराने में असफल रहा एवं अधिशुल्क संग्रहण विभागीय नाका के द्वारा किया गया। ठेकेदार ने विशिष्ट शासन सचिव (खान) राजस्थान के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसने 10 अप्रैल 2003 को निदेशक के आदेश यह कहते हुए खारिज कर दिये कि नि.खा.भू. उक्त ठेकेदार को समय देने में सही एवं उचित प्रक्रिया अपनाने में असफल रहा। तथापि ठेका 8 अगस्त 2003 को अन्तिमतः निष्पादित हुआ। ठेके से, 1 अप्रैल 2003 से ठेका निष्पादन दिनांक 8 अगस्त 2003 तक, वसूली योग्य 6.70 लाख रुपये के विरूद्ध विभागीय तौर पर केवल 0.67 लाख रुपये का अधिशुल्क प्राप्त किया गया। इस प्रकार विभाग के द्वारा करार के निष्पादन में देरी के परिणामस्परूप सरकार को 6.03 लाख रुपये की हानि हुई।

मामला विभाग एवं सरकार को अक्टूबर 2003 में प्रतिवेदित किया गया, अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2004)।

(डी.एस.नेहरा)
महालेखाकार
(वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर
दिनांक 23 मार्च 2005

प्रतिहस्ताक्षरित

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 28 MAR 2005

[6] बांरा, मांगरोल, किशनगंज, अन्ता तथा शहाबाद।

परिशिष्ट-अ

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.14)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये अनुच्छेद एवं जो 30 सितम्बर 2004 को जन लेखा समिति में चर्चा हेतु बकाया थे, की स्थितिः

कर का नाम		2000-01	2001-02	2002-03	योग
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	12	10	15	37
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	15	15
मोटर वाहनों पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	8	7	7	22
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	8	7	7	22
भू-राजस्व	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	4	1	2	7
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	2	2
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	5	4	1	10
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	5	4	1	10
राज्य उत्पाद शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	7	5	5	17
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	5	5
भूमि एवं भवन कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	1	4	3	8
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	1	4	3	8
खनन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	6	9	8	23
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	9	8	17
अन्य	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	2	5	4	11
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	5	4	9
योग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	**45**	**45**	**45**	**135**
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	**14**	**29**	**45**	**88**

परिशिष्ट-ब

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.14)

30 सितम्बर 2004 को विभागों से बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों की स्थितिः

क्र. सं.	जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों के क्रमांक	विधानसभा में उपस्थापित दिनांक	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन
1.	41 वां प्रतिवेदन 1991-92	18.9.91	लॉटरी	1983-84	1
2.	42 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	आबकारी	1991-92	1
3.	44 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	आबकारी	1993-94	4
4.	134 वां प्रतिवेदन 1997-98	1.7.2002	खान	1997-98	3
5.	135 वां प्रतिवेदन 1998-99	1.7.2002	खान	1998-99	3
6.	210 वां प्रतिवेदन 2003-04	22.7.2003	देवस्थान	1997-98	16
7.	218 वां प्रतिवेदन 2003-04	8.8.2003	वन	2000-01	6
8.	219 वां प्रतिवेदन 2003-04	8.8.2003	सिंचाई	1998-99 से 2000-01	9
9.	65 वां प्रतिवेदन 2004-05	19.7.2004	बिक्री कर	1999-2000	3
10.	75 वां प्रतिवेदन 2004-05	19.7.2004	बिक्री कर	2000-01	5
	योग				**51**